होती है, जोकि उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में लिखा था : क्या यह अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण न होगा कि आप अपने आन्दोलन को तबतक के लिए स्थगित कर दें जब तक कि ब्रिटेन जर्मनों और जापानियों से निबट न ले—

"नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप हमारे बिना जर्मनों से निबट नहीं सकेंगे।"

इस सम्बन्ध में श्री गांधी द्वारा १४ अगस्त को वाइसराय के नाम लिखे गये पत्र का एक स्थल अर्थपूर्ण है :—

"मैंने अपने मापदंड के रूप में पंडित जवाहरलाल को लिया है। वे अपने वैयक्तिक सम्पर्कों के कारण मेरी अपेक्षा कहीं अधिक चीन और रूस के सम्भावित विध्वंस की विपदा का अनुभव करते हैं।"

उन्होंने भारत के बीच से अंग्रेजों की पीछे हटते हुए लड़ने की कार्यवाही और इसके फलस्वरूप होने वाली बर्बादी के पूर्वदर्शन किये थे, और यह कोई आकस्मिक बात नहीं है कि जब श्री गांधी हरिजन में भारत-छोड़ो प्रसंग को गति दे रहे थे, तभी वे किसी भी रूप में भूमि विनाश अथवा घर फूंक नीति के प्रयोग के विरुद्ध भी तीव्र आन्दोलन कर रहे थे। (श्री गांधी की सम्पत्ति के लिए चिन्ता, विशेषकर व्यावसायिक सम्पत्ति के लिए, जिसे शत्रु के हाथों में न पड़ने देना सम्भवतः आवश्यक हो जाता, और इसके सर्वथा विपरीत असंख्य भारतीयों को जापानियों के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध में बलिदान करने के लिए उनका तैयार हो जाना तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा विचित्र है। सम्पत्ति बचायी जानी चाहिए, तब सम्भवतः यह पूछना संगत होगा—किसके लिए?) यह सम्भव प्रतीत होता है कि पहले श्री गांधी ने सचमुच यह आशा की थी कि अंग्रेजों के भारत से हटा दिये जाने के साथ ही जापानियों के आक्रमण का प्रेरक कारण दूर हो जावेगा, और उनके इलाहाबाद के मसविदे से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अंग्रेजों के भारत से चले जाने के बाद जापान से बातचीत करने में समर्थ होने की भी आशा बांधी थी। तदनन्तर, अंग्रेजों के चले जाने जापान द्वारा आक्रमण किये जाने की अवस्था में अहिंसात्मक प्रतिरोध के प्रस्ताव तैयार किये गये। हमारे समक्ष श्री गांधी की यह स्वीकारोक्ति विद्यमान है कि वे इस बात की गारन्टी नहीं दे सकते कि अहिंसात्मक कार्यवाही जापानियों को दूर रख सकेगी, वस्तुतः वे ऐसी किसी आशा को "असमर्थित धारणा" कह कर पुकारते हैं। चूंकि श्री गांधी को जापानियों के प्रति प्रभावपूर्ण अहिंसात्मक प्रतिरोध की शक्ति के बारे में कोई भ्रम नहीं है, इसलिए हम केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत पर जापानी आक्रमण की सम्भावित अवस्था में वे उनकी मांगें स्वीकार कर लेने के लिए तैयार थे। इस प्रकार का निष्कर्ष उनकी तत्कालीन मानसिक अवस्था के अनुरूप ही है जिसका हमने पहले वर्णन किया है और इसकी पुष्टि जापानियों को सम्बोधित करके २६ जुलाई के 'हरिजन' में लिखी गयी उनकी अपील के इस उद्धरण से भी होती है :—

"और हम एक ऐसे साम्राज्य का प्रतिरोध करने की बेजोड़ परिस्थिति में हैं, जिसे हम आपके (जापानियों के) साम्राज्यवाद और नाजीवाद की अपेक्षा कम घृणित नहीं समझते।"

श्री गांधी ने ब्रिटिश या जापानी किसी भी प्रकार के विदेशी प्रभुत्व से ....

करना चाहिए। अंग्रेजों के भारत से हट जाने से जापानी आक्रमण का खतरा टल जायगा, इस धारणा को जो असाधारण महत्व दिया गया है, जिसकी ओर पहले ही ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है, उससे इस विश्वास को और भी पुष्टि मिलती है कि श्री गांधी के मूल इरादों की यही व्याख्या ठीक है. क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन सेनाओं के भारत में बने रहने पर यह प्रलोभन कैसे दूर हुआ समझा जा सकता है, साथ ही श्री गांधी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि अंग्रेजों के विदा होने पर भारतीय सेना को भंग कर दिया जायगा। श्री गांधी की योजना का ब्रिटेन और अमेरिका में तो आशानुरूप तीव्र विरोध होना प्रारम्भ हुआ ही, किन्तु श्री गांधी और कांग्रेस ने भारत के जिस पत्र-समाज पर सदैव अपनी सहायता की आशाएँ बांधी थीं उसके एक भाग ने भी विरोध प्रकट किया। इस विरोध का मुख्य आधार आसन्न सम्भावित जापानी आक्रमण की अवस्था में मित्रराष्ट्रीय सेनाओं के हट जाने का प्रस्ताव था। यथार्थतावादी व्यक्ति यह न समझ सके कि इस प्रकार भारत की रक्षा और मित्रराष्ट्रों के चरम निमित्त को कैसे शक्तिशाली बनाया जा सकेगा। वस्तुतः श्री गांधी द्वारा, इस कल्पना को मान कर कि अंग्रेजों के हिंसात्मक प्रतिरोध के अभाव में भारतीयों का अहिंसात्मक प्रतिरोध अधिक प्रभावोत्पादक हो सकेगा, अपने युक्ति क्रम की रक्षा करना कुछ अपर्याप्त प्रतीत हुआ क्योंकि उनका यह स्वीकार करना सर्व विदित है कि भारतीय जनता का बहुत थोड़ा सा भाग अहिंसा के सिद्धान्त से भली भांति परिचित है और सफल अहिंसात्मक प्रतिरोध कर सकता है। इस बढ़ते हुए विरोध के आगे झुक कर और, जैसा कि हम बाद में दिखायेंगे, कार्य समिति के सदस्यों में मत-भेद को दूर करने के सम्भाविक दृष्टि-कोण से श्री गांधी ने अपने मूल प्रस्तावों में जो त्रुटि थी उसे भांप लिया। १४ जून के हरिजन में उस संक्षेपोक्ति के साथ मार्ग प्रशस्त किया कि यदि उनका वश चले तो भारत की राष्ट्रीय सरकार, जब वह बनेगी, कुछ सुनिर्दिष्ट शर्तों के साथ भारत भूमि में संयुक्त राष्ट्रों की उपस्थिति को सहन कर लेगी किन्तु अन्य किसी सहायता की अनुमति नहीं देगी। अगले सप्ताह के हरिजन में एक अमेरिकन पत्रकार के प्रति दिया गया वक्तव्य अधिक निश्चित शब्दों में है। यह पूछा जाने पर कि क्या वे स्वतन्त्र भारत द्वारा मित्रराष्ट्रीय सेनाओं को भारत से युद्धात्मक कार्यवाही करने की अनुमति देने की कल्पना करते हैं, श्री गांधी ने कहा: "करता हूँ। आप देखेंगे कि केवल तभी वास्तविक सहयोग हो सकेगा।" उन्होंने आगे कहा कि मैं भारतवर्ष से मित्रराष्ट्रीय सेनाओं के पूर्णतः अन्यत्र चले जाने का विचार नहीं करता और बशर्ते कि भारतवर्ष सर्वथा रक्षा हीन हो जाये. मैं उनके चले जाने पर आग्रह नहीं करूंगा।

[illegible] उनका पहिला कार्य सम्भवतः जापान से बात-चीत चलाना होगा।" कांग्रेस की [illegible] ध्वनि थी कि ब्रिटेन भारत की रक्षा करने में अशक्त है, किन्तु यदि अंग्रेज चले जावें [illegible] भारतवर्ष जापानियों से अथवा किसी भी अन्य आक्रमणकारी से अपनी रक्षा कर लेगा। मसविदे में आगे चल कर जापानी सरकार को आश्वासन दिया गया है कि [illegible] की जापान से कोई शत्रुता नहीं और वह केवल विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति चाहता [illegible], [illegible] पर अपनी अहिंसात्मक शक्ति से प्राप्ति और रक्षा करेगा। यह आशा [illegible] की गई है कि जापान की भारत पर कुदृष्टि नहीं होगी, किंतु यदि उसने भारतवर्ष पर आक्रमण किया तब कांग्रेस का पथ-प्रदर्शन चाहने वाले सभी भारतीयों से जापानियों [illegible] अहिंसात्मक असहयोग करने की आशा की जायगी।

इस मसविदे के कारण कार्यसमिति में मतभेद स्पष्टतः प्रकट हो गया और उसके [illegible] विरोधियों—पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी—के [illegible] को यहां [illegible] उद्धृत कर देना मनोरञ्जक होगा।

२—युद्ध से किस परिणाम की सम्भावना है, कौन जीतेगा। गांधी जी का ख्याल है कि जापान और जर्मनी की विजय होगी। यह भावना अज्ञात रूप से उनके निर्णय पर अधिकार जमाये हुए—है।"

श्री गांधी के मसविदे की इस पारदर्शी विवेचना में श्री राजगोपालाचारी ने अपने विचार जोड़ते हुए कहा :

"यदि जापान का रुख कुछ भारत के पक्ष में हो तो भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यदि अंग्रेज़ चले जाएं तो भारत को स्वयं सङ्गठित होने का कुछ अवसर मिलेगा। बृटेन द्वारा खाली किये गए स्थान की जापान तुरन्त पूर्ति कर देगा। बृटेन की बुराइयों के कारण हम पर जो प्रतिक्रिया हुई है उसके कारण हमारी दृष्टि धूमिल न हो जानी चाहिए। छोटी बातों के कारण घबराना उचित नहीं है। हमें जापानियों के फंदे में न जा फँसना चाहिए, जैसा कि वास्तव में प्रस्ताव से परिणाम निकलता है।"

मसविदे का समर्थन करने वाले कार्यसमिति के सदस्यों में से श्री अच्युत पटवर्धन के शब्द सुन लीजिये :

"यदि हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो जवाहरलाल जी की प्रवृत्ति हमें बृटिश शासन के साथ घृणित और शर्त्तहीन सहयोग सूत्र में बांध देगी जबकि इस शासन यन्त्र का नष्ट होना अनिवार्य है........बृटेन के साथ हमारा सहयोग जापान को भारत आने का बुलावा है।........यह युद्ध एक साम्राज्यवादी युद्ध है। हमारी नीति तटस्थ रहने की है। संसार में चारों ओर आतंक छाया हुआ है। यदि मित्रराष्ट्र धुरी राष्ट्रों को हरा सकते तो स्थिति पर मैं फिर से विचार करता। किन्तु मैं तो स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि बृटेन गहरे गर्त्त की ओर अग्रसर हो रहा है।"

और अन्त में, श्री राजेन्द्र प्रसाद :

"यदि हम बापू के मसविदे को स्वीकार नहीं करते तब हम उपयुक्त वातावरण उत्पन्न नहीं कर सकेंगे।"

दो शब्दों में, यह मसविदा वही है जिसके सम्पूर्ण विचार और पृष्ठभूमि जापान की समर्थक है, इस प्रस्ताव का अर्थ सीधे जापान की गोद में जाने के बराबर ही है।

अध्याय २

वर्धा से बम्बई—प्रस्तावों के लक्ष्य और अभिप्राय

वर्धा में जुलाई मास में कार्यसमिति की बैठक होने के समय तक श्री गांधी के प्रस्तावों की आवश्यक सामग्री तैयार हो चुकी थी। इस के बाद में भी, परिवर्तन नहीं हुए और पत्रव्यवहार आदि में यही प्रयत्न किया जाता रहा कि इस आवश्यक सामग्री को [illegible] रूप में इस प्रकार जुटा कर रक्खा जाय कि संसार में उसका कम से कम विरोध हो।

कांग्रेस कार्यसमिति ने १४ जुलाई को एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसकी श्री गांधी [illegible] [illegible] अधिवेशन के मसविदे से [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] ने [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के बारे में [illegible] की [illegible]

तब उसका पहिला कार्य सम्भवतः जापान से बात-चीत चलाना होगा।" कांग्रेस की सम्मति थी कि बृटेन भारत की रक्षा करने में अशक्त है, किन्तु यदि अंग्रेज चले जावें तो भारतवर्ष जापानियों से अथवा किसी भी अन्य आक्रमणकारी से अपनी रक्षा कर सकेगा। मसविदे में आगे चल कर जापानी सरकार को आश्वासन दिया गया है कि भारत की जापान से कोई शत्रुता नहीं और वह केवल विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति चाहता है, जिसकी वह अपनी अहिंसात्मक शक्ति से प्राप्ति और रक्षा करेगा। यह आशा प्रकट की गई है कि जापान की भारत पर कुदृष्टि नहीं होगी, किंतु यदि उसने भारतवर्ष पर आक्रमण किया तब कांग्रेस का पथ-प्रदर्शन चाहने वाले सभी भारतीयों से जापानियों का अहिंसात्मक असहयोग करने की आशा की जायगी।

इस मसविदे के कारण कार्यसमिति में मतभेद स्पष्टतः प्रकट हो गया और इसके दो मुख्य विरोधियों—पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी—के तर्कों को यहां सविस्तार उद्धृत कर देना मनोरञ्जक होगा।

३—युद्ध में किस परिणाम की सम्भावना है, कौन जीतेगा। गांधी जी का ख्याल है कि जापान और जर्मनी की विजय होगी। यह भावना अज्ञात रूप से उनके निर्णय पर अधिकार जमाये हुए—है।"

श्री गांधी के मसविदे की इस पारदर्शी विवेचना में श्री राजगोपालाचारी ने अपने विचार जोड़ते हुए कहा :

"यदि जापान का रुख कुछ भारत के पक्ष में हो तो भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यदि अंग्रेज चले जाएं तो भारत को स्वयं सङ्गठित होने का कुछ अवसर मिलेगा। बृटेन द्वारा खाली किये गए स्थान की जापान तुरन्त पूर्त्ति कर देगा। बृटेन की बुराइयों के कारण हम पर जो प्रतिक्रिया हुई है उसके कारण हमारी दृष्टि धूमिल न हो जानी चाहिए। छोटी बातों के कारण घबराना उचित नहीं है। हमें जापानियों के फंदे में न जा फँसना चाहिए, जैसा कि वास्तव मे प्रस्ताव से परिणाम निकलता है।"

मसविदे का समर्थन करने वाले कार्यसमिति के सदस्यों में से श्री अच्युत पटवर्धन के शब्द सुन लीजिये :

"यदि हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो जवाहरलाल जी की प्रवृत्ति हमें बृटिश शासन के साथ घृणित और शर्त्तहीन सहयोग सूत्र में बांध देगी जबकि इस शासन यन्त्र का नष्ट होना अनिवार्य है.........बृटेन के साथ हमारा सहयोग जापान को भारत आने का बुलावा है।.........यह युद्ध एक साम्राज्यवादी युद्ध है। हमारी नीति तटस्थ रहने की है। संसार में चारों ओर आतंक छाया हुआ है। यदि मित्रराष्ट्र धुरी राष्ट्रों को हरा सकते तो स्थिति पर मैं फिर से विचार करता। किन्तु मैं तो स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि बृटेन गहरे गर्त्त की ओर अग्रसर हो रहा है।"

और अन्त में, श्री राजेन्द्र प्रसाद :

"यदि हम बापू के मसविदे को स्वीकार नहीं करते तब हम उपयुक्त वातावरण उत्पन्न नहीं कर सकेंगे।'

दो शब्दों में, यह मसविदा वही है जिसके सम्पूर्ण विचार और पृष्ठभूमि जापान की समर्थक है; इस प्रस्ताव का अर्थ सीधे जापान की गोद में जाने के बराबर ही है।

अध्याय २

वर्धा से बम्बई—प्रस्तावों के लक्ष्य और अभिप्राय

वर्धा में जुलाई मास में कार्यसमिति की बैठक होने के समय तक श्री गांधी के प्रस्तावों की आवश्यक रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। इस के बाद में भी परिवर्तन नहीं हुए और [illegible] में यही प्रकट किया जाता रहा कि इस [illegible], जो [illegible] रूप में इस प्रकार युद्ध का [illegible] किया जाए कि संसार में [illegible] रूप से हम विरोध हों।

उन्होंने गुप्त रखना ही उपयुक्त समझा। अब चूंकि इस समस्या के बारे में श्री गांधी का वैयक्तिक हल केवल अनुमानों का विषय ही रह गया है, इस स्थिति की तर्कगत आवश्यकता के लिए मन में एकदम एक सुझाव उठता है। वह, ऊपर प्रकट की गयी सम्भावना के अनुसार यह है श्री गांधी द्वारा अपनी योजना में यह संशोधन स्वीकार करने का अभिप्राय प्रधान रूप से अमेरिकन समर्थन के लिए प्रयत्न और सम्भवतः गौण रूप से कार्यसमिति में अपने प्रतिपक्षियों को शान्त करने के निमित्त था, किन्तु ऐसी परिस्थितियां उनके ध्यान में थीं अथवा उन्होंने उत्पन्न करने की योजना बनायी जिनमें यह अनुमति निरर्थक सिद्ध हो। इन परिस्थितियों से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों से है जिनमें सेनाएं या तो देश से हट जाने के लिए बाध्य हो जायें या यदि वे देश में ही रहें तब उन्हें अशक्त कर दिया जाये। श्री गांधी की योजनाओं के स्वरूप पर बाद में विचार किया जायेगा। इस बीच में श्री गांधी के निम्न उत्तर से, जोकि उन्होंने अपने प्रस्तावित आन्दोलन का स्वरूप पूछने वाले प्रथम प्रश्नकर्ताओं में से एक को दिया था, इस दृष्टिकोण को कुछ अधिक युक्तियुक्तता मिल जाती है।

> "यह एक ऐसा आन्दोलन होगा जिसको सारा संसार अनुभव करेगा। सम्भव है कि यह ब्रिटिश सेना की हलचलों में बाधा न पहुंचा सके परन्तु यह तो निश्चित है कि इसकी ओर अंग्रेजों का ध्यान आकृष्ट होकर रहेगा।"

किन्तु इस व्याख्या का मुख्य आकर्षण यह है कि इसमें एतद्विषयक श्री गांधी के अत्यन्त तर्कहीन लेखों के लिए युक्तिसंगत विचारों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत है और इसमें अभिप्राय की सारतत्त्वता भी बनी रहती है। ऐसी किसी व्याख्या के अभाव में हम श्री गांधी के विरोधाभास की उलझन में फंस जाते हैं। कभी तो वे एक ऐसी योजना उपस्थित करते हैं जिसके मुख्य आदर्शों में से एक आदर्श भारत को रणस्थली बनने से बचाना था, और फिर अकस्मात ही वे उस योजना को एक नया रूप दे देते हैं जिसका परिणाम स्पष्ट ही उस आदर्श से उलटा होगा।

पूर्व वर्णित तनिक विस्तृत निरीक्षण से श्री गांधी के प्रस्तावों का आधारभूत स्वरूप दो मूलभूत उद्देश्य प्रकट होते हैं—१. ब्रिटिश प्रभुत्व से भारत को अन्तिम रूप में स्वतन्त्र करने की इच्छा, २. भारत को, किसी भी मूल्य पर, रणभूमि—जापान और ब्रिटेन के बीच-बनने से बचाने की इच्छा।

इन दोनों में से पहले उद्देश्य के अस्तित्व से सम्भवतः कोई भी इन्कार नहीं करेगा। भारतवर्ष की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति कांग्रेस का सार्वजनिक रूप से उद्घोषित उद्देश्य है। [illegible] मैं, श्री [illegible] पूछते हैं कि जब युद्ध के बाद भारतवर्ष को स्वाधीनता देने की प्रतिज्ञा की गयी है, फिर कांग्रेस क्यों ऐसे संकट में पड़ी है, जिसके अत्यन्त खतरनाक स्वरूप का स्वयं श्री गांधी ही अनेक बार दिग्दर्शन करा चुके हैं। यह कहा जा सकता है कि इसके दो मुख्य कारण हैं। इनमें से प्रथम स्वयं कांग्रेस में निराशा और अधीरता की भावना का बढ़ना है। इस पर ७ जून के हरिजन में प्रकाशित श्री गांधी के "[illegible]" शीर्षक लेख के निम्न उद्धरण से प्रकाश पड़ता है:

होती है, जोकि उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में लिखा था : क्या यह अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण न होगा कि आप अपने आन्दोलन को तबतक के लिए स्थगित कर दें जब तक कि बृटेन जर्मनों और जापानियों से निबट न ले—

"नहीं, क्योंकि मैं जानता हू कि आप हमारे बिना जर्मनों से निबट नहीं सकेंगे।"

इस सम्बन्ध में श्री गाधी द्वारा १४ अगस्त को वाइसराय के नाम लिखे गये पत्र का एक स्थल अर्थपूर्ण है :—

"मैंने अपने मापदंड के रूप मे पंडित जवाहरलाल को लिया है। वे अपने वैयक्तिक सम्पर्कों के कारण मेरी अपेक्षा कहीं अधिक चीन और रूस के सम्भावित विध्वंस की विपदा का अनुभव करते हैं।"

उन्होंने भारत के बीच से अंग्रेजों की पीछे हटते हुए लड़ने की कार्यवाही और इसके फलस्वरूप होने वाली बर्बादी के पूर्वदर्शन किये थे, और यह कोई आकस्मिक बात नही है कि जब श्री गांधी हरिजन में भारत-छोड़ो प्रसंग को गति दे रहे थे, तभी वे किसी भी रूप मे भूमि विनाश अथवा घर फूंक नीति के प्रयोग के विरुद्ध भी तीव्र आन्दोलन कर रहे थे। (श्री गांधी की सम्पत्ति के लिए चिन्ता, विशेषकर व्यावसायिक सम्पत्ति के लिए, जिसे शत्रु के हाथों मे न पडने देना सम्भवत आवश्यक हो जाता, और इसके सर्वथा विपरीत असंख्य भारतीयों को जापानियों के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध में बलिदान करने के लिए उनका तैयार हो जाना तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा विचित्र है। सम्पत्ति बचायी जानी चाहिए, तब सम्भवत. यह पूछना संगत होगा—किसके लिए ?) यह सम्भव प्रतीत होता है कि पहले श्री गांधी ने सचमुच यह आशा की थी कि अंग्रेजों के भारत से हटा दिये जाने के साथ ही जापानियों के आक्रमण का प्रेरक कारण दूर हो जायेगा, और उनके इलाहाबाद के मसविदे से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अंग्रेजों के भारत से चले जाने के बाद जापान से बातचीत करने में समर्थ होने की भी आशा बांधी थी। तदनन्तर, अंग्रेजों के चले जाने जापान द्वारा आक्रमण किये जाने की अवस्था में अहिंसात्मक प्रतिरोध के प्रस्ताव तैयार किये गये। हमारे समक्ष श्री गांधी की यह स्वीकारोक्ति विद्यमान है कि वे इस बात की गारन्टी नहीं दे सकते कि अहिंसात्मक कार्यवाही जापानियों को दूर रख सकेगी, वस्तुतः वे ऐसी किसी आशा को "असमर्थित धारणा" कह कर पुकारते हैं। चूंकि श्री गांधी को जापानियों के प्रति प्रभावपूर्ण अहिंसात्मक प्रतिरोध की शक्ति के बारे में कोई भ्रम नहीं है, इसलिए हम केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत पर जापानी आक्रमण की सम्भावित अवस्था में वे उनकी मांगें स्वीकार कर लेने के लिए तैयार थे। इस प्रकार का निष्कर्ष उनकी तत्कालीन मानसिक अवस्था के अनुरूप ही है जिसका हमने पहले वर्णन किया है और इसकी पुष्टि जापानियों को सम्बोधित करके २६ जुलाई के 'हरिजन' में छापी गयी उनकी अपील के इस उद्धरण से भी होती है :—

"और हम एक ऐसे साम्राज्य का प्रतिरोध करने की बेजोड़ परिस्थिति में हैं, जिसे हम आपके (जापानियों के) साम्राज्यवाद और नात्सीवाद से कदापि कम घृणित नहीं समझते।"

श्री गांधी ने ब्रिटिश या जापानी किसी भी प्रकार के विदेशी प्रभुत्व से ...

६. संसार व्यापी एक संघ (फेडरेशन) बनाना, जोकि राष्ट्रीय सेनाओं, जल सेनाओं और वायु सेनाओं के भंग करने तथा की सम्मिलित भलाई के लिए संसार के प्राकृतिक साधनों के संग्रह की व्यवस्था करेगा।

इन उद्देश्यों में से प्रथम की सच्चाई सर्वमान्य है। भारतवर्ष की स्वतन्त्रता, चाहे वह किन्हीं शब्दों मे प्रकट की गयी हो, चिरकाल से कांग्रेस का मुख्य ध्येय रही है और यह ऊपर दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार यह ध्येय "भारत-छोड़ो" आन्दोलन के अन्तर्निहित प्रमुख उद्देश्य के साथ मेल खाता है।

दूसरा वाह्य उद्देश्य दो पूरक भागों में विभक्त है—बृटेन के विरुद्ध भारत की बढ़ती हुई दुर्भावना को रोकना और भारतवर्ष को युद्ध मे अधिक प्रभावपूर्ण भाग लेने के लिए समर्थ बनाना। यह सुझाया जा चुका है कि क्रिप्स मिशन की असफलता से उत्पन्न कटुता को शान्त करने की बजाय कांग्रेस का उद्देश्य यही रहा कि इस प्रकार जनता पर अपने मिटते हुए प्रभाव को फिर कायम करने मे, उपलब्ध अवसर से लाभ उठाया जाये। कांग्रेस के उद्देश्यों की यह व्याख्या ठीक है इस विश्वास को इस बात से और भी पुष्टि मिलती है—जैसाकि उस आन्दोलन के स्वरूप की परीक्षा करते समय हम देखेंगे जिसके लिए कांग्रेस उद्यत हो रही थी—कि भावी विद्रोह के लिए जनता को तैयार करने के अभिप्राय से देहातों मे दौरा करने वाले कांग्रेसी नेताओं ने वर्धा और बम्बई के प्रस्तावों के मध्यकाल में जातीय विद्वेष को जानबूझ कर भड़काया। यह कथन कि योजना भारत को अपनी रक्षा में अधिक प्रभावपूर्ण रूप से भाग लेने के उद्देश्य से बनायी गयी थी, स्वयं श्री गांधी के लेखों से मिथ्या प्रमाणित हो जाती है। जैसा कि पहले दिखाया जा चुका है श्री गांधी को जापानी आक्रमण का प्रतिरोध करने के साधन रूप में अहिंसा की प्रभावशालिता में अधिक विश्वास नहीं था, उन्होंने वस्तुतः ऐसे विश्वास को "असमर्थित धारणा" के रूप में निर्दिष्ट किया और भारत की रक्षा के लिए भारत मे विदेशी सेनाओं के रखने की अनुमति भी इसी आधार पर दी थी। इसके अतिरिक्त, क्या यही वास्तविक कारण था, इस सन्देह के विषय में युक्तियां दी जा चुकी हैं। श्री गांधी के अपने लेखों से यह काफी स्पष्ट हो जाता है कि उनके मतानुसार भारत में मित्रराष्ट्रीय सेनाओं की उपस्थिति ने जापानियों के प्रतिरोध के लिए अहिंसा की रही सही उपयुक्तता को भी नष्ट कर दिया था। अपने इलाहाबाद प्रस्ताव के मसविदे में वे इस प्रकार लिखते हैं :—

> "जिन स्थानों में बृटिश और जापानी सेनाओं में लड़ाई हो रही होगी वहां हमारा जापानियों से असहयोग निष्फल और अनावश्यक होगा।"

यही धारणा हरिजन में दुहराई गयी है, जोकि निम्न उद्धरण से स्पष्ट है :—

> "मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि यदि अंग्रेज चले जायें और जनता मेरी सलाह माने, तब असहयोग आज की अपेक्षा भी कहीं अधिक कारगर सिद्ध होगा क्योंकि आज तो हिंसात्मक [illegible] कार्रवाई के साथ [illegible] होते जाने के कारण उसका [illegible] ठीक मूल्य नहीं आंका जा सकता।"

[illegible] कि मित्रराष्ट्रीय सेनाओं के [illegible] में [illegible] कार्रवाई करते हुए [illegible] थोड़ी गुंजाइश है। [illegible] भी है।

छोड़ कर—किन्तु आधुनिक भाषा में, अराजकता को सौंपकर—अलहदा हो जाना पड़ेगा, और उस अराजकता का फल कुछ समय तक गृह-युद्ध अथवा सर्वत्र डाकेजनी हो सकता है।"

"मैं ने अंग्रेजों से यह नहीं कहा कि वे भारतवर्ष को कांग्रेस अथवा हिन्दुओं के हाथ में सौंप दें। भले ही वे भारत को परमात्मा के भरोसे अथवा आधुनिक भाषा में अराजकता के हवाले कर दें। तब सारे दल एक दूसरे से कुत्तों की तरह लड़ेंगे अथवा, जब उन्हें वास्तविक उत्तरदायित्व का बोध हो जायगा, विवेकपूर्ण समझौता कर लेंगे। मैं उस अव्यवस्था और विशृंखलता में से अहिंसा के उद्भव की आशा करता हूं।"

इस विषय में श्री गांधी के सन्देहों का राजगोपालाचारी ने भी समर्थन किया था जोकि श्री गांधी को लिखित उनके पत्र (परिशिष्ट २) से स्पष्ट है।

पृष्ठ १०—११ पर वर्णित अन्तिम तीन बाह्य उद्देश्यों की विस्तृत समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। यह देखा जा सकता है कि उन तीनों में निम्न बातें समान हैं: वे भारत पर लागू नहीं होते और वे केवल भारत के प्रस्तावित आन्दोलन के संसार पर होने वाले प्रभाव से ही सम्बद्ध हैं। यह निश्चय ही अर्थपूर्ण है कि इन तीनों उद्देश्यों को प्रथम बार बम्बई के प्रस्ताव में ही स्थान दिया गया था, अर्थात् उस समय के बाद जबकि कांग्रेस की बृटेन और अमेरिका में तीव्र आलोचना की जा रही थी, क्योंकि उसे लगभग संसार भर में ही मित्रराष्ट्रों के उद्देश्य के प्रति विश्वासघाती समझा गया था। इसलिए प्रस्ताव में इन उद्देश्यों की वृद्धि इस आलोचना का ही फल समझना चाहिए। क्या इस प्रस्ताव के निर्माता सचमुच यह विश्वास करते थे कि यदि कांग्रेस की मांग मान ली गयी तब वे संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्य में बाधा पहुंचाने की बजाय सहायक हो सकेंगे, और क्या उनका ऐसा ही अभिप्राय भी था? यह दो प्रश्नों के उत्तर पर निर्भर है। १—क्या ईमानदारी से उक्त परिणाम चाहने वाली मनुष्यों की कोई भी संस्था, अपने वांछित मार्ग के स्वीकृत न होने पर, देश का ऐसे व्यापक आन्दोलन में भाग लेने के लिए आह्वान करेगी जिसका उद्घोषित उद्देश्य सम्पूर्ण शासन व्यवस्था और सम्पूर्ण युद्ध प्रयत्नों को छिन्न भिन्न करके ठीक विपरीत प्रभाव उत्पन्न करना था? २—एक वर्ष से भी कम समय पूर्व ही श्री गांधी के आदेश से घोषित किया गया था कि युद्ध में जन-धन से सहायता करना पाप है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या इससे इंकार किया जा सकता है कि इन लोगों ने बृटेन के संकट को सुअवसर समझा और संयुक्त राष्ट्रों का भाग्य पलड़े में झूलता देखकर तथा युद्ध की दिशा अपने पक्ष में बदलने से पूर्व ही—यदि कभी ऐसा होना भी था—अपनी राजनीतिक मांगों को पूरा करवाने के लिए उस मनोवैज्ञानिक घड़ी से लाभ उठाना चाहा? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर पाठक पर ही छोड़ा जाता है।

अध्याय ३

आन्दोलन का विवेचित स्वरूप

पूरी कर ली जावेगी। इस में वे सब बातें सम्मिलित होंगी जो एक सार्वजनिक आंदोलन में सम्मिलित हो सकती हैं......मैं नहीं चाहता कि इसका प्रत्यक्ष परिणाम उपद्रव हो .....यदि सब प्रकार की सतर्कताओं के होते हुए भी उपद्रव हो जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है.... मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता। इस लडाई में अपने आपको गिरफ्तार कराना सम्मिलित नहीं है। ऐसा करना एक बहुत ही सामान्य बात है.. ..मेरा इरादा है कि जहां तक सम्भव हो इसे अल्प-काल व्यापी और द्रुतगामी बनाया जाय।"

"हमारा आंदोलन बृटिश सत्ता के विरुद्ध एक निःशस्त्र विद्रोह है।"

"इसलिए मैं इस आंदोलन को भली प्रकार से चलाने के लिए प्रत्येक प्रकार की सावधानी से काम लूंगा। यदि मुझे मालूम हुआ कि अंग्रेजी सरकार या मित्र शक्तियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मैं चरम सीमा तक पहुंचने में झिझकूंगा नहीं..........।

यह आपका सब से बड़ा आंदोलन होगा ?

हां, मेरा सब से बड़ा आंदोलन।"

"प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में मेरे विचार भ्रान्त नहीं हैं। किसी प्रकार के वैयक्तिक विचार मुझे ऐसा कदम उठाने को बाध्य नहीं कर सकते जो मेरी समझ में ऐसा है जिस से देश में विनाश की अग्नि प्रज्वलित हो उठे।"

"क्या हड़ताल की सम्भावना इस योजना से बाहर की बात है ?"

गांधी जी ने कहा, "नहीं, हड़तालें अहिंसात्मक रही हैं और रह सकती हैं। यदि रेलें केवल भारत पर अंग्रेजों के प्रभुत्व को मजबूत करने के काम में लागी जाती हैं तो उनकी सहायता नहीं की जानी चाहिए।"

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भारत-छोड़ो प्रस्ताव पास करने के बाद श्री गांधी ने बम्बई की सभा में भाषण देते हुए इस बात को स्पष्ट किया था कि यह आंदोलन कांग्रेस दल का अन्तिम प्रयत्न होगा जिसके द्वारा उसे स्वतन्त्रता प्राप्त करनी ही होगी नहीं तो मिट जाना होगा।

उन्होंने कहा, "इस क्षण के बाद आप में से प्रत्येक को अपने को एक स्वतन्त्र मनुष्य अथवा स्त्री समझना चाहिए और इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए मानो आप स्वतन्त्र हैं और इस साम्राज्यवाद के पंजे से निकल गये हैं। आप मुझ पर विश्वास कीजिए कि मैं वायसराय से मंत्रिमंडल अथवा इसी प्रकार का कोई और सौदा करने नहीं जा रहा। मैं पूर्ण स्वतन्त्रता से कम किसी भी वस्तु से सन्तुष्ट नहीं हो सकता हूं..... हम करेंगे या मरेंगे। या तो हम भारत को स्वतन्त्र करेंगे अथवा इस प्रयत्न में मर मिटेंगे।"

अन्त में श्री गांधी के वे प्रसिद्ध शब्द दिये जाते हैं जो उन्होंने कार्यसमिति द्वारा १४ जुलाई के प्रस्ताव के पास किये जाने के बाद वर्धा में पत्र प्रतिनिधियों के सम्मेलन में कहे थे जिन से साफ साफ पता चलता है कि किस प्रकार उस प्रारम्भिक स्थिति में भी वे अन्तिम संघर्ष के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध थे :—

"अब पीछे हटने या [illegible] करने के लिए इस प्रस्ताव में कोई स्थान

और श्री शंकर राव देव ने विद्यार्थियों से खुले आम इस आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि यदि श्री गांधी और दूसरे नेता गिरफ्तार हो जायें तो वे कांग्रेस की बागडोर को अपने हाथ में ले लें।

स्थानाभाव के कारण इस अवधि में दिये कांग्रेस नेताओं के पूरे भाषण या उनसे आंशिक उद्धरण नहीं दिये जा सकते, किन्तु निम्न संकलन उनकी मुख्य विचारधाराओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दिया जाता है।

इलाहाबाद में २७ जुलाई को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसानों की सार्वजनिक सभा में जो शब्द कहे थे, वे उनके भाषणों का प्रतिनिधित्व करते हैं. उस समय आप ने उन्हें चेतावनी दी थी कि देश में बहुत शीघ्र सामूहिक आंदोलन होने वाला है जिसमें प्रत्येक किसान का कर्तव्य है कि वह इस आंदोलन को भली प्रकार समझे और इस प्रेरणा पर कार्य करे। दूसरे भाषणों मे आप ने इस बात को स्पष्ट किया कि कांग्रेसजनों के सामने जान बूझ कर जेल जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और आगे आने वाली इस भयानक परीक्षा में सम्भव है कांग्रेस ही नष्ट हो जावे, परन्तु उसकी भस्म से एक स्वतन्त्र भारत का उदय होगा।

> "भारत ने अब इस संसार-व्यापी आंधी मे कूद पड़ने का पक्का इरादा कर लिया है। कुछ सप्ताहों मे सामूहिक आंदोलन हमारे सम्मुख आ जावेगा। यह हमारा अंतिम संघर्ष होगा और हमें बुरी से बुरी घात के लिए तैयार रहना चाहिए।"

अंत में, बम्बई मे अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस महासमिति की बैठक के अवसर पर पंडित नेहरू ने कहा था कि कांग्रेस ने अपनी नौकाओं को जला दिया है (अर्थात् अब वह पीछे कदम न हटायेगी) और अब वह एक अंतिम और दृढ़ संग्राम के लिए अग्रसर होने को है।

२१ और २२ जुलाई को बिहार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के अवसर पर बाबू राजेन्द्र प्रसाद ने जो भाषण दिया था, नीचे उसका एक अंश उद्धृत किया जाता है :

> "एक बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और वह यह है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे जनता का साहस क्षीण हो जावे। गांधी जी के विचारानुसार यह आंदोलन देश-व्यापी आग लगा देगा और यह आग तभी बुझ सकेगी जबकि या तो देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जावेगी या कांग्रेस संगठन को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जायेगा।"

सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्हों ने विशेषकर विद्यार्थियों की ओर अपना ध्यान लगाया था अहमदाबाद में विद्यार्थियों की सभा में भाषण देते हुए कहा कि १९१९ से लड़े जाने वाले संघर्ष में से किसी एक विषय को उन्हें चुन लेना चाहिए. कांग्रेस यह बतलाने के लिए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नहीं आवेगी। उन्हें पहल करनी चाहिए और परिस्थितियों मे जो भी उचित मालूम हो वैसा ही करना चाहिए. उन्हें अपने आप को स्वतन्त्र व्यक्ति समझना चाहिए और सरकार की सब आज्ञाओं का उल्लंघन करना चाहिये, उन्हें हर संदेश को घर घर पहुंचाना चाहिये क्योंकि अधिकांश समाचार-पत्र बंद कर दिये जावेंगे, इसके लिए आवश्यक होगा कि वे जीवित समाचार-पत्र बन जावें। यदि वे

[illegible] में असफल रहे तो अपमान के अतिरिक्त उनके हाथ और कुछ भी नहीं लगेगा।

बम्बई कांग्रेस के तत्वावधान में की गई एक जन सभा के अवसर पर बोलते [illegible] ने कहा कि आने वाले संघर्ष में उन्हें युद्ध सामग्री [illegible] के मजदूरों, रेलों में काम करने वालों और दूसरों से [illegible] के भारत से चले जाने तक काम बंद कर देना चाहिए। [illegible] भाषण में एक अंश नीचे दिया जाता है :

कि श्री शंकर राव देव तथा सर्दार वल्लभ भाई पटेल ने की, जिन्हें ऊपर उद्धृत किया गया है।

श्री गांधी द्वारा निर्धारित आंदोलन के सामान्य स्वरूप और उनके सहकारियों द्वारा उसकी सार्वजनिक व्याख्या के सम्बन्ध मे काफी कुछ कहा जा चुका है। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की बम्बई मे होने वाली बैठक के पूर्व आंदोलन के चलाने के संबन्ध मे किस हद तक विस्तृत आज्ञाएं विद्यमान थीं और क्या वे आज्ञाएं आंदोलन-की साधारण रूपरेखा, जिसे ऊपर चित्रित किया गया है, के अनुरूप थीं ?

पहला उदाहरण फिर हरिजन से लिया जायेगा। ९ अगस्त की प्रति मे "अहिंसात्मक असहयोग के तरीके" शीर्षक लेख निकला था। यद्यपि इसमे आगामी आंदोलन सम्बन्धी निश्चित आदेश नहीं दिए गए थे, फिर भी यह बिलकुल स्पष्ट है कि वह लेख इसी प्रसङ्ग के लिये था। उसमे सरकार को शक्तिहीन करने के उपायों और हड़तालों के संगठित करने का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उद्धृत किये गये उदाहरण की विशेषता जातीय भावना है जो हर स्थान पर संघर्ष का अंग है। श्री गांधी के प्रवक्ता के० जी० मशरूवाला द्वारा संपादित हरिजन के आगामी दो अंकों में आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को चलाने के संबन्ध मे विशद आदेश दिये गये थे, जिसके बारे मे आगे चल कर बतलाया गया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की बंबई वाली बैठक के पूर्व मद्रास, संयुक्त प्रांत, विहार और निस्सदेह दूसरे प्रांतों के कांग्रेस संगठनों के द्वारा भी आदेश प्रचारित किये गये। स्थानाभाव के कारण उनको विस्तार से उद्धृत नहीं किया जा सकता। हमारा तात्कालिक उद्देश्य तो श्री गांधी द्वारा निर्धारित साधारण कार्यक्रम से लेकर स्थानीय कांग्रेस संस्थाओं द्वारा विस्तृत आज्ञाओं के जारी होने तक के कार्य में क्रमिक उन्नति तथा नैरन्तर्य प्रदर्शित करना है। यह उद्देश्य इन आज्ञाओं की केवल एक शृंखला की समीक्षा से सिद्ध हो जायगा। इस कार्य के लिए मद्रास मे प्रकाशित आदेशों को लीजिए। सार्वजनिक आज्ञा-भंग कार्यक्रम की निश्चित रूपरेखा के विषय मे आदेशों की माला आंध्र और तामिलनाड कांग्रेस समितियों द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो मान लेना चाहिए, डाक्टर पट्टाभी सीतारमैया की स्वीकृति से जारी हुई थी। पूरे आदेश परिशिष्ट संख्या ४ के रूप मे दिये गये हैं। यहां यह बताना पर्याप्त है कि यद्यपि रेलों की पटरियों को उखाड़ना इन आदेशों में विशेष रूप से मना कर दिया गया था, फिर भी इस प्रतिबन्ध को नेताओं की गिरफ्तारी के फौरन बाद लिखित संशोधन द्वारा हटा दिया गया था।

कांग्रेस नेताओं के अधिक स्पष्ट तथा विशिष्ट सुझावों से लेकर आंध्र कांग्रेस की जैसी अन्तिम आज्ञाओं तक श्री गांधी के साधारण विचारों की क्रमगत उन्नति अत्यधिक दिलचस्पी का विषय है। इस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर रेलों के, डाकों में और सेनाओं की गतिविधि में बाधा पहुंचाने की श्री गांधी की हिदायतों ने, अंत में गाड़ी की जंजीरों को खींचने, बिना टिकट के सफर करने, रेलवे पटरियों को उखाड़ने, टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों को काटने और सेना को निर्लिप्त करने आदि का रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार का क्रमिक विकास आंदोलन के दूसरे अंगों मे भी पाया जाता है।

श्री गांधी के विचारों से सब से अधिक सादृश्य "अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का १२-बिन्दु कार्यक्रम" नामक आज्ञाओं का है। इस कार्यक्रम के विभिन्न अंगों में और गांधी जी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि उसे तालिका के रूप में देना सर्वोत्तम समझा गया है। यह तालिका परिशिष्ट ५ के रूप में दी गयी है।

उपक्रमों ने वस्तुतः क्या स्वरूप धारण किया और इनमें कांग्रेस का कहां तक भाग था, इस पर विचार करने के पूर्व हम अब तक जिन निष्कर्षों पर पहुंचे हैं उनकी संक्षेप में समीक्षा कर लेनी चाहिये।

कांग्रेसी नेताओं की गिरफतारी पर कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए जोर दिया गया था। विस्तार में इस आंदोलन मे सामूहिक प्रदर्शन की सभी संभव बातें सम्मिलित की जाने वाली थीं और इनका लक्ष्य सरकारी सत्ता की अवहेलना करना था, रेलों को रोकना और उनका विनाश करना, सेना की गतिविधि मे बाधा डालना, टेलीग्राफ और टेलीफोनों को काटना, हड़तालों को उभारना और 'कर-नहीं', 'लगान-नहीं' आन्दोलन को उत्तेजित करना, सामूहिक रूप से पुलिस, सेना और सरकारी नौकरों को अपने कर्तव्यपथ से विचलित करना—ये सब वैयक्तिक कार्यक्रम के अंग थे।

८ अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने अत्यन्त व्यापक पैमाने पर सामूहिक आन्दोलन प्रारंभ करने के विषय मे एक प्रस्ताव अत्यधिक बहुमत से स्वीकार किया।

अध्याय ४

उपद्रवों का स्वरूप

९ अगस्त को प्रातः काल श्री गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेता बम्बई में गिरफ्तार कर लिये गये, और इसके साथ ही साथ देश भर में प्रमुख कांग्रेसजनों की धर पकड़ की गयी। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या शायद कुछ सैकड़ों से अधिक नहीं थी। चूंकि उस समय से ही बराबर इन उपद्रवों को कथित "सरकारी दमन" का परिणाम बताने के सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं, यह जान लेना महत्त्वपूर्ण है कि वास्तव मे इस विद्रोह में यह केवल पहला अवसर था जब सरकार ने पहल की। इसके पश्चात जो भी घटनाएं घटीं वे सब दूसरे पक्ष द्वारा किये गये कार्यों का परिणाम थीं, कारण नहीं। गिरफ्तारियों की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूप से साधारण थी। ९ अगस्त को बम्बई, अहमदाबाद और पूना मे उपद्रव हुए, परन्तु शेष सारा देश शान्त रहा। १० अगस्त को उपद्रव दिल्ली तथा संयुक्त प्रान्त के कई एक नगरों मे हुए; किन्तु फिर भी और कहीं मे गम्भीर प्रतिक्रिया के समाचार नहीं मिले। स्थिति तीव्र गति से बिगड़नी ११ अगस्त से शुरू हुई। इसके बाद मे हड़तालों, विरोधी सभाओं और इसी प्रकार के प्रदर्शनों को छोड़कर (जिनकी आशा की जाती थी) भीड़ द्वारा हिंसात्मक सामूहिक बलवे, अग्नि-कांड, हत्याएं और विनाश के अन्य कृत्य भी किये गये। इनमे से प्रायः सभी मामलों मे बलवाइयों का लक्ष्य या तो सब प्रकार के यातायात के साधन (रेल, तार और डाक सहित) थे या पुलिस थी। इसके अतिरिक्त ये बलवे मद्रास, बम्बई, बिहार, मध्य तथा संयुक्तप्रान्तों में भी दूर फैले हुए स्थानों में लगभग एक ही साथ शुरू हुए। अंततोगत्वा, इन बलवों द्वारा किया गया नुकसान इतना व्यापक था कि उत्तेजना में आकर बिना किसी योजना के और विशिष्ट यन्त्रों के बिना इस प्रकार के कार्यों की सम्भावना नहीं की जा सकती। और कई स्थानों पर इस प्रकार के काम किये गये जिनसे टेकनिकल ज्ञान का पूरा पूरा परिचय मिलता है। रेलवे स्टेशनों के कंट्रोल रूम और ब्लाक इंस्ट्रूमेंटों (तार आदि भेजने के यन्त्रों) को छांट छांट कर नष्ट किया गया। इसी प्रकार की टेकनिकल योग्यता का परिचय लक्ष्य-स्थानों को चुनने और उन्हें नष्ट करने से मिलता है, ये स्थान रेलवे, तार और डाकघरों, लाइनों

का पता चला है जहां लोग अपने घरों से ४० मील दूर रेल की पटरी उखाड़ने आदि में लगे थे। और यही सब नेता—श्री गांधी को छोड़कर—दो साल से भी कम हुए गिरफ्तार किये गये थे; उस समय रत्ती भर भी भारत की शान्ति भंग नहीं हुई थी।

बड़े शहरों मे जहां पहले पहल बलवे हुए स्थिति पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया, यद्यपि ऐसा करने में बहुत बड़ी भीड़ की हिंसात्मक कार्यवाही के सम्मुख गोली चलाने को बाध्य होना पड़ा। बाद में उपद्रव शहरों से देहात में फैल गये जहां जैसा कि कहा जा चुका है, सब उपद्रवों का एक सामान्य लक्षण था—वह था दूर दूर के स्थानों पर होने वाली घटनाओं मे एक प्रकार का सादृश्य। इस सादृश्य की ओर तुरन्त ही सब का ध्यान आकृष्ट हो गया। मुसलमानों ने प्राय. इन बलवों में भाग नहीं लिया। मजदूरों ने भी—यद्यपि कहीं कहीं वे काम बंद करने की लालसा पर काबू न पा सके और कहीं कहीं प्रत्यक्ष राजनीतिक दबाव के सामने उन्हें झुकना पड़ा—साधारणत. प्रशंसनीय संयम से काम लिया। कहीं भी सार्वजनिक हड़ताल नहीं हुई और शीघ्र ही सब मिलों और कारखानों में काम शुरू हो गया। केवल अहमदाबाद के मिल ही एक महत्त्व पूर्ण अपवाद हैं, इन मिलों पर विशेष राजनीतिक दबाव डाला गया था और उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध थी।

गिरफ्तारियों के बाद पहले दो सप्ताहों में न्यूनाधिक वेग के साथ मुख्यतः मध्यप्रांत, बिहार और संयुक्तप्रांत मे उपद्रव जारी रहे, तीसरे सप्ताह तक जनता में सामूहिक हिंसा के प्रति विरोध की भावना प्रकट होने लगी और चौथे सप्ताह तक आसाम को छोड कर अन्य सारे प्रांतों में कठोर कार्यवाही के फल स्वरूप अराजकता को दबा दिया गया। आसाम में उसी प्रकार के दंगे होने लगे जैसे पहले अन्य स्थानों में हुए थे। जेलों में अनुशासन भंग करना कांग्रेस के कार्यक्रम के अन्तर्गत था। कई प्रान्तों की जेलों मे नियमित रूप से विद्रोह हुए। छठे सप्ताह तक पूर्वी प्रांतों को छोड़ कर देश के अधिकांश भाग में साधारण वातावरण की स्थापना हो गई थी, हिंसात्मक सामूहिक दंगों का पहला अध्याय समाप्त होने के साथ साथ तीन नई प्रवृत्तियां प्रकट होने लगीं। पहिले तो पुराने तरीके के अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन के चिन्ह प्रकट होने लगे। दूसरे, कानूनी सत्ता को उलटने के लिए विद्रोही दलों के प्रयत्नों के असफल रहने के परिणाम स्वरूप भीषण अपराधों का सूत्रपात होने लगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई (जिसकी अनुभवी प्रेक्षकों को पहले से ही आशा थी) कि जब खुले विद्रोह के प्रयत्नों की असफलता को अनुभव कर लिया गया तो आतंकवाद की ओर झुकाव दिखाई पड़ने लगा। लूट मार, आंतरिक विनाश तथा सरकारी कर्मचारियों पर हत्यामूलक आक्रमण जारी रहे। बम्बई, मध्यप्रांत तथा संयुक्तप्रांत में बमों का भी प्रयोग किया गया। पहले तो ये बम निम्न कोटि के तथा प्रभावहीन थे, लेकिन शीघ्र ही उनमें नये सुधार किये गये। आन्दोलन के बारहवें सप्ताह तक ऐसे बमों तथा अन्य विस्फोटकों का जिन में कुछ अत्यन्त भयानक किस्म के थे, व्यापक रूप से तथा विशेषकर बम्बई प्रान्त में प्रयोग किया जाने लगा था।

'अहिंसात्मक' सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के प्रयत्न विफल सिद्ध हुए। श्री गांधी की वर्षगांठ के अवसर से कुछ प्रोत्साहन प्राप्त होने के बावजूद इस कार्यक्रम के प्रति सार्वजनिक रूप से कोई उत्साह प्रकट नहीं किया गया। नवम्बर के अन्त

रखा गया।" इस में यह स्वीकार किया गया कि अत्यन्त अधिक उत्तेजना प्राप्त होने पर हिंसा का कुछ प्रयोग अवश्य किया गया है लेकिन उपद्रवों की भीषणता तथा व्यक्तिगत और सामूहिक अहिंसा के आश्चर्यजनक प्रदर्शन की तुलना में हिंसा का प्रयोग बहुत कम रहा है। लेकिन यह 'आश्चर्यजनक प्रदर्शन' क्या है यह आगे स्पष्ट किया गया है :—

"सबसे पहले मैं अहिंसा के सबन्ध मे गांधी जी, कार्यसमिति तथा अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी के दृष्टिकोण के भेद का स्मरण दिलाना चाहता हूं। गांधी जी किसी भी दशा में अहिंसा से टलना नहीं चाहते हैं। उनके लिये यह धार्मिक विश्वास तथा जीवन सिद्धान्त का प्रश्न है। कांग्रेस के लिये यह ऐसा नहीं है।" आगे कहा गया है, "मैं यह कह देना चाहता हू कि यह स्वीकार करते हुए मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि यदि वीरतापूर्ण अहिंसा का काफी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाय तो हिंसा की आवश्यकता न पड़ेगी। लेकिन जहां ऐसी अहिसा नहीं है वहां धार्मिक पेचीदगियों से लिपटी हुई कायरता से मैं क्रान्ति की प्रगति को रोक कर उसे विफल नहीं होने देना चाहता हूं।" विज्ञप्ति के अन्त में 'क्रान्ति के अन्तिम अध्याय' की तैयारी के लिये आदेश दिये गये हैं। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 'तैयारी का अर्थ यह नहीं है कि इस बीच मे लड़ाई बिलकुल बन्द कर दी जायगी। नहीं, "छिट पुट मुठ-भेड़ें" "सीमाओं पर गतिविधियां" "छोटे छोटे झगड़े", "रात में शत्रु पर गोली चलाना", "गश्ती देखभाल" आदि सब कार्य जारी रहने चाहिये। ये बातें स्वय आक्रमण के लिये तैयारियों के रूप में हैं।'

९ अगस्त १९४२ के बाद जो उपद्रव हुए उनकी व्यापकता और हिंसात्मक प्रवृत्ति को देख कर कुछ लोग यह सुझाने के प्रयत्न करने लगे कि यह कांग्रेस का आन्दोलन नहीं है बल्कि सार्वजनिक नेताओं के विरुद्ध सरकार की कार्यवाही के कारण जनता का क्षोभ स्वयं फूट पड़ा है। इस सुझाव के विरुद्ध स्वयं घटनाक्रम को प्रमाण में रखा जा चुका है। यह सुझाव इस निराधार धारणा पर आश्रित है कि सारी जनता या कम से कम उसका बहुत बड़ा भाग देश भर में संयुक्त रूप से एक व्यक्ति के रूप में अपने अन्धक्रोध को प्रकट करने के लिये उठ खड़ा हुआ। वास्तविक घटनाओं से इसकी पुष्टि नहीं होती। मुसलमान तथा परिगणित वर्ग पूर्ण रूप से तथा संगठित मजदूरों का बहुत बड़ा भाग इस आन्दोलन से बिल्कुल पृथक रहा तथा देश के बहुत से बड़े बड़े प्रदेशों मे किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ। यद्यपि बम्बई की गिरफ्तारियों की सूचना देश भर में फैल गई थी तथा ९ अगस्त को देश भर में एक साथ गिरफ्तारियां की जा रही थीं, फिर भी उपद्रव केवल बम्बई के क्षेत्र में हुए और शेष सारा देश शान्त बना रहा। इसके अतिरिक्त गिरफ्तारियों के बाद के दूसरे सप्ताह मे बम्बई से दूर के प्रान्त या तो बिल्कुल शान्त रहे या उन पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। इस बात को दृष्टि में रखकर भी यह सुझाव ठीक नहीं मालूम पड़ता कि आन्दोलन से बुरी तरह प्रभावित कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के बाद ही कानूनों का पालन करने वाली जनता में इस बात की निश्चित रूप से इच्छा पैदा होने लगी थी कि और अधिक उपद्रवों को रोकने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि से बचाने में वह सरकार को सहयोग प्रदान करें।

चूंकि एकाएक उग्र उपद्रव होने का सुझाव गिरफ्तारी के बाद की घटनाओं से ठीक सिद्ध नहीं होता है, इसलिये प्रश्न उठता है कि उनके लिये जिम्मेदार कौन था? श्री गांधी जी कांग्रेस के संगठन में किसी पद पर न होते हुए भी वास्तव

जारी किये गये निर्देशों का गड़बड़ी उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भाग रहा है। उदाहरण के लिये बम्बई से केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के लिये १२ अगस्त को भेजे गये गुप्त निर्देशों में यह भी सम्मिलित था :

"महत्वपूर्ण दफ्तरों, इमारतों, डाकघरों, सरकारी इमारतों, रेलों आदि में आग लगा दो, इमारतें गिराओ, परचे छाप कर बांटो, पत्थर रखकर रेल-गाड़ियां उलट दो, सड़कों पर लगे हुए समस्त खम्भे उखाड़ डालो, सड़कों की बत्तियां हटा दो, सब दूकानें, दफ्तर आदि बन्द कर दो, गमनागमन में बाधा डाल दो। यहां जो कुछ प्रतिदिन हो रहा है उसमें से ये थोड़े से काम हैं। यहां हम बड़ा ही विकट काम करने में समर्थ हैं।"

इन निर्देशों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया जिसमें कुछ भी नहीं छूटा था। इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि स्थानीय कांग्रेसी हुल्लड़बाजों के अधिक साहसपूर्ण आयोजनों की तैयारी को इनसे आवश्यक उत्तेजन प्राप्त हुआ। नगरों में हुए पहले उपद्रवों पर जब काबू कर लिया गया तो विद्यार्थी और छिपे हुए कांग्रेसी कार्यकर्त्ता बम्बई के निर्देशों को लेकर देहातों में फैल गये जहां तत्काल ही उनका प्रभाव प्रकट होने लगा। इस बात की पुष्टि २७ नवम्बर १९४२ को जारी किये गये "अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के निर्देश सं० ११" (परिशिष्ट ४) से होती है जिसमें इनका उल्लेख है :—

"(अ) वे सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्त्ता जिन्होंने देहातों में विद्रोह की अग्नि फैलाई है और जो अब भी पकड़े नहीं गये हैं।"

"(ब) वे विद्यार्थी जिन्होंने अपने कालेज और स्कूल छोड़ दिये हैं और जिन्होंने देहातों के विद्रोह का नेतृत्व ग्रहण कर लिया है।"

कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं और बम्बई के निर्देशों के पहुंच जाने पर पहले से जानबूझ कर तैयार की गई योजना के अनुसार विस्तृत क्षेत्र में उपद्रव होने की जो बात कही गई है वह तो निर्विवाद घटनाओं से मेल खाती है, परन्तु स्वतः उठ खड़े होने वाले सामूहिक आन्दोलन का सिद्धान्त घटनाओं से मेल नहीं खाता। इतने से ही कांग्रेस दल के विरुद्ध मिला प्रमाण समाप्त नहीं हो जाता। यदि संयोग कहा जाय तो यह विचित्र संयोग की बात है कि जिन चार प्रान्तों अर्थात् बम्बई, मध्यप्रान्त, बिहार और युक्त-प्रान्त में सब से अधिक उपद्रव हुए हैं, उनमें कांग्रेस के सब से अधिक शक्तिशाली संगठन थे और १९३७ से १९३९ तक विशाल बहुमत के आधार पर बने हुए उनमें कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल थे। इसका अपवाद और भी अधिक महत्वपूर्ण है। मद्रास में जहां कांग्रेस का संगठन बड़ा मजबूत है तथा जहां कांग्रेसी सरकार का काफी बहुमत था, जो कुछ भी उपद्रव हुए वे बहुत थोड़े क्षेत्र तक ही सीमित रहे। इसी प्रान्त के भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता 'भारत-छोड़ो' नीति के विरुद्ध थे। अन्य प्रान्तों में, जहां गैर-कांग्रेसी या सम्मिलित मंत्रिमंडल बनाये गये थे, ऊपर कहे गये अन्य चार प्रान्तों की अपेक्षा बहुत साधारण रूप में ही उपद्रव हुए (कांग्रेस के प्रमुख केन्द्र मिदनापुर को छोड़कर)। यह कहा गया है कि कुछ समाचार पत्रों ने घटनाओं के समाचारों, लेखों तथा [illegible] जो अनुचित और [illegible] जान बूझकर [illegible] किया उसके कारण देश भर में [illegible] और [illegible] रूप से [illegible] गये। [illegible]

अर्थात् विद्रोह के लिये महत्वपूर्ण स्थिति मे जमा लिया होगा और अगस्त के प्रारम्भिक दिनों मे उसने बम्बई में अपने गुरुओं की कार्रवाईयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होगा। उनकी गिरफ्तारियाँ उस के लिये सरकार की ओर से की गयी युद्धघोषणा है। तब क्या वह रणक्षेत्र से हट सकता है ? अपने गांव मे कांग्रेस दल के प्रतिनिधि के नाम से विख्यात होने पर क्या वह मौन और निष्क्रिय रह सकता है—इस दशा मे स्वाभाविक ढंग से यही माना जायगा कि कांग्रेसी नेताओं की गिरफ़्तारी के बाद होने वाले उपद्रवों का उन्हीं लोगों ने आयोजन किया था जो वर्षों से इन गिरफ़्तार किये गये नेताओं से आदेश प्राप्त करते रहे हैं। इस बात का समर्थन करने के लिए बहुत सा प्रमाण उपलब्ध है। जो उदाहरण दिये जायेंगे वे उपस्थित किये जा सकने वाले प्रमाण का केवल थोड़ा सा भाग ही है और समस्त प्रमाण केवल उन घटनाओं का एक अंश मात्र है जो विदित हो चुकी हैं और आंदोलन के अब भी जारी रहने के कारण प्रकट नहीं की जा सकतीं।

समस्त प्रमाण मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् कांग्रेसियों द्वारा किये गये हिंसापूर्ण कार्य और हिंसा को उत्तेजन देने के लिए कांग्रेसियों द्वारा लिखे गये लेख। उपद्रवों में प्रमुख कांग्रेसियों द्वारा खुले तौर पर भाग लेने की घटनाओं की संख्या स्वभावतः अधिक नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के महत्वपूर्ण नेता होने का पता था उनमें से अधिकांश को आरम्भ में ही पकड़ लिया गया था और जिन्होंने अपने आप को गिरफ़्तार होने से बचा लिया था उन्होंने अपने पते की कोई सूचना नहीं दी। यहां जिन कांग्रेसियों का उल्लेख किया जायगा उन मे से अधिकांश यद्यपि अपने प्रान्तों अथवा जिलों से बाहर प्रसिद्ध नहीं हैं तथापि अपने अपने स्थानों मे अच्छी तरह प्रसिद्ध हैं—और यदि इन स्थानों में साधारण जनता से यह प्रश्न किया जाय कि कांग्रेसी नेताओं की गिरफ़्तारी के बाद होने वाले उपद्रवों के लिए क्या कांग्रेसी उत्तरदायी हैं तो निस्सन्देह उत्तर होगा 'हां'।

यह उपयुक्त होगा कि उपद्रवों में कांग्रेस के सम्मिलित होने का उदाहरण दिया जाना श्री गांधी के हैडक्वार्टर्स, वर्धा के उदाहरण से प्रारम्भ किया जाय। ११ अगस्त को वर्धा के एक प्रमुख कांग्रेसी के बेटे ने, जो बम्बई मे अखिल भारतीय कांग्रेस महा-समिति की बैठक में भाग लेकर लौटा था, एक सार्वजनिक सभा में कांग्रेस कार्यक्रम पढ़ कर सुनाया। इसमे स्कूल और रेलों की हड़तालें और टेलीग्राफ तथा टेलीफ़ोन के तार काटना सम्मिलित था। जिला सुपरिंटेंडेंट पुलिस कार्यक्रम की प्रति पा लेने में सफल हो गए परन्तु पुलिस दल पर भीड़ ने तत्काल ही आक्रमण कर दिया। इसी दिन वर्धा के व्यापारिक कालेज के एक प्रोफेसर ने, जिसने श्री गांधी की गिरफ्तारी पर अपने पद से स्तीफा दे दिया था, एक भीड़ के सम्मुख भाषण दिया जिसमें पुलिस का बहिष्कार करने का आग्रह किया गया और व्यापारियों को धमकी दी गई कि यदि उन्हों ने कोई वस्तु पुलिस के हाथ बेची तो उनकी दुकानें लूट ली जायंगी। उस ने यह भी कहा कि वर्धा में पुलिस की गोली से जो दो आदमी मारे गए हैं उनकी मृत्यु का बदला लिया जायगा और दो आदमी के बदले दो सौ कांस्टेबलों के बराबर मारे जायेंगे। इन भाषणों के परिणामस्वरूप एक डाकघर और थाने के कागज-पत्र जला दिये गए और टेलीग्राफ के तार और खम्भे तोड़ डाले गये। मध्यप्रांत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री,

एक न सुनी; और यह उसके सौभाग्य की चरम सीमा थी कि वह वहां से जीता जागता घर लौट सका।

उड़ीसा में कोरापुट के पिछड़े हुए पहाड़ी जिले में हुए आन्दोलन का विवरण रोचक है। कांग्रेस ने यहां अपना एक संगठन किया था और यह आकर्षक वचन देकर इन पिछड़ी हुई जातियों पर अपना प्रभाव जमा लिया था कि स्वराज्य हो जाने पर न तो लगान और कर देने पड़ेंगे और न जगलात के कानून ही रहेंगे। उनके अन्धविश्वास से भी कांग्रेस ने लाभ उठाया और कुछ क्षेत्रों में तो श्री गांधी को देवता बना दिया गया और कांग्रेस के दफ्तरों में मन्दिर के समान उनकी पूजा की गयी। जिला कांग्रेस कमेटी से निर्देश पाते ही छोटे कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने शीघ्र ही यह समाचार फैला दिया कि बृटिश राज्य का अन्त हो गया है और पुलिस-थानों पर आक्रमण किये जाने चाहिए। कुछ दिनों तक हिंसात्मक उपद्रव होते रहे परन्तु अन्त में स्थानीय अधिकारियों ने परिस्थिति काबू में कर ली और चूंकि आन्दोलन बिल्कुल झूठे वचनों पर आधारित किया गया था इसलिए वह जितना जल्द फैला था उतनी ही शीघ्रतापूर्वक ठंडा भी हो गया। पड़ोस के पर्गने की पहाड़ी जाति में कोई उपद्रव नहीं हुआ और यह केवल इसलिए कि वहां कांग्रेस अपना संगठन नहीं कर पायी थी। इस प्रान्त में सब से भीषण घटना बालासोर जिले के एराम नामक स्थान पर हुई। यहां कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, सशस्त्र पुलिस का जो दल आया था उसे चार पांच हजार लोगों की भीड़ ने घेर लिया। पुलिस दल के आने पर ये लोग गांव-गांव से शंख बजाकर इकट्ठे किये गये थे। उन्होंने तितर-बितर हो जाने की आज्ञा की अवहेलना की। अन्त में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिससे २५-२६ आदमी मारे गये और प्रायः ५० घायल हो गये। माल के कमिश्नर और पुलिस के इन्सपेक्टर-जनरल ने घटना की सम्मिलित रूप से जांच की जिससे पता चला कि जितनी गोली चलायी गयी वह पूर्णतः उचित थी। इनकी रिपोर्ट से प्रकट हुआ कि ये उपद्रव किसी भी प्रकार आकस्मिक नहीं थे वरन् अनभिज्ञ ग्रामीणों में उनकी आर्थिक कठिनाइयों की दुहाई देकर शरारती राजनीतिज्ञों ने जान-बूझ कर इन्हें भड़काया था। इस मामले का मुख्य नायक कांग्रेसी एम० एल० ए० श्री जगन्नाथदास का एक समर्थक था।

कांग्रेसियों के नेतृत्व में सरकारी इमारतों पर किये गये सामूहिक आक्रमण की एक घटना पूर्वी युक्तप्रान्त में बलिया की एक तहसील में घटी है। यह स्थान आरम्भ में उपद्रव का मुख्य केन्द्र बन गया था। इस तहसील में दफ्तर की अच्छी इमारत थी जिसमें एक मजबूत मुहाफिजखाना और अफसरों के निवास-स्थान बने थे। एक स्थानीय कांग्रेसी के नेतृत्व में, जो कुछ समय के लिए "स्वराज्य तहसीलदार" बन बैठा था, भीड़ ने चहारदीवारी तोड़ डाली, दफ्तर का प्रत्येक कागज नष्ट कर डाला और खजाना तोड़ कर १८,००० रुपये लूट लिये। इस जिले के सदर मुकाम पर स्थानीय प्रमुख कांग्रेसियों के नेतृत्व में एक भीड़ ने चार सरकारी अफसरों और सरकार की सहायता करने वाले दो गैर-सरकारी व्यक्तियों के घरों को लूट लिया। गैर सरकारी व्यक्तियों में एक डाक्टर था जिसके चिकित्सालय की समस्त वस्तुएं बुरी तरह नष्ट कर डाली गयीं। पड़ोस के जिले आजमगढ़ में प्रायः पांच हजार व्यक्तियों की भीड़ ने जिला मजिस्ट्रेट को एक जिले के भीतरी भाग के थाने में घेर लिया। भीड़ को भगा

[illegible] जाने से पूर्व यहां दो घंटे तक जम कर लड़ाई हुई। लड़ाई आरम्भ होने से पूर्व नेताओं ने बताया कि चूंकि स्वराज्य हो गया है इसलिए वे थाने पर कांग्रेसी झंडा फहराना चाहते हैं। युक्तप्रान्त के पीलीभीत जिले मे तीन स्थानीय प्रसिद्ध कांग्रेसियों के, जिनमें जिला कांग्रेस कमेटी का एक मन्त्री भी था, संचालन में एक उत्तेजित भीड़ ने एक कांस्टेबल को केवल इसीलिए मार डाला कि वह कांस्टेबल था। बिजनौर जिले में

यह एक उदाहरण है।

अभी तक मुख्यतः सामूहिक आक्रमणों के ही उदाहरण दिये गये हैं। अग्निकांड उपद्रव और हत्या करने की व्यक्तिगत रूप से की गई घटनाओं के लिए भी कांग्रेसी समान रूप से उत्तरदायी हैं। युक्तप्रान्त में नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी के मन्त्री ने कई अवसरों पर टेलीग्राफ के तारों आदि को नष्ट करने और जंगलात के एक रेस्ट हाऊस (विश्राम स्थान) को जलाने का प्रयत्न करना भी स्वीकार किया है। मद्रास के पश्चिमी गोदावरी जिले में बड़े दिन से एक दिन पूर्व रात को पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये लोग रेलवे लाइन की ढिबरियां निकालने की तैयारी कर रहे थे। कुछ बड़े पेचकस, बरमें आदि और बारूद के दो पैकेट इनके पास से पकड़े गये। प्रतीत होता था कि वे रेल के एक पुल को उड़ा देने का प्रयत्न करना चाहते थे। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों में कई जाने हुए कांग्रेसी थे। नागपुर (मध्य प्रान्त) में फरवरी मास में पकड़े गये एक दल में वर्धा के महिला आश्रम की एक भूतपूर्व सदस्या भी थी। इस दल के पास पांच रिवालवर और कुछ कारतूस तथा विस्फोटक पदार्थ पकड़े गये। इसी समय वर्धा में एक और दल पकड़ा गया जो दो बार नकदी लूटने और आग लगाने की पांच घटनाओं के लिए उत्तरदायी था। इस दल में वर्धा के निकटवर्ती विनोबा भावे के आश्रम के सदस्य थे।

बम्बई में १४ जनवरी १९४३ को पुलिस ने एक मकान की तलाशी ली और एक रिवालवर, समय से फटने वाले बम, विस्फोटक पदार्थ और प्राणघातक बम बनाने की समस्त सामग्री बरामद की। घटनास्थल पर पकड़े गये व्यक्तियों में एक महाराष्ट्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रसिद्ध नेता था जो अखिल भारतीय चरखा संघ का प्रधान भी था। इसी प्रान्त में उपद्रवकारियों के एक दल ने बिजली के खम्भों और अन्य सामान पर नियमित रूप से आक्रमण किये। शस्त्र प्राप्त करने के लिए दल ने लूट मार की। इस दल का मुखिया, जो पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारा जा चुका है, एक प्रसिद्ध कांग्रेसी था जो स्थानीय कमेटी का मन्त्री रह चुका था। भड़ोच जिले में ७५ आदमियों के एक सशस्त्र दल ने दो कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में एक थाने पर आक्रमण किया और शस्त्र तथा नकदी उठा कर ले गया। दफ्तर का अर्दली वहां उपस्थित था। उसने भाग निकलने का प्रयत्न किया परन्तु उसे गोली चला कर घायल कर दिया गया। इन्हीं कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में एक अन्य भीड़ ने वागरा तालुका में एक पुलिस चौकी पर धावा किया, सन्तरी को मार डाला, चौकी के अन्य सिपाहियों को निहत्था कर दिया और माल तथा लूट लिया।

विद्रोह के सम्बन्ध में हुए बहुत से सामूहिक आक्रमणों के मुकदमे अब भी चल रहे हैं, परन्तु जिनका निर्णय हो गया है उनमें विद्वान जजों की सम्मतियों को विशेष महत्व देना चाहिए। बिहार का एक और मध्यप्रान्त के दो मामले विचारणीय हैं। बिहार का मामला १६ अगस्त को मुजफ्फरपुर जिले में मीनापुर थाने पर चार पांच हजार आदमियों की सशस्त्र भीड़ द्वारा किये गये आक्रमण के सम्बन्ध में है। उन्होंने थाने को लूटा और उसमें आग लगा दी, अफसरों और कांस्टेबलों को मारा और थानेदार को जिंदा जला दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये लोग कांग्रे—

[illegible] पर किये गये हैं। भीड़ के प्रमुख आदमी कांग्रेसी झंडे लिये हुए थे और कांग्रेसी नारे लगा रहे थे। थानेदार को आग में डालने वाले मुख्य अभियुक्त को (जिसे फांसी की सजा दी गयी है) थाने की छत पर कांग्रेसी झंडा फहराते हुए देखा गया था। मुकदमे में इसे प्रमाण के तौर पर पेश किया गया था। फैसले के अंत में भारतीय दंड विधान की १२१ धारा (सम्राट के विरुद्ध युद्ध करना) के अभियोग पर विचार करते हुए जज ने लिखा है :

विरुद्ध खड़े हों और केवल कांग्रेस के आदेशों को ही मानें। इस प्रकार के भयावह उपद्रव या नैतिक उत्तरदायित्व—ऐसे कृत्यों द्वारा कदाचित् ही पहले कभी यह प्रान्त निन्दा का भाजन बना हो—विशेषतः उन नेताओं पर है; जिनमें से बहुत से मेरे सम्मुख नहीं हैं और जिन्होंने जन समूह को निर्दयता और रोष की उस सीमा तक उकसाया जो अरक्षित और भोलेभाले आदमियों को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त थी। मैंने चिमूरवासियों में वास्तविक पश्चात्ताप के कुछ ही चिन्ह पाये हैं और उस अपराध की वहां तथा अन्य किसी स्थान पर इतनी निन्दा नहीं की गई जितनी कि आशा की जा सकती थी।"

दूसरे मामले में आवेशपूर्ण जनसमूह ने एक सडक पर उस सर्किल इन्सपेक्टर का पीछा किया जो पुलिस के एक छोटे से दल, जिसमें एक सब-इन्सपेक्टर भी सम्मिलित था, के साथ था। कुछ समय पीछा किये जाने के पश्चात् सब-इन्सपेक्टर ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण को जताने के लिए उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया—जिनके फलस्वरूप उसको प्राणदान प्राप्त हुआ—वे महत्वपूर्ण हैं। विशेष न्यायाधीश ने इस प्रकार उसका वर्णन किया है :

"इस अवस्था में सब-इन्सपेक्टर ने निर्णय किया कि उसकी स्थिति आशाहीन है और जनसमूह की ओर मुड़ कर उसने अपनी टोपी फेंक दी और सम्भवतः साथ ही साथ अपनी वर्दी का कुछ भाग भी तथा "महात्मा गांधी की जय" बोल उठा।

अपने सब से बड़े नेता के प्रति इस सम्मान से सन्तुष्ट न होकर जनसमूह सर्किल-इन्सपेक्टर की हत्या के लिए आगे बढ़ता गया। सब-इन्सपेक्टर के पहले कृत्यों से भी जिनका उल्लेख एक दूसरे स्थान पर किया गया है, कांग्रेस की जिम्मेदारी पर प्रकाश पड़ता है :

"यह प्रकट है कि प्रारम्भ में ही सब-इन्सपेक्टर का झुकाव बलप्रयोग की ओर न था और वह कस्बे के कांग्रेस नेताओं से समझौते की बातचीत कर रहा था। उसने १५ तारीख को प्रातः जुलूस को थाने के सामने आने दिया और इस विषय में कुछ नहीं किया। उसने नेताओं के पकड़ने का कोई भी प्रयास नहीं किया, हालांकि उसके मातहत अफसरों ने उसकी अनुपस्थिति में ऐसा करने के प्रयत्न किये थे। इस प्रकार के व्यवहार से उसने प्रभावपूर्ण रूप से पुलिस के अधिकार का परित्याग कर दिया और थाना कांग्रेस के अधिकार में आ गया। वे इस प्रकार की परिस्थिति से पूर्ण सन्तुष्ट थे और इसके बाद १६ तारीख को होने वाली घटनाएं कांग्रेस नेताओं के क्षोभ की द्योतक हैं।"

"हिंसापूर्ण अपराधों के बाद जिनमें कांग्रेस अधिकारियों ने भाग लिया था, अपराधों के लिए उन उत्तेजनाप्रद लेखों के सम्बन्ध में विचार करते हुए, जो कांग्रेस के नाम से लिखे तथा बांटे गये, यह एक बार फिर उचित होगा कि उदाहरणार्थ [illegible] की "गांधी बाबा के छः हुक्मनामे" नामक पुस्तिका से प्रारम्भ किया जाय। स्थानीय कांग्रेस कमेटी के सभी छोटे बड़े व्यक्तियों ने इसे तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों को निःसंकोच भाव से गांधी जी के अन्तिम सन्देश के प्रामाणिक शब्दों के रूप में स्वीकार किया। यह

विरुद्ध खड़े हों और केवल कांग्रेस के आदेशों को ही मानें। इस प्रकार के भयावह उपद्रव का नैतिक उत्तरदायित्व—ऐसे कृत्यों द्वारा कदाचित ही पहले कभी यह प्रान्त निन्दा का भाजन बना हो—विशेषतः उन नेताओं पर है; जिनमें से बहुत से मेरे सम्मुख नहीं हैं और जिन्हों ने जन समूह को निर्दयता और रोष की उस सीमा तक उकसाया जो अगणित और भोलेभाले आदमियों को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त थी। मैंने चिमूरवासियों में वास्तविक पश्चात्ताप के कुछ ही चिन्ह पाये हैं और उस अपराध की वहां तथा अन्य किसी स्थान पर इतनी निन्दा नहीं की गई जितनी कि आशा की जा सकती थी।"

दूसरे मामले में आवेशपूर्ण जनसमूह ने एक सड़क पर उस सर्किल इन्सपेक्टर का पीछा किया जो पुलिस के एक छोटे से दल, जिसमे एक सब-इन्सपेक्टर भी सम्मिलित था, के साथ था। कुछ समय पीछा किये जाने के पश्चात् सब-इन्सपेक्टर ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण को जताने के लिए उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया—जिनके फलस्वरूप उसको प्राणदान प्राप्त हुआ—वे महत्वपूर्ण हैं। विशेष न्यायाधीश ने इस प्रकार उसका वर्णन किया है :

"इस अवस्था में सब-इन्सपेक्टर ने निर्णय किया कि उसकी स्थिति आशाहीन है और जनसमूह की ओर मुड़ कर उसने अपनी टोपी फेंक दी और सम्भवतः साथ ही साथ अपनी वर्दी का कुछ भाग भी तथा "महात्मा गांधी की जय" बोल उठा।

अपने सब से बड़े नेता के प्रति इस सम्मान से सन्तुष्ट न होकर जनसमूह सर्किल-इन्सपेक्टर की हत्या के लिए आगे बढ़ता गया। सब-इन्सपेक्टर के पहले कृत्यों से भी जिनका उल्लेख एक दूसरे स्थान पर किया गया है, कांग्रेस की जिम्मेदारी पर प्रकाश पड़ता है :

"यह प्रकट है कि आरम्भ से ही सब-इन्सपेक्टर का झुकाव बलप्रयोग की ओर न था और वह कस्बे के कांग्रेस नेताओं से समझौते की बातचीत कर रहा था। उसने १५ तारीख की प्रातः जुलूस को थाने के सामने आने दिया और इस विषय में कुछ नहीं किया। उसने नेताओं के पकड़ने का कोई भी प्रयास नहीं किया, हालांकि उसके मातहत अफसरों ने उसकी अनुपस्थिति में ऐसा करने के प्रयत्न किये थे। इस प्रकार के व्यवहार से उसने प्रभावपूर्ण रूप से पुलिस के अधिकार का परित्याग कर दिया और कस्बा कांग्रेस के अधिकार में आ गया। वे इस प्रकार की परिस्थिति से पूर्ण सन्तुष्ट थे और इसके बाद १६ तारीख को होने वाली घटनाएं कांग्रेस नेताओं के क्षोभ की द्योतक हैं।"

"हिंसापूर्ण अपराधों के बाद जिनमें कांग्रेस कर्मचारियों ने भाग लिया था, अपराधों के लिए उन उत्तेजनाप्रद लेखों के सम्बन्ध में विचार करते हुए, जो आन्दोलन के काल में लिखे तथा बांटे गये, यह एक बार फिर उचित होगा कि उदाहरणार्थ सत्यानन्द की "गांधी बाबा के छः हुक्मनामे" नामक पुस्तिका से आरम्भ किया जाय। स्थानीय कांग्रेस कमेटी के सभी छोटे बड़े व्यक्तियों ने इसे तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयत्नों को निःशंक भाव से गांधी जी के अन्तिम सन्देश के वास्तविक शब्दों के रूप में स्वीकार किया। यह

नाम पर किये गये हैं। भीड़ के प्रमुख आदमी कांग्रेसी झंडे लिये हुए थे और कांग्रेसी नारे लगा रहे थे। थानेदार को आग में डालने वाले मुख्य अभियुक्त को (जिसे फांसी की सजा दी गयी है) थाने की छत पर कांग्रेसी झंडा फहराते हुए देखा गया था। मुकदमे में इसे प्रमाण के तौर पर पेश किया गया था। फैसले के अन्त में भारतीय दंड विधान की १२१ धारा (सम्राट के विरुद्ध युद्ध करना) के अभिप्राय पर विचार करते हुए जज ने लिखा है :

"यह साधारण ज्ञान की बात है कि देश भर में होने वाले हाल के उपद्रवों और दंगों का उद्देश्य शासन को पंगु बनाना और सरकार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों के आगे झुकने के लिए बाध्य करना था।"

साथ ही साथ मध्य प्रान्त मे अष्टी और चिमूर जैसे निन्दनीय काण्ड हुए। अष्टीकांड पर दिए गये फ़ैसले के निम्नलिखित कुछ उद्धरण हैं जो हत्याओं के सम्बन्ध में कांग्रेस की जिम्मेदारी से सम्बन्ध रखते हैं......

"लगभग ११ बजे प्रातः लगभग २५० व्यक्तियों का एक दल, कांग्रेस के साधारण नारे लगाता हुआ सीधा स्टेशन हाउस के द्वार पर पहुंचा। द्वार पर सब-इन्स्पेक्टर और हेड कान्स्टेबल इस दल को मिले। सब-इन्स्पेक्टर ने उन से बहस करने का यत्न किया, किन्तु किसी ने उसकी एक न सुनी। वह इन लोगों के साथ कांग्रेसी नारे बोलने तथा स्टेशन हाउस की इमारत पर झण्डा फहराने तक की आज्ञा देने के लिए तैयार था, परन्तु उस दल के नेता उससे यह चाहते थे कि वह नष्ट करने के लिए स्टेशन हाउस के कागजात उनके हवाले कर दे।......जब उसने यह बताया कि वह जान पर खेल कर भी सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करेगा, तो उस दल के नेताओं ने दल को अपना कार्य करने के लिए आज्ञा दी।... अब यह देखकर कि दल नियन्त्रण के बाहर हो गया है, दो कान्स्टेबलों ने गोली चला दी जिसके फलस्वरूप आधे दर्जन आदमी जमीन पर गिर गये, जिनमे से ५ आघातों के कारण मर गये। गोली चलाने से वांछित फल प्राप्त हुआ और दल २

किस प्रकार बाद मे उस सब-इन्स्पेक्टर और चार
यह बताना और बर्बरता की इस गाथा को अन्त तक सुनाना

चिमूर के उपद्रवों के फलस्वरूप एक डाक बंगले में
और एक नायब-तहसीलदार की हत्या की गयी और
एक सर्किल-इन्स्पेक्टर और कान्स्टेबल को जान से मार
उद्धरण हाई-कोर्ट के न्यायाधीश के उस निर्णय से ।८
उस मामले की समीक्षा की है जिसका सम्बन्ध पहली दो ८९

"मामले के मुख्य तथ्य विवादास्पद नहीं हैं और विशेष न्यायाधीश ने उनका अपने निर्णय मे सविस्तार वर्णन किया है। मैं केवल संक्षेप मे ही उन्हें कहूंगा : चिमूर कस्बे मे ६००० व्यक्ति रहते हैं। यह चांदा जिले के बरोरा स्थान से लगभग ३० मील दूर है, जहां से चिमूर तक सड़क जाती है। ११ अगस्त के बाद से यहां कांग्रेस की सभाएं होती रहीं जिनमें उत्तेजक भाषण दिए जाते थे और जनता को इस बात के लिए उकसाया जाता था कि वे सरकार के

विरुद्ध खड़े हों और केवल कांग्रेस के आदेशों को ही मानें। इस प्रकार के भयावह उपद्रव या नैतिक उत्तरदायित्व—ऐसे कृत्यों द्वारा कदाचित् ही पहले कभी यह प्रान्त निन्दा का भाजन बना हो—विशेषत: उन नेताओं पर है; जिनमें से बहुत से मेरे सम्मुख नहीं हैं और जिन्हों ने जन समूह को निर्दयता और रोष की उस सीमा तक उकसाया जो अरक्षित और भोलेभाले आदमियों को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त थी। मैंने चिमूरवासियों मे वास्तविक पश्चात्ताप के कुछ ही चिन्ह पाये हैं और उस अपराध की वहां तथा अन्य किसी स्थान पर इतनी निन्दा नहीं की गई जितनी कि आशा की जा सकती थी।"

दूसरे मामले में आवेशपूर्ण जनसमूह ने एक सडक पर उस सर्किल इन्सपेक्टर का पीछा किया जो पुलिस के एक छोटे से दल, जिसमे एक सब-इन्सपेक्टर भी सम्मिलित था, के साथ था। कुछ समय पीछा किये जाने के पश्चात् सब-इन्सपेक्टर ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण को जताने के लिए उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया—जिनके फलस्वरूप उसको प्राणदान प्राप्त हुआ—वे महत्वपूर्ण हैं। विशेष न्यायाधीश ने इस प्रकार उसका वर्णन किया है:

"इस अवस्था में सब-इन्सपेक्टर ने निर्णय किया कि उसकी स्थिति आशाहीन है और जनसमूह की ओर मुड़ कर उसने अपनी टोपी फेंक दी और सम्भवत: साथ ही साथ अपनी वर्दी का कुछ भाग भी तथा "महात्मा गांधी की जय" बोल उठा।

अपने सब से बड़े नेता के प्रति इस सम्मान से सन्तुष्ट न होकर जनसमूह सर्किल-इन्सपेक्टर की हत्या के लिए आगे बढता गया। सब-इन्सपेक्टर के पहले कृत्यों से भी जिनका उल्लेख एक दूसरे स्थान पर किया गया है, कांग्रेस की जिम्मेदारी पर प्रकाश पडता है:

"यह प्रकट है कि प्रारम्भ से ही सब-इन्सपेक्टर का झुकाव बलप्रयोग की ओर न था और वह कस्बे के कांग्रेस नेताओं से समझौते की बातचीत कर रहा था। उसने १५ तारीख को प्रात: जुलूस को थाने के सामने आने दिया और इस विषय मे कुछ नहीं किया। उसने नेताओं के पकडने का कोई भी प्रयास नहीं किया, हालाकि उसके मातहत अफसरों ने उसकी अनुपस्थिति मे ऐसा करने के प्रयत्न किये थे। इस प्रकार के व्यवहार से उसने प्रभावपूर्ण रूप से पुलिस के अधिकार का परित्याग कर दिया और कस्बा कांग्रेस के अधिकार मे आ गया। वे इस प्रकार की परिस्थिति से पूर्ण सन्तुष्ट थे और इसके बाद १६ तारीख को होने वाली घटनाएं कांग्रेस नेताओं के क्षोभ की द्योतक हैं।"

"हिंसापूर्ण अपराधों के बाद जिनमे कांग्रेस कर्मचारियों ने भाग लिया था, अपराधों के लिए उन उत्तेजनापद लेखों के सम्बन्ध मे विचार करते हुए, जो कांग्रेस के नाम से लिखे तथा बांटे गये, यह एक बार फिर उचित होगा कि उदाहरणार्थ मध्यप्रान्त की "गांधी बाबा के छ: हुक्मनामें" नामक पुस्तिका से प्रारम्भ किया जाय। स्थानीय कांग्रेस कमेटी के सभी छोटे बड़े व्यक्तियों ने इसे तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों को नि:शंक भाव से गांधी जी के अन्तिम सन्देश के वास्तविक शब्दों के रूप में स्वीकार किया। यह

नाम पर किये गये हैं । भीड़ के प्रमुख आदमी कांग्रेसी झंडे लिये हुए थे और कांग्रेसी नारे लगा रहे थे । थानेदार को आग में डालने वाले मुख्य अभियुक्त को (जिसे फांसी की सजा दी गयी है) थाने की छत पर कांग्रेसी झंडा फहराते हुए देखा गया था । मुकदमे मे इसे प्रमाण के तौर पर पेश किया गया था । फैसले के अन्त में भारतीय दंड विधान की १२१ धारा (सम्राट के विरुद्ध युद्ध करना) के अभिप्राय पर विचार करते हुए जज ने लिखा है :

"यह साधारण ज्ञान की बात है कि देश भर में होने वाले हाल के उपद्रवों और दगों का उद्देश्य शासन को पंगु बनाना और सरकार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों के आगे झुकने के लिए बाध्य करना था।"

साथ ही साथ मध्य प्रान्त मे अष्टी और चिमूर जैसे निन्दनीय काण्ड हुए। अष्टीकांड पर दिए गये फ़ैसले के निम्नलिखित कुछ उद्धरण हैं जो हत्याओं के सम्बन्ध में कांग्रेस की जिम्मेदारी से सम्बन्ध रखते हैं . . .

"लगभग ११ बजे प्रातः लगभग २५० व्यक्तियों का एक दल, कांग्रेस के साधारण नारे लगाता हुआ सीधा स्टेशन हाउस के द्वार पर पहुंचा। द्वार पर सब-इन्स्पेक्टर और हेड कान्स्टेबल इस दल को मिले। सब-इन्स्पेक्टर ने उन से बहस करने का यत्न किया. किन्तु किसी ने उसकी एक न सुनी। वह इन लोगों के साथ कांग्रेसी नारे बोलने तथा स्टेशन हाऊस की इमारत पर झण्डा फहराने तक की आज्ञा देने के लिए तैयार था, परन्तु उस दल के नेता उससे यह चाहते थे कि वह नष्ट करने के लिए स्टेशन हाऊस के कागजात उनके हवाले कर दे। ......जब उसने यह बताया कि वह जान पर खेल कर भी सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करेगा, तो उस दल के नेताओं ने दल को अपना कार्य करने के लिए आज्ञा दी। . . . अब यह देखकर कि दल नियन्त्रण के बाहर हो गया है, दो कान्स्टेबलों ने गोली चला दी जिसके फलस्वरूप आधे दर्जन आदमी जमीन पर गिर गये, जिनमें से ५ आघातों के कारण मर गये। गोली चलाने से वांछित फल प्राप्त हुआ और दल इधर उधर भाग निकला।"

किस प्रकार बाद मे उस सब-इन्स्पेक्टर और चार कान्स्टेबलों की हत्या की गई, यह बताना और बर्बरता की इस गाथा को अन्त तक सुनाना अनावश्यक है।

चिमूर के उपद्रवों के फलस्वरूप एक डाक बंगले मे एक सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट और एक नायब-तहसीलदार की हत्या की गयी और थोड़ी ही देर बाद पुलिस के एक सर्किल-इन्स्पेक्टर और कान्स्टेबल को जान से मार डाला गया। निम्न लिखित उद्धरण हाई-कोर्ट के न्यायाधीश के उस निर्णय से दिये जाते हैं जिसमे उन्होंने इस मामले की समीक्षा की है जिसका सम्बन्ध पहली दो हत्याओं से है :

"मामले के मुख्य तथ्य विवादास्पद नहीं हैं और विशेष न्यायाधीश ने उनका अपने निर्णय मे सविस्तार वर्णन किया है। मैं केवल संक्षेप मे ही उन्हें कहूंगा : चिमूर कस्बे मे ६००० व्यक्ति रहते हैं। यह चांदा जिले के वरोरा स्थान से लगभग ३० मील दूर है, जहां से चिमूर तक सड़क जाती है। ११ अगस्त के बाद से यहां कांग्रेस की सभाएं होती रहीं जिनमे उत्तेजक भाषण दिए जाते थे और जनता को इस बात के लिए उकसाया जाता था कि वे सरकार के

विरुद्ध खड़े हों और केवल कांग्रेस के आदेशों को ही मानें। इस प्रकार के भयावह उपद्रव या नैतिक उत्तरदायित्व—ऐसे कृत्यों द्वारा कदाचित् ही पहले कभी यह प्रान्त निन्दा का भाजन बना हो—विशेषतः उन नेताओं पर है; जिनमें से बहुत से मेरे सम्मुख नहीं हैं और जिन्होंने जन समूह को निर्दयता और रोष की उस सीमा तक उकसाया जो अरक्षित और भोलेभाले आदमियों को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त थी। मैंने चिमूरवासियों में वास्तविक पश्चात्ताप के कुछ ही चिन्ह पाये हैं और उस अपराध की वहां तथा अन्य किसी स्थान पर इतनी निन्दा नहीं की गई जितनी कि आशा की जा सकती थी।"

दूसरे मामले में आवेशपूर्ण जनसमूह ने एक सड़क पर उस सर्किल इन्सपेक्टर का पीछा किया जो पुलिस के एक छोटे से दल, जिसमें एक सब-इन्सपेक्टर भी सम्मिलित था, के साथ था। कुछ समय पीछा किये जाने के पश्चात् सब-इन्सपेक्टर ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण को जताने के लिए उसने जिन शब्दों का प्रयोग किया—जिनके फलस्वरूप उसको प्राणदान प्राप्त हुआ—वे महत्त्वपूर्ण हैं। विशेष न्यायाधीश ने इस प्रकार उसका वर्णन किया है :

"इस अवस्था में सब-इन्सपेक्टर ने निर्णय किया कि उसकी स्थिति आशाहीन है और जनसमूह की ओर मुड़ कर उसने अपनी टोपी फेंक दी और सम्भवतः साथ ही साथ अपनी वर्दी का कुछ भाग भी तथा "महात्मा गांधी की जय" बोल उठा।

अपने सब से बड़े नेता के प्रति इस सम्मान से सन्तुष्ट न होकर जनसमूह सर्किल-इन्सपेक्टर की हत्या के लिए आगे बढ़ता गया। सब-इन्सपेक्टर के पहले कृत्यों से भी जिनका उल्लेख एक दूसरे स्थान पर किया गया है, कांग्रेस की जिम्मेदारी पर प्रकाश पड़ता है :

"यह प्रकट है कि प्रारम्भ से ही सब-इन्सपेक्टर का झुकाव बलप्रयोग की ओर न था और वह कस्बे के कांग्रेस नेताओं से समझौते की बातचीत कर रहा था। उसने १५ तारीख की प्रातः जुलूस को थाने के सामने आने दिया और इस विषय में कुछ नहीं किया। उसने नेताओं के पकड़ने का कोई भी प्रयास नहीं किया, हालांकि उसके मातहत अफसरों ने उसकी अनुपस्थिति में ऐसा करने के प्रयत्न किये थे। इस प्रकार के व्यवहार से उसने प्रभावपूर्ण रूप से पुलिस के अधिकार का परित्याग कर दिया और कस्बा कांग्रेस के अधिकार में आ गया। वे इस प्रकार की परिस्थिति से पूर्ण सन्तुष्ट थे और इसके बाद १६ तारीख को होने वाली घटनाएं कांग्रेस नेताओं के क्षोभ की द्योतक हैं।"

"हिंसापूर्ण अपराधों के बाद जिनमें कांग्रेस कर्मचारियों ने भाग लिया था, अपराधों के लिए उन उत्तेजनाप्रद लेखों के सम्बन्ध में विचार करते हुए, जो कांग्रेस के नाम से लिखे तथा बांटे गये, यह एक बार फिर उचित होगा कि उदाहरणार्थ मध्यप्रान्त की "गांधी बाबा के छः हुक्मनामे" नामक पुस्तिका से प्रारम्भ किया जाय। स्थानीय कांग्रेस कमेटी के सभी छोटे बड़े व्यक्तियों ने उसे तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों को निःशंक भाव से गांधी जी के अन्तिम सन्देश के वास्तविक शब्दों के रूप में स्वीकार किया। यह

पुस्तिका जिसका मूल परिशिष्ट १३ में दिया गया है, दो भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग "(जेल जाते समय राष्ट्र के नाम बापू का सन्देश)" में छः हुक्मनामें वैसे ही ढंग से लिखे गये हैं जिस ढंग से श्री गांधी से आशा की जा सकती है। "अपने आप को स्वतन्त्र समझो, जबतक हम अहिंसा की सीमा मे हैं हम कुछ भी करने के लिए स्वतन्त्र हैं, करो या मरो आदि।" लेकिन दूसरे भाग में यह बताया गया है कि किस प्रकार इस सन्देश को कार्य रूप में परिणत किया जाय। इसमें वे आदेश भी सम्मिलित हैं जिन के अनुसार कारखानों, मिलों, कालेजों, स्कूलों और बाजारों को उस समय तक बन्द रखने के लिए बाध्य किया जा सकता है जबतक स्वतन्त्रता प्राप्त न हो जाय। सरकार की शासन व्यवस्था को नष्ट करना, ट्राम, मोटर और रेल व्यवस्था को नष्ट करना, टेलीफोन और टेलीग्राफ के तारों को नष्ट करना, पुलिस को यह राय देना कि वह सरकारी आज्ञाओं को न मानें, और सरकार की निषेधात्मक आज्ञाओं का उल्लंघन करना—ये सब इस में सम्मिलित है। गांधी जी की गिरफ्तारी के शीघ्र ही पश्चात् छपने वाले हरिजन के संस्करणों में भी इसी प्रकार के सिद्धान्तों की शिक्षा दी गई थी। हरिजन के विविध संस्करणों के सम्पादक श्री गांधी के विचारों से इस प्रकार की मौलिक भिन्नता का कदाचित ही साहस कर सकते थे। फिर भी टेलीग्राफ के तार काटने, रेल की पटरियों को उखाड़ फेंकने, पुलों को नष्ट करने और पेटरोल की टंकियों को जलाने को अहिंसा की सीमा के अन्तर्गत ही माना गया है। (इस विषय के मूल को परिशिष्ट १४ मे भी छापा गया है)।

अहिंसा की इस प्रकार की विस्तृत व्याख्या उस दिलचस्प पत्र में भी मिलती है जो केशोदेव मालवीय के पास से प्राप्त हुआ था। केशोदेव मालवीय एक समाजवादी नेता हैं जो आन्दोलन के प्रारम्भिक अध्याय की अवधि में २६ सितम्बर की अपनी गिरफ्तारी से पहले संयुक्त प्रान्त के प्रान्तीय डिक्टेटर थे। आपने लिखा है : "हम कभी भी अहिंसा के सिद्धान्त का परित्याग नहीं करेंगे। प्रधान यातायात साधनों को बन्द करना या रेलवे स्टेशनों, तहसीलों और पुलिस चौकियों के काम को चालू न रहने देना या वहां से मिलने वाली सम्पत्ति को अपने अधिकार में कर लेना हिंसा नहीं है। रेलवे यातायत को बन्द करने के लिए आपको सब कुछ प्रयत्न करने हैं। जहां तक सम्भव हो, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस सम्बन्ध मे किसी की जान न जाय। गांवों में ऐसे पर्चे बांटो जिनमें यह सूचित किया गया हो कि १५ अक्टूबर के पश्चात कोई भी व्यक्ति रेल में यात्रा न करे अन्यथा उसे जीवन का खतरा उठाना पड़ेगा।" इस पत्र के अन्य भाग भी दिलचस्प हैं। आपने इस प्रकार प्रारम्भ किया है : "प्यारे साथियो, हमारी प्रारम्भिक लड़ाई के दो महीने व्यतीत हो चुके हैं; गत दो महीने की घटनाओं पर हम अभिमान कर सकते हैं......साधारणतः कहा जा सकता है कि कांग्रेस कर्मचारियों ने अपनी कार्यक्षमता का अच्छा परिचय दिया है। वे शत्रु के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़े हैं और अब भी बहादुरी से लड़ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने अपने केन्द्रों में कांग्रेस झंडे को फहराते रखने में समस्त शक्ति लगा दें।" मालवीय की गिरफ्तारी के बाद आचार्य जुगलकिशोर ने जो कांग्रेस मन्त्रिमंडल के समय पार्लमेंटरी सेक्रेटरी थे, यह कार्य सम्भाला। निम्न लिखित उद्धरण प्रतिलिपि यन्त्रों द्वारा छपे हुए उन आदेशों के हैं, जो इनके द्वारा "जिलों और

कस्बों के डिक्टेटरों" तथा कार्यकर्ताओं को भेजे गये थे। "प्रिय महोदय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आदेशों को प्राप्त करके तथा प्रान्त के उन प्रमुख कार्यकर्ताओं से, जो अभी जेल से बाहर हैं परामर्श करने के पश्चात् मैं आपको वह योजना भेज रहा हूं जो, अपने आप को संगठित कर, स्वतन्त्रता के इस महान विप्लव को तीव्रगति से आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है"। इसके बाद अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए विस्तृत आदेश दिये गये हैं। निम्नलिखित भाग मे स्थिति का संक्षिप्त रूप बताया गया है :

> "इस समय देश में दो प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं : १—अहिंसा के सिद्धान्तों की सीमा मे रहते हुए यातायात साधनों को अव्यवस्थित करना जिससे सरकारी व्यवस्था को इस प्रकार नष्ट कर दिया जाय कि अत्याचारियों के लिए इनका दुरुपयोग असम्भव हो जाय, तथा सरकार के समस्त चिन्हों को विनष्ट करना, और, २—प्रचार, प्रदर्शन और अन्य कार्य जैसे लगान न देना तथा संगठन। प्रथम भाग चुने हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए और उन्हें वह काम चुन लेना चाहिए जो वे कर सकते हैं। इसके लिए अनुभवी व्यक्तियों तथा हुनरमन्दों की आवश्यकता है और इस काम के लिए केवल ऐसे ही व्यक्ति चुनने चाहिएं जो गुप्त रूप से इसे चला सकें।"

हजारी बाग जेल से भाग जाने के बाद जय प्रकाश नारायण ने इस आन्दोलन को संगठित करने मे जो भाग लिया था, उसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इनके द्वारा विद्यार्थी संसार के नाम हाल ही मे जारी की गई अपील के कुछ भाग दिलचस्प हैं :

> "जहां तक बृटिश शक्ति को देश के बड़े भाग से निर्मूल करने की सफलता का सम्बन्ध है हमारे विप्लव के प्रथम भाग को बड़ी सफलता मिली है। इसकी प्रगति इस कारण नहीं रुक गयी कि शत्रु की श्रेष्ठतर भौतिक शक्ति ने इसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, बल्कि इसलिए कि हम मे उपयुक्त संगठन और विप्लव कार्यक्रम सम्बन्धी पूर्ण जागृति की कमी थी। इसका सम्बन्ध दूसरी बात से है, वह यह कि स्पष्ट रूप से हमारा प्रथम कर्तव्य दूसरे और अन्तिम महान आक्रमण के लिए अपनी शक्ति को तैयार, संगठित और अनुशासनपूर्ण बनाना है। हमारे सामने अधिक समय नहीं है, अतः हमें एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहिए। हमे गांवों तथा औद्योगिक क्षेत्रों, रेलों और खानों, सेना और तत्सम्बन्धी दलों मे काम करना है। हमे अपने साहित्य को छापना और बांटना है, अपना सम्पर्क और यातायात बनाये रखना है, हमे राष्ट्रीय सेना भरती करनी है और उसे शिक्षित बनाना है, हमें उपद्रवी और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए हुनर जानने वाले कर्मचारियों के गिरोहों को संगठित करके उन्हें शिक्षित करना है तथा हमें शत्रु के विरुद्ध वर्तमान झड़पों और मुठभेड़ों को जारी रखना है। एकीकृत और केन्द्रीय शासन के अधीन काम करने वाले संगठनों का एक जाल तैयार किया जा रहा है........मुझे विश्वास है कि जब दूसरे आक्रमण का समय

> आयगा तो आप उसी प्रकार पुनः युद्ध के अगले मोर्चे पर होंगे जैसे आप अगस्त में थे। परन्तु यह निश्चित करने के लिए कि हमारा दूसरा आक्रमण शत्रु को पूर्ण रूप से पराजित कर देगा, यह आवश्यक है कि आप तुरन्त ही गम्भीरतापूर्वक तैयारी और सगठन के काम को अपने हाथ में ले ले।"

विद्यार्थियों द्वारा शैतानी का एक नमूना उस पुस्तिका मे दिया गया है जो गुजरात के छात्र सघ द्वारा प्रचारित की गयी थी और जिसमे लगान न देने के आन्दोलन के लिए किये गये प्रबन्धों का उल्लेख है। (इस सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि ये प्रबन्ध पूर्ण रूप से निष्फल रहे)।

> "कर न देने का वर्तमान आन्दोलन पुराने आन्दोलन से एक बात में भिन्न है। पुराने अन्दोलन में लगान देने से इंकार कर देने के बाद हमने सरकार को अपनी सम्पत्ति और पशु आदि कुर्क करने दिये। इसका अर्थ उस समय सरकार के न्यायपूर्ण अधिकार को अंगीकार करना था और हमने केवल विशेष कारणों से इससे असहयोग किया था। अब हम वर्तमान सरकार को न्यायपूर्ण सरकार नहीं समझते और फलतः हमने उसके विरुद्ध प्रकट विद्रोह की पताका को ऊंचा किया है तथा हम लुकाछिपी की लड़ाई जारी किये हुए है। अब, लगान देने से इंकार करने के बाद किसानों को अपनी सम्पत्ति कुर्क न करने देने के लिए अपनी समस्त शक्ति से विरोध करना होगा।"

देश के अधिकांश भागों मे छापेखानों और डुप्लिकेटरों से छपकर जो भांति भांति के बहुसख्यक पर्चे निकल रहे है उनके एक छोटे से अनुपात का भी वर्णन करना असम्भव है। (पुलिस की प्रभावपूर्ण कार्रवाई से इनकी संख्या बहुत कम रह गयी है। उदाहरण के लिए, मद्रास प्रान्त मे तामिलनाड मे दो, आन्ध्र मे एक और मालाबार मे एक गुप्त मुद्रण केन्द्र पकड़े गये है। जाने हुए कांग्रेस जन इन सब केन्द्रों के इंचार्ज पाये गये।) विद्रोह के प्रारम्भिक काल मे जो हानिकर पत्रिकाएं प्रकाशित की गयी थीं उनमे से कुछ चुनी हुई पत्रिकाएं परिशिष्ट १५ में प्रकाशित की गयी है। हाल के कुछ उदाहरण दिये जाते है। २३ नवम्बर के "बम्बई कांग्रेस बुलेटीन" के एक सस्करण में क्रान्तिकारी कार्यों का एक विस्तृत कार्यक्रम छापा गया था जिसके अन्तर्गत दो नई बातें थी—डाकखानों के समस्त सेविंग बैंकों से रुपया निकाल लेना और उन जहाजघाटों पर आक्रमण करना जहां बृटिश सेनाएं चढ़ती और उतरती थीं। बंगाल मे प्रचारित किये जाने वाले पर्चे जातीय शत्रुता की भावना की दृष्टि से उल्लेखनीय है। एक पर्चे मे कहा गया था कि भारत "पाशविक बृटिश सत्ता के विरुद्ध लड़ रहा है जापान के विरुद्ध नहीं।" एक और पर्चे मे बृटिश फौजों और पुलिस पर आक्रमण करने और यूरोपियनों का बहिष्कार करने को कहा गया था। अन्त मे, कांग्रेस के लुकछिपे कर्मचारियों ने आर्थिक स्थिति की कठिनाइयों को लेकर ... का नाट बना डाला है। दिल्ली से निकले हुए, विशिष्ट रूप से अनिष्टकर, एक ... ये शब्द लिखे है :—

"हमारे नागरिकों को चाहिए कि वे प्रतिदिन अंगरेजों की अयोग्यता, अनाड़ीपन और प्रवंचना के लिए, जिसके कारण देश में खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया है और बाहर के खतरे से देश अरक्षित होगया है, सडकों पर रोष से दांत पीसते हुए और आग बबूला होकर निकलना सीखें। स्वतंत्रता और वेतन-वृद्धि के लिए हड़तालें हमारे औद्योगिक जीवन का स्थायी अंग बन जानी चाहिएं।.........खाद्यों के सम्बन्ध में उपद्रवों, हड़तालों और सेना तथा पुलिस को उत्तेजित करने के कार्यों को बहुत बड़े पैमाने पर सम्पन्न करना चाहिए जिससे कि इन सब की पूर्णाहुति उस मुहूर्त मे हो जबकि बलपूर्वक अधिकार जमाने वाले लिंलिथगो और वावेल बन्दी बना लिये जायं और भारत को प्रजातंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाय।"

अध्याय ६

निष्कर्ष

पुनरुक्ति दोष का कुछ खतरा होते हुए भी फिर से इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि श्री गांधी को यह मालूम था कि भारत में जो भी सामूहिक आन्दोलन चलाया जायगा वह हिंसात्मक रूप अवश्य धारण कर लेगा। यह बात उन्हें उन आन्दोलनों के कटु अनुभवों से विदित थी जिनका नेतृत्व उन्होंने दस तथा बीस साल पहले किया था। इस अनुभव के होते हुए भी वे उपद्रवों और दुर्व्यवस्था का खतरा उठाने को उद्यत थे। उस खतरे को उन्होंने अपने लेखों में घटाकर दिखाना चाहा किन्तु अपने मन में उन्होंने इसे अवश्य ही ठीक ठीक तौल लिया होगा। एक बार फिर इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए :—

(१) "भारत को परमात्मा के भरोसे छोड़ दीजिये। यदि इसे बहुत अधिक समझें, तो अराजकता के भरोसे छोड़ दीजिये।" (हरिजन, २४ मई)

(२) "यह अराजकता कुछ समय के लिए पारस्परिक युद्ध अथवा अनियंत्रित डाकों का रूप धारण कर सकती है।" (हरिजन, २४ मई)

(३) "इस श्रृंखलापूर्ण, अनुशासन-समन्वित अराजकता का अन्त होना चाहिए और यदि इसके परिणाम स्वरूप भारत मे पूर्ण अव्यवस्था फैल जाय, तो मैं उसका खतरा उठा लूंगा।" (हरिजन, २४ मई)

(४) मैंने प्रतीक्षा की और तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि देश मे विदेशी दासता के जुए को उतार फेंकने के लिए आवश्यक अहिंसात्मक शक्ति न पनप जाये। किन्तु अब मेरे दृष्टिकोण मे परिवर्तन हो गया है। मैं अनुभव करता हूं कि अब मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता।.....जनता मे मेरी अहिंसा नहीं है किन्तु मेरी अपनी अहिंसा से उन्हें सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि हमारे चारों तरफ व्यवस्थित अराजकता फैली हुई है। मुझे विश्वास है कि अंगरेजों के देश से हट जाने अथवा हमारी बात न मानने पर और हमारे द्वारा उनके अधिकार की अवज्ञा करने के निश्चय पर जो अराजकता फैलेगी, वह वर्तमान अराजकता से बुरी न होगी। निरस्त्र जनता आखिर भयानक हिंसा अथवा अराजकता की सृष्टि नहीं कर सकती और मुझे विश्वास है कि

उस अराजकता से विशुद्ध अहिंसा का जन्म होगा।" (हरिजन ७ जून)

(५) "मैं नहीं चाहता कि इसका प्रत्यक्ष परिणाम दंगा-फसाद हो। फिर भी, यदि सब प्रकार की सतर्कता रखते हुए भी दंगा हो जाय, तो फिर मजबूरी।" (हरिजन, १६ जुलाई)

जब एक बार यह बात समझ में आजयगी, जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखलाया जा चुका है, कि अहिंसा की मूर्ति, श्री गांधी को अच्छी तरह से मालूम था कि भारतीय जनता अहिंसा के अयोग्य है, तो अगस्त की गिरफ्तारियों के बाद की छः महीनों की घटनाओं पर एक नयी रोशनी पड़ेगी। यह कहा जा सकता है कि आन्दोलन के स्वरूप-सम्बन्धी भविष्यवाणियों में, जो श्री गांधी और उनके कांग्रेसी शिष्यों ने की थीं और गिरफ्तारी के बाद के कार्यक्रमों और आदेशों में, अहिंसा के सम्बन्ध में जो भी उल्लेख किया गया है वह एक पवित्र आशा अथवा अधिक से अधिक एक विनम्र चेतावनी से अधिक कुछ नहीं है और इसके सम्बन्ध में यह मालूम था कि इसका कोई मूल्य न होगा। चूंकि यह दिखलाया जा चुका है कि ऐसे उल्लेख महत्वहीन थे इसलिए इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और गिरफ्तारियों से पहले और बाद के आदेशों पर, 'अहिंसा' की नकाब उतारने के बाद विचार करना चाहिए। अहिंसा की इस महत्वहीन चर्चा को छोड़ कर श्री गांधी ने १६ जुलाई १९४२ के हरिजन में लिखा था "यह एक सार्वजनिक आन्दोलन होगा।.........इस में वे सब बातें सम्मिलित होंगी जो एक सार्वजनिक आन्दोलन में सम्मिलित हो सकती हैं" और २६ जुलाई १९४२ के हरिजन मे फिर यह लिखा: "कार्यक्रम मे वे सब कार्य सम्मिलित हैं जो एक सार्वजनिक आन्दोलन मे सम्मिलित किये जाते हैं।.........यदि मुझे जान पड़ा कि बृटिश सरकार अथवा मित्रराष्ट्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो मैं चरम सीमा तक जाने में हिचकिचाहट न दिखलाऊंगा।......... यह मेरा सब से विशाल आन्दोलन होगा।.........यदि इस में तनिक भी तेजस्विता होगी तो (नेताओं को गिरफ्तारी से) इसका बल और भी बढ़ जायगा।" ४ अगस्त को बम्बई मे कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पास किये गये प्रस्ताव मे, जिसका ८ अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने समर्थन किया था, कहा गया था: "इसलिए समिति भारत की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अविच्छेद्य अधिकार की पुष्टि के लिए अधिक से अधिक विशाल पैमाने पर सार्वजनिक संघर्ष प्रारम्भ करने का संकल्प करती है जिससे कि देश पिछले २२ वर्ष मे संचित की गयी अपनी शक्ति का उपयोग कर सके।" इसके बाद, 'अहिंसा' का आडम्बर उतार कर, १२-बिन्दु कार्यक्रम मे, "विदेशी सरकार और जनता के भीषण संघर्ष" में, एक ऐसे संघर्ष मे जिसमे भारत के प्रत्येक पुत्र और पुत्री का आदर्श वाक्य "विजय या मृत्यु" होगा, एक ऐसे संघर्ष के लिए जिसमे "वे सब कार्य सम्मिलित हैं जो एक सार्वजनिक आन्दोलन मे सम्मिलित किये जा सकते हैं", एक ऐसे संघर्ष के लिए जिसमें (विदेशी शासन का अन्त करने के) "उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिस बात से भी सहायता मिलती हो वह वैध तथा अनुमत है" और जिस में "प्रान्तों के लोगों को शासन यंत्र को निकम्मा कर देने के समस्त उपायों को ढूंढ़ निकालना और उनपर अमल करना है", "यथासम्भव विशाल पैमाने पर असहयोग आन्दोलन" करने का आह्वान किया गया था। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों द्वारा की गयी तात्कालिक कार्रवाई फलस्वरूप जो प्रतिबन्ध लग गये थे उन्हें और जनता के बड़े बड़े समुदायों में कांग्रेस

कार्यक्रम के प्रति सहानुभूति के अभाव को ध्यान में रखते हुए, जो घटनाएं वास्तव में घटीं उनके विवरण के रूप मे इन निर्देशों से एक बिलकुल सही तस्वीर उतर जाती है।

इन सब प्रमाणों की मौजूदगी में—'हरिजन' में श्री गांधी द्वारा लिखे गये लेखों से उत्पन्न वातावरण का प्रमाण, बम्बई मे और उससे पहले कार्यसमिति के सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों का प्रमाण, गिरफ्तारियों के समय वितरण किये गये उन कार्यक्रमों का प्रमाण जिन मे हिंसात्मक कार्य सन्निहित थे, उपद्रव के स्वरूप का प्रमाण, जाने हुए कांग्रेस जनों का स्वयं हिंसात्मक कार्यों में भाग लेना सिद्ध होजाने का प्रमाण, कांग्रेस के नाम पर प्रचारित पत्रिकाओं का प्रमाण—इस प्रश्न का, कि उन सार्वजनिक उपद्रवों और व्यक्तिगत अपराधों का दायित्व किस पर है जिन्हों ने भारत के सुनाम पर बट्टा लगाया है और अब भी लगा रहे हैं. केवल एक ही उत्तर दिया जा सकता है। और वह उत्तर है—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसके नेता महात्मा गांधी हैं।

परिशिष्ट सं० १

कांग्रेस कार्यसमिति की इलाहाबाद की बैठक का विवरण

गांधी जी कार्यसमिति की इस बैठक (इलाहाबाद की बैठक, जो २७—४—४२ से १—५—४२ हुई थी) मे उपस्थित नहीं थे। किन्तु उन्होंने कार्यसमिति के विचारार्थ वर्धा से एक प्रस्ताव का मसविदा भेज दिया था। यह मसविदा मीराबेन लायी थीं। उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार गांधी जी का मस्तिष्क उन संकेतों पर चल रहा है जिनका इसमें उल्लेख है। समिति ने मसविदे (परिशिष्ट अ) पर गम्भीरता और ध्यान के साथ विचार किया।

मसविदे में निम्न विषय थे :—

(१) बृटिश सरकार से यह माग की कि वह भारत छोड़ दे, (२) भारत बृटिश साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप ही युद्ध का क्षेत्र बन गया है, (३) इस देश की स्वतन्त्रता के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं, (४) भारत का किसी देश से झगड़ा नहीं, (५) यदि जापान ने भारत पर आक्रमण किया तो उसका अहिंसात्मक विरोध द्वारा सामना किया जायगा, (६) असहयोग के स्वरूप का निर्णय, (७) विदेशी सैनिक भारतीय स्वतन्त्रता के लिए भारी खतरा।

जवाहर लाल जी . गांधी जी का मसविदा एक ऐसा सुझाव है, जिस पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। स्वाधीनता का तात्पर्य, अन्य बातों के साथ साथ भारत से बृटिश फौजों का हटाया जाना है। यह उचित है, किन्तु क्या हटाये जाने की हमारी इस माग का कोई अर्थ भी है? यदि वे स्वाधीनता की स्वीकृति दे भी दें तो भी वे ऐसा नहीं कर सकते। फौजों तथा समस्त गैरफौजी शासन यन्त्र के हट जाने से एक ऐसा शून्य स्थल पैदा हो जायगा जो तत्काल ही भरा नहीं जा सकता।

यदि हम जापान से कहें कि उसकी लड़ाई तो बृटिश साम्राज्यवाद से है, हमारे साथ नहीं, तो वह यह कहेगा "हमको प्रसन्नता है कि बृटिश सेना हटा ली गयी है और हम आपकी स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं। किन्तु अभी हमें कुछ सुविधाएं चाहिए। हम आक्रमण से आपकी रक्षा करेंगे। हमें हवाई अड्डे और आपके देश हो कर अपनी फौजों को निकालने का मार्ग चाहिए। आत्मरक्षा के लिए यह आवश्यक है।" वे सामरिक महत्व के स्थानों पर अधिकार करके ईराक आदि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि केवल सामरिक महत्व के स्थानों पर अधिकार किया गया तो जनसाधारण पर किसी प्रकार की आंच न आवेगी। जापान साम्राज्यवादी देश है। भारत विजय उसकी योजना का एक अंग है। यदि बापू के मार्ग को स्वीकार किया गया तो हम धुरी शक्तियों के निष्क्रिय सहायक बन जायगे। यह मार्ग कांग्रेस को पिछली बाईस साल की नीति के विरुद्ध है। मित्रराष्ट्रों को भी यही जान पड़ेगा कि हम उनके शत्रु हैं।

कृपलानी जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह मसविदा हमारी स्थिति विषयक घोषणा है। इंगलैंड और अमेरिका इसका चाहे जो मतलब निकालें किन्तु कांग्रेस को उनके विरुद्ध किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है।

मौलाना साहब : हमारी स्थिति क्या है? क्या हम बृटिश सरकार से कह दें कि वह चली जाय और जापानियों तथा जर्मनों को आने दें या हम यह चाहते हैं कि बृटिश सरकार डटी रहे और नये आक्रमण को रोके?

[illegible] हम ना . मैं तो स्वायत्तशासन का अधिकार चाहता हूं। हम जिस प्रकार चाहेंगे इस अधिकार

का उपयोग करेंगे। यदि ब्रिटिश फौजों और बाकी लोगों को हटना ही है तो उन्हें ऐसा करने दीजिये, हम अपना प्रबन्ध आप कर लेंगे।

जवाहर लाल जी : इस प्रकार के मसविदे से उनकी (ब्रिटिश सरकार की) स्थिति कमजोर होती है। वे भारत को शत्रु देश समझने लगेंगे और इसे धूल में मिला देंगे। वे यहां भी वही करेंगे जो वे रंगून में कर चुके हैं।

सरदार वल्लभ भाई पटेल : यह मसविदा अंगरेजों से कहता है "तुमने अपने को सदा अयोग्य प्रमाणित किया है। तुम भारत की रक्षा नहीं कर सकते। हम भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमें ऐसा करने ही न दोगे। किन्तु यदि तुम यहां से हट जाओ तो फिर हमारे लिए कोई मौका निकल सकता है।"

आसफ अली : यह मसविदा कहता है कि हम अहिंसा को सदा-सर्वदा के लिए स्वीकार कर लें।

अच्युत पटवर्धन : यह गांधी जी से पूछा गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह कह सकती है कि वर्तमान परिस्थितियों में अहिंसा ही सर्वोत्तम नीति है।

जवाहर लाल नेहरू : मसविदे की समस्त पृष्ठभूमि ऐसी है जिससे संसार को बाध्य हो कर यही सोचना पड़ेगा कि हम लोग निष्क्रिय रूप से धुरीशक्तियों का साथ दे रहे हैं। अंगरेजों से कहा जा रहा है कि वे चले जायं। उनके चले जाने पर हमें जापान से बातचीत करनी होगी और सम्भवत. उसके साथ कोई समझौता करना होगा। सम्भव है कि समझौते की शर्तों के अन्तर्गत हमें गैरफौजी शासन में बहुत बड़ा हिस्सा मिलना, कुछ सीमा तक सैनिक नियन्त्रण उनके हाथ में रहना, भारत होकर फौजों का निकलना आदि सम्मिलित हो।

कृपलानी जी - इसका मतलब भारत हो कर फौजों का निकलना आदि क्यों लगाया जाय। जिस प्रकार हम अंगरेजों और अमेरिकनों से फौजें हटा लेने को कहते हैं उसी प्रकार हम दूसरों से भी कहते हैं कि वे भारत की सीमा से बाहर ही रहें। यदि वे नहीं मानेंगे तो हम लड़ेंगे।

जवाहर लाल नेहरू : आप चाहें या न चाहें युद्ध की आवश्यकताएं उन्हें भारत को रणस्थली बनाने को बाध्य कर देंगी। विशुद्ध आत्म-रक्षा के लिए भी वे इस से बाहर नहीं रह सकते। वे देश में जहां चाहेंगे जा पहुंचेंगे आप उनकी प्रगति को अहिंसात्मक आन्दोलन से रोक नहीं सकते। उनके कूच करने का अधिकांश जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इक्केदुक्के आदमी नाममात्र को उनका विरोध कर सकते हैं। जापानी फौजें ईराक, फारस आदि जायगी, चीन का गला दबायेंगी और रूस की स्थिति और भी बिगाड़ देंगी।

दूसरी बातों के अलावा सैनिक कारणों से भी अंगरेज हमारी मांग को अस्वीकार कर देंगे। वे इस बात को कभी भी सहन नहीं करेंगे कि भारत का, जापान द्वारा उनके विरुद्ध, उपयोग किया जाय। इनकार करने पर हमारी ओर से जो प्रतिक्रिया होगी उसका अर्थ सिद्धान्त रूप से निष्क्रिय भाव में धुरीराष्ट्रों का साथ देना होगा। जापान को आक्रमण के लिए बहाना मिल सकता है। इस प्रकार हम भावनाओं के आशातीत अंतर्द्वन्द में लिप्त हो जाते हैं। धुरीराष्ट्रों के अलावा हम बाकी सब लोगों के विरोधी हो जायंगे। जापान सामरिक महत्व के स्थानों पर अधिकार कर लेगा। हमें सार्वजनिक सत्याग्रह का अवसर ही न मिलेगा। एक पक्ष के साथ हमारी सहानुभूति की नीति पूर्णत परिवर्तित हो जायगी।

जहां तक मुख्य कार्य का सम्बन्ध है, बापू के मसविदे को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। किन्तु मसविदे की समस्त विचारधारा और पृष्ठभूमि जापान के पक्ष में जाती है। सम्भव है ऐसा जान

कर न किया गया हो। वर्तमान संकट मे तीन बातें हमारे निर्णय पर अपना प्रभाव डालती हैं। (१) भारतीय स्वतन्त्रता, (२) कुछ बड़े बड़े उद्देश्यों के प्रति हमारी सहानुभूति, (३) युद्ध में किस परिणाम की सम्भावना है—कौन जीतेगा। गाधी जी का खयाल है कि जापान और जर्मनी की विजय होगी। यह भावना अज्ञात रूप से उनके निर्णय पर अधिकार जमाये हुए है। उनके मसविदे का मार्ग मेरे मार्ग मे भिन्न है।

अच्युत पटवर्धन : मैं जवाहर लाल जी के विचारों की पृष्ठभूमि से सहमत हूं किन्तु इस सम्बन्ध में कई कठिनाइयां हैं। बृटिश सरकार आत्मघाती के सदृश व्यवहार कर रही है। यदि हम किसी निर्णय पर नहीं पहुचेंगे तो जवाहर लाल जी की प्रवृत्ति हमें बृटिश शासनयन्त्र के साथ घृणित और शर्तहीन सहयोग-सूत्र में बाध देगी। जबकि इस शासनयन्त्र का नष्ट होना अनिवार्य है। यदि भारत का युद्ध वावेल द्वारा लड़ा जायगा तो हम उनके साथ सहयोग करके अपने को बदनाम कर लेंगे। हम मित्रराष्ट्रों से गठबन्धन करने की बातें कर रहे हैं। मुझे तो अमेरिका के प्रगतिशील राष्ट्र होने में सन्देह है। भारत में, अमेरिकन सेना के पड़ाव से हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। मैं पूना प्रस्ताव के विरुद्ध था किन्तु क्रिप्सवार्ता के विरुद्ध नहीं। क्रिप्सवार्ता भग होने पर जवाहर लाल जी ने जो वक्तव्य दिया था उससे मुझे दुख हुआ। इससे जिस विचारधारा का आविर्भाव हुआ वह हमें ऐसी स्थिति में पहुचा देती है जिससे हमें बृटेन के साथ शर्तहीन गठबधन करने को बाध्य होना पड़ता है। बृटेन के साथ हमारा सहयोग जापान को भारत आने का बुलावा है।

राजेन्द्र बाबू : जब तक हम बापू के मसविदे को स्वीकार न करेंगे हम उपयुक्त वातावरण तैयार नहीं कर सकते। सरकार ने सशस्त्र विरोध का दरवाजा बन्द कर दिया है। हम केवल निरस्त्र विरोध कर सकते हैं। इसलिए हमें बापू के हाथ मजबूत बनाने चाहिएं।

गोविन्द वल्लभ पन्त . जहां तक अहिंसा का प्रश्न है मतभेद की कोई बात नहीं है। इसके प्रभावशाली होने के सम्बन्ध मे दो रायें हो सकती हैं। अहिंसात्मक असहयोग का अभिप्राय प्रदर्शन करना नहीं है। इसका उद्देश्य आक्रमण को रोकना अथवा अधिकार जमाने का विरोध करना है। सशस्त्र विरोध के प्रति हमारी क्या भावना हो॥ ? क्या हम इसमें सहायता दें अथवा कम से कम कोई ऐसा कार्म न करें जिससे इसमें बाधा पहुंचे ?

जवाहर लाल नेहरू : बापूजी के मूल मसविदे मे जो दृष्टिकोण ग्रहण किया गया है वह इसमें (बा० राजेन्द्र प्रसाद का संशोधन) भी कायम रखा गया है। यह दृष्टिकोण उस नीति से भिन्न है, जो हमने मित्रराष्ट्रों के प्रति ग्रहण कर रखी है। कम से कम मैं तो उनके प्रति शत प्रतिशत सहानुभूति प्रकट कर चुका हूं। अब इस स्थिति को त्यागना मेरे लिए असम्मानकर होगा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि मेरे सामने ऐसी समस्या उत्पन्न हो। किन्तु इस दृष्टिकोण मे यह समस्या उत्पन्न हो गयी है। मसविदे के विरोध सम्बन्धी भाग में कुछ तथ्य है। किन्तु मसविदे का अल्पसंख्यकों तथा नरेशों सम्बन्धी भाग यथार्थताहीन है। हम अब भी "क्या है" के रूप में न सोच कर "क्या था" के रूप में सोचते हैं। तेजी से बदलने वाली परिस्थिति के बीच यह दृष्टिकोण खतरनाक है। हम लोगों के बीच निम्न बातों के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है.... (१) हमारी नीति की सरकार पर प्रतिक्रिया, (२) सरकार के प्रति सहयोग करने में हमारी पूर्ण असमर्थता। हमारे आत्मभरित होने तथा आत्मरक्षा संगठित करने के कार्यक्रम से सरकार को सहायता पहुंचती है, किन्तु यह अनिवार्य है। (३) हम बृटिश सरकार के युद्धप्रयत्नों में इसलिए हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि इसका तात्पर्य आक्रमणकारी को सहायता पहुचाना होगा। इन बातों के सम्बन्ध मे हम एकमत हैं किन्तु उन तक पहुंचने के हमारे दृष्टिकोण विभिन्न हैं। यह ठीक है कि चूंकि मेरा दृष्टिकोण भिन्न है इसलिए, विभिन्न बातों को महत्व देने के सम्बन्ध में भी मेरे विचार भिन्न होंगे।

पंत जी . मसविदे को हमें इस कसौटी पर कसना चाहिए कि क्या यह हमारे पिछले प्रस्तावों के अनुकूल है। क्रिप्स प्रस्तावों की निन्दा की भाषा अत्युक्तिपूर्ण है। यदि प्रस्ताव इतने बुरे थे तो उनके लिए हमने इतने समय का अपव्यय क्यों किया ? इस समय मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि हमें देश की रक्षा के लिए अधिकतम प्रयत्न करने चाहिए और इस के लिए बहुत सी बातों को सहना चाहिए। यदि मैं अंगरेजों के साथ सहयोग नहीं करता तो इसका कारण केवल यही है कि ऐसा करना हमारी सम्मान की भावना के प्रतिकूल होगा। किन्तु मसविदे में जो दृष्टिकोण ग्रहण किया गया है उससे अपने सामने आने वाले प्रत्येक सिपाही को मुझे अपना शत्रु मानना पड़ेगा।

आसफ अली . मसविदे का धुरीराष्ट्रों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव न पड़ेगा। अंगरेजों से चले जाने को कहने से किसी का लाभ न होगा।

भूला भाई देसाई . यहां कोई प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता नहीं है। वर्धा में प्रस्ताव पास करके हमने अपनी निश्चित नीति स्पष्ट प्रकट कर दी है। वर्तमान प्रस्ताव कृत्रिम रूप से उपस्थित किया गया है। हमने पहले जो स्थिति ग्रहण की थी वह इससे भिन्न है। तब हमने कहा था कि यदि हमें अवसर मिलेगा तो हम मित्रराष्ट्रों का साथ देंगे।

राजा जी . मेरा विचार है कि संशोधित मसविदा मूल मसविदे से भिन्न नहीं है। हम ब्रिटेन और जापान से अपील कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रति की गयी अपील व्यर्थ जायगी। किन्तु उसके कुछ स्पष्ट परिणाम दिखायी देंगे। कांग्रेस की समस्त नीति की नयी व्याख्या की जायगी और यह व्याख्या भयानक रूप से हमारे विरुद्ध होगी। जापान कहेगा......बहुत अच्छा"

यदि जापान का रुख कुछ भारत के पक्ष में हो तो भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यदि अंगरेज चले जायं तो भारत को स्वयं संगठित होने का कुछ अवसर मिलेगा। ब्रिटेन द्वारा खाली किये गये स्थान की जापान तुरन्त पूर्ति कर देगा। ब्रिटेन की बुराइयों की हम पर जो प्रतिक्रिया हुई है उनके कारण हमारी दृष्टि धूमिल न हो जानी चाहिए। छोटी बातों के कारण घबराना उचित नहीं है। हमें जापानियों के फन्दे में नहीं फंसना चाहिए, जैसा कि वास्तव में प्रस्ताव से परिणाम निकलता है।

डा० पट्टाभी . मसविदा व्यापक और संगत है। अब ऐसा समय आ गया है जब हमें अपनी स्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद हमें अपने दृष्टिकोण पर पुनः विचार करना चाहिए और अपनी स्थिति नये सिरे से प्रकट करनी चाहिए। युद्ध काल में हम अपनी नीति में समय-समय पर परिवर्तन करते रहे हैं। पूना में ग्रहण की गयी स्थिति पुरानी स्थिति से भिन्न थी। बम्बई में ग्रहण की गयी स्थिति पूना वाली स्थिति से भिन्न थी। बम्बई की बैठक के बाद सविनय अवज्ञा और सविनय अवज्ञा के बाद क्रिप्सवार्ता हुई।

सरोजिनी नायडू : संशोधित मसविदा मूल मसविदे से अच्छा है। किन्तु प्रस्ताव में बहुत सी अनावश्यक बातें हैं। अपील में अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन ब्रिटिश सरकार के प्रति हमारी चरम निराशा, अप्रसन्नता तथा घृणा को प्रकट करने के रूप में यह ठीक है।

जापान से व्यर्थ ही अनुरोध किया गया है। जापान ने अपने लिये जो नकशा तैयार किया है उसमें भारत पहले से ही है। प्रस्ताव के अहिंसात्मक असहयोग सम्बन्धी भाग से मैं सहमत हूं। मूल का सार रख कर इसे फिर से तैयार किया जा सकता है। मसविदे में पिछली स्थिति के विपरीत पड़ने वाली सहानुभूति के क्षेत्र को संकुचित किया गया है। मुझे विदेशी सैनिकों का देश में आना पसन्द नहीं है।

उनसे सम्बन्ध रखने वाला भाग अच्छा है ।

विश्वनाथ दास : मैं समिति में दो विरोधी विचार देख रहा हूं। यह मतभेद इस अवसर पर बहुत ही घातक है। साधारण रूप से मैं मसविदे से सहमत हूं। यदि क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता तो हम स्थायी रूप से गुलामी में पड जाते । अगरेजों से चले जाने के लिये कहना उचित ही है। हमें उनसे कह देना चाहिए कि न तो वे हमारी रक्षा करेंगे और न हमें ही अपनी रक्षा आप करने देंगे।

देश में अमरीकी सेना बुलाये जाने का विरोध उचित ही हुआ है। बृटिश सरकार स्वाधीन उपनिवेशों तथा विदेशों से सैनिक लायी है। यह बहुत आपत्तिजनक तथा खतरनाक है।

बारदोलोई : मसविदे का एक भाग व्यवहार में लागू होने योग्य और दूसरा आदर्श सम्बन्धी है। यदि हम लागू होने वाले भाग पर अधिक जोर देंगे तो मतभेद बहुत कम रह जायगे । सयुक्त कार्यवाही की दृष्टि से मैं मसविदे के उस भाग को निकाल देना स्वीकार कर सकता हू, जिसमें आदर्श सम्बन्धी पृष्ठभूमि दी गयी है। हम लोग खतरे के क्षेत्र में आ चुके हैं। यह समय आदर्श सम्बन्धी विवादों का नहीं है। अब हमे अपनी सम्पूर्ण शक्ति तात्कालिक कार्य में लगा देनी चाहिए, जो अहिंसात्मक सहयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता।

सत्यमूर्ति : संशोधित मसविदा मूल मसविदे से उत्तम है । विदेशी सैनिकों के आगमन पर जो आपत्ति की गई है उस से मैं सहमत नहीं हू, भारत विदेशी सैनिकों की सहायता से भी अपनी रक्षा कर सकता है, मेरे विचार से हमें मुसलिम लीग से समझौते का प्रयत्न फिर करना चाहिए।

अच्युत पटवर्धन : साधारणत: मैं मसविदे से सहमत हूं। खुले द्वार की नीति का अन्त हो चुका है । प्रस्ताव मे केवल एक ऐसी बात पर जोर दिया गया है, जिस पर प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति जोर देता रहा है। वह बात यह है कि जनता के बीच में पड़े बिना किसी युद्ध में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। यह युद्ध एक साम्राज्यवादी युद्ध है। हमारी नीति तटस्थ रहने की है । ससार में चारों ओर आतंक छाया हुआ है। यदि मित्रराष्ट्र धुरीराष्ट्रों को हरा सकते तो स्थिति पर मैं फिर से विचार करता किन्तु मैं तो स्पष्ट रूप से देख रहा हू कि बृटेन गहरे गर्त की ओर अग्रसर हो रहा है । हम तटस्थता की नीति आरम्भ करना चाहते हैं। हमें जापान अथवा बृटेन किसी पर निर्भर न रहना चाहिए।

जयराम दास जी : मूल मसविदे के सम्बन्ध में यह आलोचना कि वह जापानियों के अनुकूल है ठीक नहीं है। जापानी आक्रमण का विरोध करने की बात मसविदे में स्पष्ट रूप से कह दी गयी है।

मसविदे में विदेशी सेनाओं का विषय उठा कर बहुत उचित किया गया है । विदेशी सेनाओं की उपस्थिति से कैसे अवांछनीय परिणाम हुए हैं, इससे भारतीय इतिहास के कितने ही पृष्ठ भरे हुए हैं। मसविदे में तटस्थता के वातावरण को जन्म दिया गया है। यह प्रयत्न करने योग्य है।

सरदार साहिब : मैं देखता हू कि समिति में स्पष्ट रूप से दो विचार धाराएं हैं । युद्ध छिड़ने के समय से ही हम साथ-साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते रहे हैं। किन्तु सम्भव है इस समय ऐसा न हो सके। अभी आप एक निश्चित स्थिति पर जम गये हैं । यदि उनकी पृष्ठभूमि समिति के कुछ सदस्यों को अनुकूल जंचती है तो उन सदस्यों की पृष्ठभूमि हमें अनुपयुक्त जंचती है। मसविदे के प्रथम चार या पाच पैराग्राफों में क्रिप्स योजना का उत्तर दिया गया है। क्रिप्स बड़ा चतुर व्यक्ति है। वह चारों ओर कहता रहा है कि उसके प्रयत्न असफल नहीं हुए। मसविदे में उसके प्रचार का पूरा उत्तर दिया गया है।

मैं भी क्रिप्स से बात चलाने के पक्ष में नहीं हूं। हम बार बार कितने भी प्रयत्न करके अपमान प्राप्त कर चुके हैं। आजकल कांग्रेस दो आघातों के कारण चक्कर खा रही है—एक क्रिप्स का और दूसरा राजा जी के प्रस्तावों का, और दोनों ने ही उसे बहुत अधिक हानि पहुंचायी है।

मैंने अपने आपको गांधी जी के हाथों में दे दिया है। मेरी भावना है कि आन्तरिक प्रेरणा से उनकी गति उचित मार्ग की ओर होती है। सभी संकटपूर्ण परिस्थितियों में उनका पथप्रदर्शन ठीक होता है।

बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के समय दृष्टिकोणों में अन्तर अवश्य था, किन्तु सुलह की वार्ता के लिए द्वार बन्द था। बारदोली में स्पष्ट कर दिया गया कि द्वार खुला हुआ है और हमारी सहानुभूति मित्रराष्ट्रों के प्रति है। अब बारम्बार अपमानित होने के बाद वह घड़ी आ पहुंची है जबकि इस द्वार को सदा के लिए बन्द कर दिया जाय। हमारे सामने जो मसविदा है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। यदि मसविदे में फासिस्टों के अनुकूल कोई संकेत जान पड़ता हो उसे हटाया जा सकता है।

आचार्य नरेन्द्र देव - मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि युद्ध एक ही है और उसे भिन्न भिन्न भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। रूस और चीन के युद्ध उद्देश्य वे ही नहीं हैं जो ब्रिटेन और अमेरिका के हैं। यदि दोनों के युद्ध उद्देश्य एक होते तो हम युद्ध में सम्मिलित होते और ब्रिटेन का साथ देते। हमारी स्थिति यह नहीं रही है कि हम शासन-शक्ति अपने हाथों में चाहते हैं और इसके बिना हम राष्ट्रीय जीवन को जाग्रत नहीं कर सकते। हमारी स्थिति तो यह रही है कि यदि यह युद्ध जनता का युद्ध है और यदि इस बात के क्रियात्मक प्रमाण मिल सकें तो हम अपनी शक्ति को प्रजातन्त्र राष्ट्रों की ओर लगाने के लिए उद्यत हैं। क्रिप्स के हानिकर प्रचार के निराकरण की आवश्यकता है। क्रिप्स बराबर यह कहते रहे हैं कि आन्तरिक मतभेदों के कारण समझौता नहीं हो सका। राजा जी ने उनके इस कहने को और भी जोरदार बना दिया है। जापान की धमकी ने भी ब्रिटेन के प्रति हमारा जो रुख है उसे प्रभावित किया है। इसके कारण हमें पुनः की अपनी स्थिति को भी बदलना पड़ा है। हमें यह स्पष्ट करना है कि हम जापान की धमकी से विचलित नहीं हुए हैं। हम अंग्रेजों से कह सकते हैं वे भारत से चले जाएं और हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दें। भारतीय राजनीति में जो कुछ भी निस्सारता है वह ब्रिटिश शासन के कारण है। ब्रिटिश शासन के हटते ही यह निस्सारता दूर हो जायगी। हिटलरी जर्मनी को पराजित करने में मैं रुचि नहीं रखता हूं। मैं युद्ध और शान्ति के उद्देश्य में अधिक रुचि रखता हूं।

मौलाना साहब : यह वाद-विवाद लाभदायक सिद्ध हुआ है। लेकिन दोनों पक्षों के भेद को मैं नहीं समझ सका हूं। क्रिप्स से बड़ी आशा थी। एक उपकारी के यश के साथ वे यहां आये थे। लेकिन वे बड़े निराशाजनक सिद्ध हुए। उन्होंने स्थिति को और बिगाड़ दिया। समझौते की चर्चा के विफल होने के बाद क्रिप्स ने अपने वक्तव्य में दो बातों पर जोर दिया (१) उनकी योजना ने भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की भावनाओं की सचाई को प्रकट कर दिया (२) जापान विरोधी मोर्चा उनकी योजना का फल है। यह सब मिथ्या प्रचार है। ब्रिटेन ने हमारे लिए अपने देश की रक्षा करना असम्भव कर दिया है। लेकिन जापानी आतंक के बारे में हमें विचार करना है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि पराधीन राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता ही धर्म है। यदि मैं यह अनुभव

करता कि जापान बृटेन से अच्छा है और उसका आक्रमण भारत की भलाई के लिए है तो मैं सार्वजनिक रूप से यह कह देता। लेकिन ऐसा नहीं है। गाधी जी के नुस्खे के सिवा दूसरा चारा नहीं है, यद्यपि इसके प्रभावपूर्ण होने में मुझे सन्देह है।

चूंकि राजेन्द्र बाबू द्वारा तैयार किया गया मसविदा जवाहरलाल जी तथा कुछ अन्य सदस्यों को पसन्द नहीं है इसलिए अध्यक्ष ने जवाहरलाल जी से कहा कि वे अपना मसविदा तैयार करें। समिति की अगली बैठक मे जवाहर लाल जी ने निम्न मसविदा प्रस्तुत किया।

मसविदे में बापू के मसविदे की बातें सम्मिलित थीं लेकिन दृष्टिकोण भिन्न था। वाद-विवाद से पता लगा कि प्रारम्भिक विवाद के समय जो मतभेद था वह अभी जारी है। जवाहर लाल जी ने दूसरे पक्ष को दृष्टि में रख कर मसविदे में कुछ संशोधन किया लेकिन दृष्टिकोण मे भेद बना रहा। मसविदा सारी समिति को स्वीकार नहीं था। इस पर अध्यक्ष ने दोनों मसविदों पर राय ली। जिन लोगों ने राजेन्द्र बाबू द्वारा संशोधित गाधी जी के मसविदे के लिए राय दी वे ये थे—सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र बाबू, जे० बी० कृपलानी, शंकरराव देव, सरोजिनी नायडू, प्रफुल्ल चन्द्र घोष। जवाहर लाल जी के मसविदे के लिए राय देने वाले ये थे—जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पन्त, भूलाभाई देसाई और आसफअली। आमन्त्रित लोगों में श्री जयरामदास, दौलतराम, आचार्य नरेन्द्र देव, अच्युत पटवर्धन, बारदोलोई तथा विश्वनाथ दास ने राजेन्द्र बाबू के मसविदे के लिए और श्री सत्यमूर्ति तथा श्रीमती आर० एस पंडित ने जवाहर लाल जी के मसविदे के लिए राय दी।

१ मई की प्रातःकाल की बैठक में समिति ने राजेन्द्र बाबू का मसविदा स्वीकार किया। लेकिन मध्यान्होत्तर की बैठक मे अध्यक्ष ने इस विषय पर पुनः विचार प्रारम्भ किया। जो लोग राजेन्द्र बाबू के मसविदे के पक्ष में थे उन से अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि वे जवाहर लाल जी के मसविदे को स्वीकार कर लें और उसे सर्वसम्मत बनावें। अध्यक्ष की राय में दोनों मसविदों में वास्तव मे कोई भेद नहीं था यद्यपि दोनों मसविदों के समर्थकों की राय थी कि दृष्टिकोण में बड़ा भेद है। राजेन्द्र बाबू के मसविदे के समर्थकों ने अध्यक्ष की राय को मान लिया और जवाहरलाल जी के मसविदे को स्वीकार कर लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत प्रस्ताव निम्न प्रकार है :— (देखो परिशिष्ट ब)

परिशिष्ट 'अ'

मसविदा, संख्या १, इलाहाबाद २७ अप्रैल १९४२, कार्य समिति

चूंकि सर स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा रखे गये बृटिश युद्ध-मन्त्रिमण्डल के प्रस्तावों ने बृटेन के साम्राज्यवाद को अभूतपूर्व ढंग से नग्न रूप में प्रकट कर दिया है इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी निम्न निर्णय पर पहुंची है :—

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राय में बृटेन भारत की रक्षा नहीं कर सकता। यह स्वाभाविक है कि वह जो कुछ करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है। बृटेन और भारत के हितों में एक स्थायी भेद है। फलस्वरूप रक्षा के सम्बन्ध में उनके विचार भी भिन्न होंगे। बृटिश सरकार को भारत के राजनीतिक दलों में विश्वास नहीं है। अभी तक भारतीय सेना मुख्यतः भारत को पराधीन रखने के लिए कायम रही है। जनसाधारण

से यह सेना बिल्कुल पृथक रही है जो किसी भी दशा में इसे अपनी सेना नहीं समझ सकती। पारस्परिक अविश्वास की यह नीति अभी जारी है और यही कारण है कि राष्ट्र रक्षा का कार्य भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में नहीं दिया जाता है।

भारत से जापान का झगड़ा नहीं है। वह तो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ रहा है। भारत को भारतीय जनता के प्रतिनिधियों की राय से युद्ध में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह ब्रिटेन ने केवल अपनी इच्छा से किया है। यदि भारत स्वतन्त्र हो जाय तो सम्भवतः उसका सबसे पहला कार्य जापान के साथ बातचीत जारी करना होगा। कांग्रेस की राय में यदि ब्रिटेन भारत से हट जाय तो भारत जापान या अन्य किसी आक्रमणकारी के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सकेगा।

इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राय में ब्रिटेन को भारत से हट जाना चाहिए। यह कहना कि उन्हें देशी नरेशों की रक्षा के लिए भारत में रहना चाहिए बिलकुल अप्रासंगिक है। यह इस बात का एक और प्रमाण है कि ब्रिटेन भारत पर अपना प्रभुत्व जमाये रखने के लिए दृढ़ता से तत्पर है। निरस्त्र भारत से देशी नरेशों को डरने का कोई कारण नहीं है।

बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों का प्रश्न ब्रिटेन ने ही पैदा किया है और उसके यहां से हट जाने से यह प्रश्न स्वयं समाप्त हो जायगा।

इन सब कारणों से ब्रिटेन की अपनी रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए और विश्व शान्ति के लिए कार्यसमिति ब्रिटेन से अनुरोध करती है कि वह अफ्रीका और एशिया के अन्य अधिकृत प्रदेशों से अपना प्रभुत्व चाहे न हटाने पर भारत से उसे अपना प्रभुत्व हटा ही लेना चाहिए।

कार्यसमिति जापान की सरकार और जापान की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि जापान या अन्य किसी राष्ट्र के प्रति भारत कोई शत्रुता नहीं रखता है। भारत की केवल यह इच्छा है कि वह किसी बाहरी देश के प्रभुत्व में न रहे। लेकिन स्वतन्त्रता की इस लड़ाई में यद्यपि भारत संसार भर की सहानुभूति का स्वागत करता है फिर भी समिति की राय में उसे किसी भी विदेशी शक्ति की सैनिक सहायता नहीं चाहिए। भारत अहिंसा की शक्ति से अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा और उसी के बल पर उसे बनाये रखेगा। इसलिए समिति आशा करती है कि जापान भारत के विरुद्ध अपने कोई मनसूबे नहीं रखेगा। लेकिन यदि जापान ने भारत पर आक्रमण किया और ब्रिटेन ने समिति के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया तो उन सब लोगों से, जो समिति से पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं समिति यह अनुरोध करेगी कि सारी जनता को जापानी सैनिकों से पूर्ण रूप से अहिंसात्मक असहयोग करना चाहिए और उन्हें कोई सहायता नहीं देनी चाहिए। आक्रमणकारियों को सहायता देना आक्रान्तों का कार्य नहीं है। उनका कर्तव्य है कि वे आक्रमणकारी से पूर्णतया असहयोग करें।

अहिंसात्मक असहयोग के साधारण सिद्धांत को समझना कठिन नहीं है :—

१. हमें आक्रमणकारी के सम्मुख न तो घुटने टेकने चाहिए और न उसकी कोई आज्ञा माननी चाहिए।

२. हमें उससे किसी कृपा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न उसकी घूसनाहट का शिकार होना चाहिए लेकिन हमें उसके प्रति न कोई दुर्भावना रखनी चाहिए और न उसका बुरा सोचना चाहिए।

३. यदि वह हमारे खेतों पर कब्जा करना चाहे तो हम उन्हें छोड़ने से इन्कार करदेंगे चाहे विरोध के प्रयत्नों में हमें मर मिटना पड़े।

४. यदि वह बीमारियों का शिकार हो जाय या प्यास से मरने लगे और हमारी सहायता मांगे तो हम उसे इन्कार नहीं करेंगे।

जिन स्थानों में बृटेन और जापान की सेनाएँ लड़ रही हैं वहाँ हमारा असहयोग व्यर्थ और अनावश्यक होगा। अभी बृटेन से हमारा असहयोग सीमित है। जब बृटेनवासी जापान से लड़ाई लड़ रहे हों उस समय यदि हम बृटेन के साथ असहयोग करें तो इसका अर्थ यह होगा कि जानबूझ कर अपने देश को जापानियों के हाथ में सौंप रहे हैं। इसलिए प्रायः बृटेन की सेनाओं के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न डालना ही जापान के प्रति हमारे असहयोग का सूचक होगा। हम बृटेन की भी क्रियात्मक रूप से सहायता न करेंगे। बृटेन के हाल के रुख से हम यही समझ सकते हैं कि बृटिश सरकार हमारी इससे अधिक कोई सहायता नहीं चाहती कि हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। वह हमारी सहायता केवल गुलाम के रूप में चाहती है। यह स्थिति हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते।

कमेटी के लिए स्वेच्छा विनाश के विषय में स्पष्ट घोषणा कर देना आवश्यक है। यदि हमारे अहिंसात्मक विरोध के होते हुए भी देश के किसी भाग पर जापानियों का अधिकार हो जाय तो हम अपनी फसलें, जल व्यवस्था आदि को नष्ट नहीं करेंगे, चाहे सिर्फ इस लिए कि इन वस्तुओं पर फिर अधिकार करने के लिये भी हमारा प्रयत्न होगा। युद्ध सामग्री नष्ट करने का प्रश्न दूसरा है और कुछ परिस्थितियों में एक सैनिक आवश्यकता हो सकती है। परन्तु जो वस्तु जनता की है और उसके लिए उपयोगी है उसे नष्ट कर देना कांग्रेस की नीति कभी नहीं हो सकती।

जापानी सेना के विरुद्ध होने वाला असहयोग अपेक्षाकृत थोड़े से व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगा और यदि वह पूर्ण और सच्चा होगा तो अवश्य सफल होगा, परन्तु पूर्ण स्वराज्य का निर्माण तभी होगा जब भारत के करोड़ों नरनारी हृदय से रचनात्मक कार्यक्रम में जुट जायेंगे। इसके बिना सम्पूर्ण राष्ट्र का शताब्दियों के आलस्य से त्राण नहीं होगा। अंगरेज रहें या न रहें हमारा कर्त्तव्य सदा बेकारी दूर करना, धनिकों और निर्धनों के बीच की खाई पाटना, साम्प्रदायिक विद्वेष दूर करना, छूआछूत के भूत को भगाना, डाकुओं का सुधार करना और उनसे जनता की रक्षा करना होना चाहिए। यदि राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में करोड़ों व्यक्ति हृदय से दिलचस्पी नहीं लेंगे तो स्वतन्त्रता स्वप्न मात्र बनी रहेगी और अहिंसा अथवा हिंसा किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होगी।

विदेशी सैनिक

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मत है कि भारत में विदेशी सैनिकों का लाया जाना भारतीय हितों के लिए हानिकारक और भारतीय स्वतन्त्रता के लिए भयावह है। इसलिए वह बृटिश सरकार से इन विदेशी सैनिकों को हटा लेने और नये सैनिकों का आना बन्द कर देने की अपील करती है। भारत की इतनी जनसंख्या के होते हुए विदेशी सैनिकों का लाया जाना बड़ी भारी लज्जा की बात है और बृटिश साम्राज्यवाद के अनौचित्य होने का एक प्रमाण है।

परिशिष्ट 'ब'

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव, १ मई १९४२

भारत के सम्मुख आक्रमण का जो तात्कालिक खतरा है और सर स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा उपस्थित किए गये हाल के प्रस्तावों में ब्रिटिश सरकार का जो रुख प्रकट हुआ है उसे देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिये भारत की नीति को पुनः घोषित करना आवश्यक है तथा जनता को यह परामर्श देना आवश्यक है कि निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाले आपत्कालों में वह क्या करे।

ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव और बाद में सर स्टैफर्ड क्रिप्स द्वारा किये गये उनके स्पष्टीकरण से उस सरकार के विरुद्ध अधिक कटु भावना और अविश्वास उत्पन्न हो गया है और ब्रिटेन के साथ असहयोग करने का भाव बढ़ गया है। उन्होंने दिखा दिया है कि इस समय भी जब केवल भारत के लिए ही नहीं वरन् मित्रराष्ट्रों के लक्ष्य के लिये भी संकटकाल है, ब्रिटिश सरकार एक साम्राज्यवादी सरकार के तौर पर कार्य कर रही है और उसने भारत की स्वतन्त्रता को स्वीकार करने अथवा कोई भी सच्चा अधिकार देने से इन्कार कर दिया है।

युद्ध में भारत का सम्मिलित होना एक बिलकुल अंगरेजों का कार्य है जिसे भारतीय जनता के ऊपर उसके प्रतिनिधियों की स्वीकृति लिये बिना ही लाद दिया गया है। भारत का किसी भी देश के लोगों से कोई झगड़ा नहीं है, फिर भी उसने साम्राज्यवाद के समान ही नाजीवाद और फासिस्टवाद के प्रति अपना विरोध बारम्बार प्रकट किया है। यदि भारत स्वतन्त्र होता तो वह अपनी नीति स्वयं निर्धारित करता और शायद युद्ध से अलग रहता, यद्यपि उसकी सहानुभूति प्रत्येक दशा में आक्रमण के शिकार हुए राष्ट्रों के साथ होती। यदि परिस्थितियों से विवश हो कर उसे युद्ध में सम्मिलित होना ही पड़ता तो वह स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले एक स्वतन्त्र देश के रूप में सम्मिलित होता और उसकी रक्षा-व्यवस्था का संगठन राष्ट्रीय नियन्त्रण और नेतृत्व में राष्ट्रीय सेना द्वारा तथा जनता से घनिष्ठ सम्पर्क रखते हुए एक लोकप्रिय आधार पर किया जाता। किसी आक्रमणकारी का आक्रमण होने की दशा में स्वतन्त्र भारत अपनी रक्षा स्वयं कर सकेगा। वर्तमान भारतीय सेना ब्रिटिश सेना की एक शाखामात्र है और अभी तक उसका प्रयोग भारत को पराधीन बनाए रखने के लिए ही किया गया है। साधारण जनता से उसे बिलकुल अलग रखा गया है। इसलिए जनता उसे अपनी सेना नहीं मान सकती।

रक्षा के विषय में साम्राज्यवादी और लोकप्रिय दृष्टिकोणों में जो महत्वपूर्ण अन्तर है वह इसी बात से प्रकट हो जाता है कि जहां विदेशी सेनाओं को रक्षा के लिए भारत में बुलाया जा रहा है वहां भारत की विशाल जनशक्ति का इस कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता। भारत पिछले अनुभवों से सीख चुका है कि विदेशी सेनाओं का लाया जाना उसके हित के लिए हानिकारक और उसकी स्वतन्त्रता के लिए भयावह है। यह बात अत्यन्त उल्लेखनीय और असाधारण है कि जब भारत अपनी भूमि अथवा सीमा पर लड़ने वाली विदेशी सेनाओं की रणस्थली बन रहा हो तो भी उसकी अनन्त जनशक्ति का उपयोग न किया जाय और उसकी रक्षा का प्रश्न जनता द्वारा नियन्त्रण के योग्य विषय न माना जाय। विदेशी सत्ता द्वारा निपटा दी जाने वाली जड़ वस्तुओं के समान अपने निवासियों के साथ व्यवहार किए जाने पर भारत रोष प्रकट करता है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दृढ़ विश्वास है कि भारत अपने बलबूते पर ही स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा और इसी प्रकार उसकी रक्षा कर सकेगा। वर्तमान संकट और सर स्टैफर्ड क्रिप्स से की गई बातों के अनुभव में कांग्रेस के लिए किसी भी ऐसी योजना अथवा प्रस्ताव पर विचार करना असम्भव हो गया है

जिससे, चाहे आंशिक रूप में ही क्यों न हो, भारत में बृटिश नियन्त्रण और सत्ता बनी रह जाय। केवल भारत के हित की ही नहीं वरन् बृटेन की सुरक्षा और विश्वशान्ति एवं स्वतन्त्रता की भी यह मांग है कि बृटेन को भारत से अपना अधिकार अवश्य हटा लेना चाहिए। केवल स्वतन्त्रता के आधार पर ही भारत बृटेन अथवा अन्य राष्ट्रों के साथ व्यवहार कर सकता है।

किसी भी विदेशी राष्ट्र के हस्तक्षेप अथवा आक्रमण द्वारा भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होने की धारणा का कमेटी खंडन करती है—चाहे उस राष्ट्र के कैसे ही उद्देश्य क्यों न हों। यदि आक्रमण हो ही जाय तो उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। यह विरोध केवल अहिंसात्मक असहयोग का रूप ही धारण कर सकता है क्योंकि बृटिश सरकार ने किसी भी अन्य प्रकार से जनता द्वारा राष्ट्रीय रक्षा का संगठन असम्भव बना दिया है। इसलिए कमेटी भारतीय जनता से आक्रमणकारी सेनाओं से अहिंसात्मक असहयोग करने और उन्हें कोई सहायता न देने की आशा करेगी। हम आक्रमणकारी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे और न उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हम न उसकी कृपा की अभिलाषा करेंगे, और न उसकी फुसलाहट के शिकार होंगे। यदि वह हमारे घरों और हमारे खेतों पर अधिकार करना चाहेगा, तो हम उन्हें छोड़ने से इन्कार कर देंगे फिर चाहे विरोध करने के प्रयत्न में हमारी जान ही क्यों न चली जाय। जिन स्थानों पर बृटिश और आक्रमणकारी सेनाएं लड़ती होंगी वहां हमारा असहयोग करना निरर्थक और अनावश्यक होगा। बृटिश सेनाओं के मार्ग में कोई बाधा न डालना ही बहुधा एक प्रकार से आक्रमणकारी के साथ हमारे इस असहयोग के प्रदर्शन का एक मात्र उपाय होगा। बृटिश सरकार के रुख से प्रकट होता है कि वह हम से हस्तक्षेप न करने से अधिक और कोई सहायता नहीं लेना चाहती।

आक्रमणकारी के प्रति असहयोग और अहिंसात्मक विरोध करने की इस नीति की सफलता अधिकांश में कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम और विशेषत: देश के समस्त भागों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मरक्षा के कार्यक्रम को जोरों से चलाने पर ही निर्भर रहेगी।

परिशिष्ट संख्या २

महात्मा गांधी के नाम श्री राजगोपालाचार्य का १८ जुलाई, सन् १९४२ का पत्र

'मद्रास, जुलाई १८, १९४२—प्रिय महात्मा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य-कारिणी ने १४ जुलाई को वर्धा में जो प्रस्ताव आगामी मास में होने वाली अखिल भारतीय महासमिति की बैठक में पेश करने के लिये पास किया है, उसे हमने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने पर इसके जो व्यापक परिणाम हों, उन्हें ध्यान में रखते हुये तथा आप के साथ सन् १९२० से काम करते रहने के कारण हम यह अपना कर्तव्य समझते हैं कि इस विषय में हम अपना सुविचारित मत आपके सम्मुख रखें। विदेशी आधिपत्य से पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये भारत की मांग के सम्बन्ध में यद्यपि कोई मतभेद नहीं हो सकता, यह विचार कि सरकार के हट जाने के पश्चात् स्वयमेव एक और सरकार स्थापित हो जाएगी, सर्वथा असम्भव है। राज्यसत्ता केवलमात्र एक बाहरी संगठन नहीं है परन्तु उसका तो जनता के प्रत्येक कार्य की गतिविधि के साथ इतना घनिष्ठ और निकट संपर्क है कि एक सरकार के हटने के साथ ही साथ दूसरी सरकार की स्थापना के बिना समाज और शासनसत्ता का छिन्न-भिन्न हो जाना अनिवार्य है। किसी भी शासनसत्ता के लिये अपने उत्तराधिकारी को सत्ता में शामिल किये बिना अथवा किसी अन्य सरकार द्वारा बलात् निकाल दिये जाने

बिना हट जाना नितान्त अस्वाभाविक है। एक अस्थायी सरकार की स्थापना और विधाननिर्मात्-परिषद का आयोजन तभी संभव है, जब शासन संगठन के बराबर बने रहने का निश्चित आश्वासन प्राप्त हो सके।

"इस लिए हम अनुभव करते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम समझौता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, जब तक कि ब्रिटिशसत्ता इस देश में बसी हुई है, उसके यहां से हट जाने की मांग करने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस देश की मुख्य राजनीतिक संस्थाओं अर्थात् कांग्रेस और मुस्लिम-लीग को अस्थायी सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में एक संयुक्त योजना बना लेनी चाहिये, जिससे यह अस्थायी सरकार शक्ति ग्रहण कर सके और राज-सत्ता के नैरन्तर्य को बनाये रखे। यदि हम यह भी मान लें कि नैतिक दबाव डाल कर अंग्रेज़ों को बिना शर्त यहां से हटने के लिए विवश किया जा सकता है, हमारा विश्वास है कि वर्तमान परिस्थितियों के रहते हुए जो अव्यवस्था अंग्रेजों के हटने के बाद उत्पन्न होगी उसके कारण किसी उचित समय में ऐसी अस्थायी सरकार की स्थापना न हो सकेगी, जैसी स्थापित करने का आप विचार रखते हैं।

"हम ऐसी मांग को प्रस्तुत करना गलत समझते हैं, जो यदि पूरी हो जाय तो उसका परिणाम निश्चित रूप से अराजकता की उत्पत्ति होगा, या उस मांग के अस्वीकृत होने पर ऐसा कार्यक्रम तैयार करना भी हम ठीक नहीं समझते, जिसमें व्यापक रूप से हम स्वयं अपने आप को कष्ट में डाल दें।

"आपका प्रस्ताव है कि नागरिक शासनसत्ता तो हटा ली जाय किन्तु ब्रिटिश और मित्रराष्ट्रीय सेनायें प्रस्तावित भावी अस्थायी सरकार से सन्धि होने तक भारत में रह सकती हैं, जिस का एक मात्र परिणाम यही होगा कि फौजें ही सम्पूर्ण सरकारी काम-काज चलाने लगेंगी। यह अवश्य होगा चाहे सेनायें केवल अपनी रक्षा और सफल कारोबार के लिए ही ऐसा क्यों न करें। यह भी सम्भव है कि उन्हें स्थानीय सरदारों और पीड़ित जनता से इस कदम की ओर अग्रसर होने की और अधिक प्रेरणा मिले। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की अधिक विकृत रूप में पुनः प्रस्थापना हो जायगी।

"इन आपत्तियों के होते हुवे भी सम्भवतः हम आप के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते, केवल इस विचार से कि अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे और व्यावहारिक रूप में आन्दोलन वर्तमान सरकार के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी विरोध और सम्भवतः उचित समय पर एक सन्तोषजनक समझौते का उत्पादक होगा। परन्तु नाज़ुक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति, जिस से भारत का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, निश्चित रूप से प्रकट करती है कि आन्दोलन से तुरन्त ही लाभ उठाने वाला पक्ष जापान होगा। यदि यह आन्दोलन ब्रिटिश सरकार को शासनच्युत करके जापानी आक्रमण का मुकाबला करने योग्य एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर सके तो इस आन्दोलन से सम्बद्ध समस्त खतरों को उठाना उचित होगा। परन्तु चूंकि सुदूर भविष्य में भी इस परिणाम की आशा नहीं है, यह तो केवल अधिकाधिक व्यापक दमन और कष्ट का उत्पादक होगा जिस से जापानी आक्रमण और अधिकार को सहायता मिलेगी।

"इस बात की बहुत कम सम्भावना है कि अधिकारी आन्दोलन को सुव्यवस्थित रूप में और केन्द्रीय निरीक्षण में आगे बढ़ने देंगे। उचित निरीक्षण के अभाव के फलस्वरूप कहीं-कहीं होने वाली हिंसा की उपेक्षा भी कर दें तब भी एक और भयानक खतरा है। जब उत्तरदायी नेता जेल में बन्द कर दिये जाएंगे और उनका नेतृत्व प्राप्त नहीं हो सकेगा, तो शत्रु सुगमता से आन्दोलन से लाभ उठा सकता है और आन्दोलन को पांचवें कालम के रूप में परिवर्तित कर सकता है।

"मतभेद होने पर भी, हम आप द्वारा संचालित किसी भी आन्दोलन में भक्तिपूर्वक सम्मिलित हो जाते, यदि इसके इतने भीषण परिणाम न होते जैसे कि ऊपर वर्णन किये गये हैं। हमारा विश्वास इतना दृढ़ है कि हम इन कारणों से इस आन्दोलन का सार्वजनिक रूप से विरोध करना अपना कर्तव्य समझते हैं। परन्तु इस अवसर पर यह भी कहा जा सकता है कि आपका प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रीय अधीरता के साथ साथ विरोध का प्रतीक होगा और वास्तव में देश को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष कार्यवाही में डाले बिना ही भारत के राजनीतिक सन्ताप के हल के लिए कोई नया सुझाव पेश करेगा। हमारे किसी कार्य द्वारा इस सम्भावना को हानि न पहुंचे इसलिए हम अपने विरोध को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करके आपको यह पत्र भेज कर निवेदन करना चाहते हैं कि आपने जो कार्यवाही करने का विचार किया है, उसे न करें।" (हस्ताक्षर)
सी० राजगोपालाचार्य, के० सन्तानम्, एस० रामनाथन, टा० टी० एस० एस० राजन्।

श्री गांधी का उत्तर

सेवाग्राम, वर्धा, जुलाई २०, १९४२—"प्रिय सी० आर०, मैं आपको पत्र लिखने ही वाला था कि आपका पत्र मिला। वास्तव में, आपके पत्र में जो उत्कृष्ट विचारधारा बह रही है उसे मैं समझता हूं और उसका आदर करता हूं। मैं आप चारों को यहां आने का निमन्त्रण देता हूं ताकि अपने स्नेह और तर्क से आप मुझे उस काम से रोकें, जो आपको गलत प्रतीत होता है। चाहे जो भी हो आपकी मानसिक यात्रा बाकी है। आप किसी दिन भी आ सकते हैं। मैं आपको जो कुछ लिखना चाहता था, वह यह है। समझौते के बारे में आपका जो विचार है उसके प्रचार के लिये आप अपने मुस्लिम मित्रों के साथ मिल कर एक लीग क्यों नहीं बना लेते? क्या आपको कायदे आजम से मेरे पत्र का उत्तर पहुंच गया है? क्या आपको उनकी पाकिस्तान की परिभाषा स्वीकार है? स्वतंत्रता के सम्बन्ध में जनसाधारण की क्या भावना है? निश्चय ही कोई समझौता करने से पूर्व आधारभूत विषयों पर आपकी एक ही सम्मति होनी चाहिए। ऐसा न हो कि आपत्तियों से भय कहीं आपको और बुरी स्थिति में डाल दें। और बातें आपके यहां आने पर। आप सबको प्यार। बापू।"

परिशिष्ट ३ (१)

१४ जुलाई १९४२ को वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा पास किया गया प्रस्ताव

जो घटनाएं प्रतिदिन घट रही हैं और भारतवासियों को जो-जो अनुभव हो रहे हैं उनसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की यह धारणा पुष्ट होती जा रही है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अन्त अति शीघ्र होना चाहिए। यह केवल इसलिए नहीं कि विदेशी सत्ता अच्छी से अच्छी होते हुए भी स्वयं एक दूषण है और परतंत्र जनता के लिए अनिष्ट का कारण होती है, बल्कि इसलिए कि दासत्व शृंखला में जकड़ा हुआ भारत अपनी ही रक्षा के बारे में और मानवता का विनाश करने वाले युद्ध के भाग्य-चक्र को प्रभावित करने में पूरा पूरा भाग नहीं ले सकता। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता न केवल भारत के हित में आवश्यक है बल्कि संसार की सुरक्षा के लिए और नाजीवाद, फासिस्टवाद, सैनिकवाद और अन्य प्रकार के साम्राज्यवादों एवं एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र के आक्रमण का अन्त करने के लिए भी। महायुद्ध के छिड़ने के समय से कांग्रेस ने यत्नपूर्वक परेशान न करने की नीति का अनुसरण किया है। सत्याग्रह के प्रभावहीन हो जाने का खतरा उठाते हुए भी कांग्रेस ने

इसे जानबूझ कर सांकेतिक स्वरूप दिया और यह इस आशा से कि परेशान न करनेवाली इस नीति के यौक्तिक पराकाष्ठा तक पहुंचने पर इसका यथोचित समादर किया जायगा और वास्तविक सत्ता लोकप्रिय प्रतिनिधियों को सौंप दी जायगी जिससे कि राष्ट्र विश्व भर में मानव स्वतन्त्रता, जिसके कुचल दिये जाने का खतरा उपस्थित है, प्राप्त करने के कार्य में अपना पूरा सहयोग देने में समर्थ हो सके। इसने यह आशा भी कर रखी थी कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जायगा जिससे भारत पर बृटेन के आधिपत्य के और भी दृढ़ होने की सम्भावना हो।

किन्तु इन आशाओं को चकनाचूर कर डाला गया है। क्रिप्स की निष्फल योजना ने स्पष्ट रूप से दिखला दिया है कि भारत के प्रति बृटिश सरकार की मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व किसी प्रकार शिथिल न होने दिया जायगा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ वार्ता करने में कांग्रेस प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय मांग के अनुरूप कम से कम अधिकार प्राप्त करने का जी तोड़ प्रयत्न किया किन्तु सफलता न मिली। इस असफलता के परिणाम स्वरूप बृटेन के विरुद्ध विद्वेष-भावना में शीघ्रता के साथ और व्यापक रूप से वृद्धि हुई है और जापानियों की सैनिक सफलता से विशेष सन्तोष प्राप्त हुआ है।

कार्यसमिति इस स्थिति को घोर आशंका की दृष्टि से देखती है क्योंकि, यदि इसका प्रतिरोध न किया गया तो, अनिवार्य रूप से इसका परिणाम आक्रमण को निष्क्रिय भाव से सहन करना होगा। समिति की धारणा है कि सब प्रकार के आक्रमणों का प्रतिरोध होना ही चाहिए क्योंकि इसके आगे झुक जाने का अर्थ अवश्य ही भारतीयों का पतन और उनकी परतन्त्रता का जारी रहना होगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि मलाया, सिंगापुर और बर्मा पर जो बीती है वही भारत पर भी बीते इसलिए वह चाहती है कि भारत पर जापान या किसी अन्य विदेशी सत्ता की चढ़ाई या आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध शक्ति का संगठन करे। बृटेन के विरुद्ध जो विद्वेष-भावना वर्तमान है उसे कांग्रेस सद्भावना के रूप में परिणत कर देगी और भारत को, संसार भर के राष्ट्रों और अधिवासियों के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करने के संयुक्त उद्योग और इसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्ट और क्लेशों में स्वेच्छापूर्वक भाग लेने को प्रेरित करेगी। यह केवल उसी अवस्था में सम्भव है जब भारत स्वतंत्रता के आलोक का अनुभव करे।

कांग्रेस प्रतिनिधियों ने साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने का शक्ति भर प्रयत्न किया है। किन्तु विदेशी सत्ता की उपस्थिति में यह काम असम्भव होगया है और वर्तमान अवास्तविकता के स्थान पर वास्तविकता की स्थापना तभी हो सकती है जब विदेशी प्रभुता और हस्तक्षेप का अन्त कर दिया जाय और भारतीय जन, जिनमें सब दलों और समुदायों के व्यक्ति होंगे, भारतीय समस्याओं का सामना करें और पारस्परिक समझौते के आधार पर उनका हल ढूंढ निकालें।

तब सम्भवतः वर्तमान राजनीतिक दल जो प्रधानतः बृटिश सत्ता को अपनी ओर आकृष्ट करने और उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से संगठित हुए हैं, अपनी कार्रवाई बन्द कर देंगे। भारत के इतिहास में, फिर यह बात पहले-पहल अनुभव की जायगी कि भारतीय नरेश, जागीरदार, जमींदार और सम्पत्तिवान तथा धनिक वर्ग उन श्रमजीवियों से अपना धन और सम्पत्ति प्राप्त करते हैं, जो खेतखलिहान, कारखानों और दूसरे स्थानों पर काम करते हैं और जो वास्तव में शक्ति एवं सत्ता के अधिकारी हैं। भारत से बृटिश शासन के हटा लिये जाने पर देश के जिम्मेदार स्त्रीपुरुष एक साथ मिलकर एक अस्थायी सरकार का निर्माण करेंगे जो भारत के समस्त

महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी और बाद में ऐसी योजना को जन्म देगी जिससे विधान निर्मात्री की रचना हो सकेगी जो राष्ट्र के सब वर्गों के स्वीकार करने योग्य भारतीय शासन विधान का निर्माण करे स्वतन्त्र भारत के प्रतिनिधि और बृटेन के प्रतिनिधि दोनों देशों के सहयोग और भावी सम्बन्ध को स्थिर करने लिए, आक्रमण का सामना करने के सामूहिक कार्य में सहयोगियों के रूप मे, परस्पर वार्तालाप करेंगे।

कांग्रेस की हार्दिक इच्छा है कि वह, जनता की सम्मिलित इच्छा और शक्ति के बल पर, भारत आक्रमण का सफल प्रतिरोध करने के योग्य बनावे। भारत से बृटिश सत्ता के उठा लिये जाने का प्रस्ताव करने में कांग्रेस की यह इच्छा नहीं है कि इससे बृटेन अथवा मित्र राष्ट्रों के युद्ध कार्यों मे बाधा पहुचे या जापान या धुरी समूह के किसी अन्य राष्ट्र को भारत पर आक्रमण करने या चीन पर दबाव बढ़ाने को प्रोत्सा मिले। और न कांग्रेस मित्रराष्ट्रों की रक्षा-शक्ति को हानि पहुचाने का इरादा रखती है।

इसलिए जापानियों के या किसी और के आक्रमण को दूर रखने या उसका प्रतिरोध कर के लिये, तथा चीन की रक्षा और सहायता के लिये कांग्रेस भारत में मित्रराष्ट्रों की सशस्त्र सेनाओं को टिकाने के लिए, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो, राजी है। भारत से बृटिश सत्ता के हटा लिये जाने के प्रस्ताव का उद्देश्य यह कभी नहीं था कि भारत से सारे अंगरेज और निश्चय ही अंगरेज विदा हो जाय जो भारत को अपना घर बना कर वहा दूसरों के साथ नागरिक और समानाधिकारी बन कर रहना चाहते है। यदि इस प्रकार का घटना सद्भावना पूर्वक सम्पन्न हो तो इसके परिणाम स्वरूप भारत में स्थायी शासन की स्थापना और आक्रमण का प्रतिरोध करने तथा चीन को सहायता देने में इस सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रों के मध्य सहयोग हो सकता है। कांग्रेस इस बात को समझती है कि ऐसा मार्ग ग्रहण करने में खतरे भी उपस्थित हो सकते हैं। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए और खास कर वर्तमान संकटापन्न स्थिति में देश एवं ससार भर मे कहीं अधिक खतरों और विपदाओं से घिरे हुए स्वतन्त्रता के विशालतर आदर्श को बचाने के लिए, किसी भी देश को ऐसे खतरों का सामना करना ही पड़ता है। अस्तु, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधीर है, वह जल्दबाजी मे कोई काम करना नहीं चाहती और न ऐसा मार्ग ग्रहण करना चाहती है जिससे मित्रराष्ट्रों को परेशानी हो। इसलिए यदि बृटिश सरकार इस अत्यन्त यौक्तिक और उचित प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, जो न केवल भारत के बल्कि बृटेन के और उस स्वतंत्रता के हित में है जिससे मित्रराष्ट्र अपने को संश्लिष्ट घोषित करते हैं, तो कांग्रेस को बृटिश सरकार के इस कार्य से प्रसन्नता होगी। अतएव, यदि यह अपील व्यर्थ गई तो कांग्रेस वर्तमान स्थिति के स्थायित्व को, जिससे परिस्थिति का धीरे-धीरे बिगड़ना और भारत की आक्रमण विरोधी शक्ति और इच्छा का दुर्बल होना स्वाभाविक है, घोर आशंका की दृष्टि से देखेगी। उस स्थिति में कांग्रेस को अपनी समस्त अहिंसात्मक शक्ति का, जो सन् १९२०—जब कि इसने राजनीतिक अधिकारों और स्वाधीनता के समर्थन के लिए अहिंसा को अपनी नीति के एक अंग के रूप में स्वीकार किया था—के बाद संचित की गई है, अनिच्छा पूर्वक उपयोग करने को बाध्य होना पड़ेगा। इस प्रकार के व्यापक संघर्ष का नेतृत्व अनिवार्य रूप से महात्मा गांधी करेंगे। चूंकि, जो प्रश्न यहा उठाये गये हैं वे भारतीय जनता एवं मित्रराष्ट्रों की जनता के लिए सुदूरव्यापी तथा अत्यन्त महत्त्व के हैं इसलिए कार्यसमिति अन्तिम निर्णय के लिए इन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सिपुर्द करती है। इस कार्य के लिए ७ अगस्त १९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी।

परिशिष्ट सं० ३ (२)

८ अगस्त १६४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पास किया गया प्रस्ताव

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति के १४ जुलाई १९४२ के प्रस्ताव के विषयों पर, जो कार्यसमिति द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, और बाद की घटनाओं पर, जिनमें युद्ध की घटनावली, ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार वक्ताओं के भाषण और भारत तथा विदेशों में की गयी आलोचनाएं सम्मिलित हैं, अत्यन्त सावधानी के साथ विचार किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसका समर्थन करती है और उसकी राय है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तात्कालिक अन्त, भारत के लिए और मित्रराष्ट्रों के आदर्शों की पूर्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस शासन का स्थायित्व भारत की प्रतिष्ठा को घटाता और उसे दुर्बल बनाता है और अपनी रक्षा करने तथा विश्वस्वातंत्र्य के आदर्श की पूर्ति में सहयोग देने की उसकी शक्ति में क्रमिक ह्रास उत्पन्न करता है।

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रूसी और चीनी मोर्चों पर स्थिति के बिगड़ने को निराशा के साथ देखा है और वह रूसियों और चीनियों की उस वीरता की भूरि भूरि प्रशंसा करती है जो उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने में प्रदर्शित की है। जो लोग स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न कर रहे हैं और आक्रमण के शिकार हुए व्यक्तियों से सहानुभूति रखते हैं उन सबको नित्य बढ़ता जाने वाला खतरा उस नीति की परीक्षा करने के लिये बाध्य करता है जिसका मित्रराष्ट्रों ने अभी तक अवलम्बन किया है और जिसके कारण बारम्बार भीषण असफलताएं हुई हैं। ऐसे उद्देश्यों, नीतियों और प्रणालियों पर आरूढ़ बने रहने से असफलता सफलता में परिणत नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछले अनुभव से प्रकट हो चुका है कि असफलता इन नीतियों में निहित है। ये नीतियां स्वतन्त्रता पर इतनी आधारित नहीं की गई हैं जितनी कि अधीन और औपनिवेशिक देशों पर आधिपत्य बनाये रखने और साम्राज्यवादी परम्पराओं तथा प्रणालियों को अक्षुण्ण बनाये रखने के प्रयत्नों पर। साम्राज्य को अधिकार में रखना शासन-सत्ता की शक्ति बढ़ाने के बजाय एक भार और शाप बन गया है। आधुनिक साम्राज्यवाद की सर्वोत्कृष्ट क्रीड़ा भूमि, भारत इस प्रश्न की कसौटी बन गया है, क्योंकि भारत की स्वतन्त्रता से ही ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों की परीक्षा होगी और एशिया तथा अफ्रीका की जातियों में आशा और उत्साह भर जायगा।

"इस प्रकार इस देश में ब्रिटिश शासन के अन्त होने की अतीव और तत्काल ही आवश्यकता है। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य और स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र की सफलता निर्भर है। स्वतन्त्र भारत अपने समस्त विशाल साधनों को स्वतन्त्रता के पक्ष में और नाजीवाद, फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लगा कर इस सफलता को सुनिश्चित कर देगा। इससे केवल युद्ध की स्थिति पर ही पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ेगा वरन् समस्त पराधीन और पीड़ित मानव-समाज भी मित्रराष्ट्रों के पक्ष में हो जायगा और भारत जिन राष्ट्रों का मित्र होगा उनके हाथों में विश्व का नैतिक और आत्मिक नेतृत्व भी आ जायगा। बन्धनों में जकड़ा हुआ भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूर्तिमान स्वरूप बना रहेगा और उस साम्राज्यवाद का कलंक समस्त मित्रराष्ट्रों के सौभाग्य को दूषित करता रहेगा।

"इसलिये आज के खतरे को देखते हुए भारत को स्वतन्त्र कर देने और ब्रिटिश आधिपत्य को समाप्त कर

देने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञाओं और गारंटियों से वर्तमान परिस्थिति सुधार नहीं होसकता और न उस का मुकाबला किया जा सकता है। इनसे जनसमुदाय के मस्तिष्क पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ सकता जिसकी आज आवश्यकता है। केवल स्वतन्त्रता की दीप्ति से ही करोड़ों व्यक्तियों का वह बल और उत्साह प्राप्त किया जा सकता है जो तत्काल ही युद्ध के रूप को बदल देगा।

"इसलिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे आग्रह के साथ भारत से वृटिश-सत्ता के हटा लेने की मांग को दुहराती है। भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा हो जाने पर एक अस्थायी सरकार स्थापित कर दी जायगी और स्वतन्त्र भारत मित्रराष्ट्रों का मित्र बन जायगा और स्वातन्त्र्य संग्राम के सम्मिलित प्रयत्न की परीक्षाओं और दुःखसुख में हाथ बटायेगा। अस्थायी सरकार देश के मुख्य दलों और वर्गों के सहयोग से ही बनायी जा सकती है। इस प्रकार वह एक मिली जुली सरकार होगी जिसमें भारतीयों के समस्त महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। उसका प्रथम कर्त्तव्य अपनी समस्त सशस्त्र तथा अहिंसात्मक शक्तियों द्वारा मित्रराष्ट्रों से मिल कर भारत की रक्षा करना, आक्रमण का विरोध करना, और खेतों, कारखानों तथा अन्य स्थानों में काम करने वाले उन श्रमजीवियों का कल्याण और उन्नति करना होगा जो निश्चय ही समस्त शक्ति और अधिकार के वास्तविक पात्र हैं। अस्थायी सरकार एक विधान निर्मात्री परिषद की योजना बनायेगी और यह परिषद भारत सरकार के लिए एक ऐसा विधान तैयार करेगी जो जनता के समस्त वर्गों को स्वीकार होगा। कांग्रेस के मत मे यह विधान संघ विषयक होना चाहिए जिसके अन्तर्गत संघ में सम्मिलित होने वाले प्रान्तों को शासन के अधिकतम अधिकार प्राप्त होंगे। अवशिष्ट अधिकार भी इन प्रान्तों को प्राप्त होंगे। भारत और मित्रराष्ट्रों के भावी सम्बन्ध इन समस्त स्वतन्त्र देशों के प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित कर दिये जायंगे जो अपने पारस्परिक लाभ तथा आक्रमण का प्रतिरोध करने के सामान्य कार्य में सहयोग देने के लिये परस्पर वार्तालाप करेंगे। स्वतन्त्रता भारत को अपनी जनता की सम्मिलित इच्छा और शक्ति के बल पर आक्रमण का कारगर ढंग से विरोध करने में समर्थ बना देगी।

"भारत की स्वतन्त्रता विदेशी आधिपत्य से अन्य एशियाई राष्ट्रों की मुक्ति का प्रतीक और प्रारम्भ होगी। बर्मा, मलाया, हिन्द चीन, डच द्वीप समूह, ईरान और ईराक को भी पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इस समय जापानी नियन्त्रण में जो देश हैं उन्हें बाद को किसी औपनिवेशिक सत्ता के अधीन नहीं रखा जायगा।

"इस संकट काल में यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को प्रधानतः भारत की स्वाधीनता और रक्षा से सम्बन्ध रखना चाहिए तथापि कमेटी का मत है कि संसार की भावी शान्ति, सुरक्षा, और व्यवस्थित उन्नति के लिये स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक विश्वसंघ बनाने की आवश्यकता है। अन्य किसी बात को आधार बना कर आधुनिक संसार की समस्याएं नहीं सुलझाई जा सकतीं। इस प्रकार के विश्वसंघ से उसमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों की स्वतन्त्रता, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण और शोषण का रोकना, राष्ट्रीय अल्प-संख्यकों का संरक्षण, पिछड़े हुए समस्त देशों और लोगों की उन्नति और सब के सामान्य हित के लिये विश्वसाधनों का एकत्रीकरण किया जाना निश्चित हो जायगा। इस प्रकार का विश्वसंघ स्थापित हो जाने पर समस्त देशों में निःशस्त्रीकरण हो सकेगा, राष्ट्रीय सेनाओं, नौसेनाओं और वायुसेनाओं की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और विश्वसंघ-रक्षक सेना विश्व में शान्ति रखेगी और आक्रमण को रोकेगी।

"स्वतन्त्र भारत ऐसे विश्वसंघ में प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित होगा और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाने में अन्य देशों के साथ समान आधार पर सहयोग देगा ।

"ऐसे संघ का द्वार उसके आधारभूत सिद्धान्तों का पालन करने वाले समस्त राष्ट्रों के लिये खुला रहना चाहिए। युद्ध के कारण यह संघ आरम्भ में केवल मित्रराष्ट्रों तक ही सीमित रहेगा। यदि यह कार्य अभी प्रारम्भ कर दिया जाय तो युद्ध पर धुरीराष्ट्रों की जनता पर, और आगामी शान्ति पर इसका बहुत जोरदार प्रभाव पड़ेगा ।

"परन्तु कमेटी खेदपूर्वक अनुभव करती है कि युद्ध की दुःखद और व्याकुल कर देने वाली शिक्षाएं प्राप्त कर लेने के पश्चात् और विश्व पर संकट के बादलों के घिरे होने पर भी कुछ ही देशों की सरकारें विश्वसंघ बनाने की ओर कदम उठाने को तैयार हैं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया और विदेशी पत्रों की भ्रमपूर्ण आलोचनाओं से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय स्वतन्त्रता की स्पष्ट मांग का भी विरोध किया जा रहा है, यद्यपि यह वर्तमान खतरे का सामना करने और अपनी रक्षा तथा इस आवश्यक घड़ी में चीन और रूस की सहायता कर सकने के लिये की गई है। चीन और रूस की स्वतन्त्रता बड़ी मूल्यवान है और उसकी रक्षा होनी चाहिए, इसलिये कमेटी इस बात के लिये बड़ी उत्सुक है कि उसमें किसी प्रकार की बाधा न पड़े और मित्रराष्ट्रों की रक्षा करने की शक्ति में कोई विघ्न न होने पावे। परन्तु भारत और इन राष्ट्रों के लिये खतरा नित्य बढ़ता ही जा रहा है। और इस समय विदेशी शासन प्रणाली के आगे सिर झुकाने से भारत का पतन होता जा रहा है और स्वयं आत्मरक्षा करने तथा आक्रमण का विरोध करने की उसकी शक्ति घटती जा रही है। इस दशा में न तो नित्य बढ़ते जाने वाले खतरे का कोई प्रतिकार ही किया जा सकता है और न मित्रराष्ट्रों की जनता की कोई सेवा ही की जा सकती है। कार्यसमिति ने ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों से जो सच्ची अपील की थी उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। बहुत से विदेशी क्षेत्रों में की गई आलोचनाओं से प्रकट हो गया है कि भारत और विश्व की आवश्यकताओं के विषय में अज्ञानता फैली हुई है। कभी कभी तो आधिपत्य बनाये रखने की भावना और जातिगत ऊंचनीच का प्रतीक वह विरोध भी दिखाया गया है जिसे अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य के औचित्य का ज्ञान रखने वाली कोई भी अभिमानी जाति सहन नहीं कर सकती ।

"इस अन्तिम क्षण में विश्व स्वातन्त्र्य का ध्यान रखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी फिर ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों से अपील करना चाहती है। परन्तु वह यह भी अनुभव करती है कि उसे अब राष्ट्र को एक ऐसी साम्राज्यवादी और शासनप्रिय सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा प्रदर्शित करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है जो उस पर आधिपत्य जमाती है और जो उसे अपने तथा मानव-समाज के हित का ध्यान रखते हुए काम करने से रोकती है। इसलिये कमेटी भारत के स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के अविच्छेद्य अधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य से अहिंसात्मक प्रणाली से और अधिक से अधिक विस्तृत परिमाण पर एक विशाल संग्राम चालू करने की स्वीकृति देने का निश्चय करती है, जिससे देश गत २२ वर्षों के शान्तिपूर्ण संग्राम में संचित की गई समस्त अहिंसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके। यह संग्राम निश्चय ही गांधी जी के नेतृत्व में होगा और कमेटी उनसे नेतृत्व करने और प्रस्तावित कार्यवाइयों में राष्ट्र का पथप्रदर्शन करने का निवेदन करती है।

"कमेटी भारतीयों से उन खतरों और कठिनाइयों का, जो उनके ऊपर आयेंगे, साहस और दृढ़तापूर्वक सामना करने तथा गांधी जी के नेतृत्व में एक बने रह कर भारतीय स्वतन्त्रता के अनुशासित सैनिकों के समान

उनके निर्देशों का पालन करने की अपील करती है। उन्हें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि अहिंसा आन्दोलन का आधार है। ऐसा समय आ सकता है जब निर्देश देना अथवा निर्देशों का हमारी जनता तक सम्भव न होगा और जब कोई भी कांग्रेस समितियाँ कार्य नहीं कर सकेंगी। ऐसा होने पर इस आन्दोलन भाग लेने वाले प्रत्येक नर-नारी को सामान्य निर्देशों की सीमा में रहते हुए अपने आप काम करना चाहिए स्वतन्त्रता की कामना और उसके लिये प्रयत्न करने वाले प्रत्येक भारतीय को स्वयं अपना पथप्रदर्शक बन कर कठिन मार्ग पर अग्रसर होते जाना चाहिए जहा विश्राम का कोई स्थान नहीं है और जो अन्त में भारत स्वतन्त्रता और मुक्ति पर जा कर समाप्त होता है।

"अन्त में यह बताना है कि यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वतन्त्र भारत की भावी सरकार के विषय में अपना विचार प्रकट कर दिया है, तथापि कमेटी समस्त सम्बद्ध लोगों के लिये यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती है कि विशाल सग्राम आरम्भ करके वह कांग्रेस के लिये कोई सत्ता प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है। सत्ता जब मिलेगी तो उस पर समस्त भारतीयों का अधिकार होगा।"

परिशिष्ट सं० ४

गुप्त

आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस समिति

बेजवाडा, २९ जुलाई १९४२।

समस्त जिला कांग्रेस समितियों के नाम निम्न लिखित आदेश जारी किये जाते हैं। प्रधानों तथा मन्त्रियों से निवेदन है कि वे तुरन्त ही निम्न सुझावों के अनुसार संगठन का कार्य प्रारम्भ कर दें। परन्तु जिला कांग्रेस समितियों को यह अधिकार है कि यदि वे चाहें तो निम्नलिखित पैरा नम्बर १ में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत संगठन के कार्यक्रम में परिवर्तन या परिवर्द्धन कर सकते हैं। जिला कांग्रेस समितियों से निवेदन किया जाता है कि वे अपनी प्रथम रिपोर्ट १ अगस्त १९४२ तक भेज दें, और बाद में प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से रिपोर्ट भेजते रहें।

आन्दोलन के प्रारंभ होने पर उसकी सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगी कि हम उसे कितनी तीव्रता और तत्परता से आरम्भ कर सकते हैं। इसलिये यह संगठन केवल प्रभावशाली ही नहीं होना चाहिये, बल्कि इसका संचालन भार योग्य व्यक्तियों के हाथ में देना चाहिये और जहां कहीं भी संभव हो इसका क्रमिक प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

प्रान्तीय कांग्रेस समिति के प्रधान और मंत्री जिलों का दौरा करेंगे और जब तक वे स्वतंत्र रहेंगे इस आन्दोलन की प्रगति से सक्रिय संपर्क बनाये रखेंगे।

जिला कांग्रेस समितियों से यह भी निवेदन किया जाता है कि वे तुरन्त ही उस धनराशि को एकत्रित कर लें, जो साधारण सदस्यों से लेनी बाकी है। प्रान्तीय कांग्रेस समिति को जो भाग मिलना है, वह ६ अगस्त १९४२ तक अवश्य ही भेज दिया जाना चाहिये।

यदि किसी स्थान पर कांग्रेस कार्य के लिये दान एकत्रित किया जाय तो उसका चतुर्थांश तुरन्त ही प्रान्तीय कांग्रेस समिति को भेज दिया जाना चाहिये। यदि कभी प्रान्तीय कांग्रेस समिति भी दान एकत्र करने में सफल हो, तब भी उसे चतुर्थांश प्राप्त करने का ही अधिकार होगा।

(१) समस्त आन्दोलन अहिंसा पर आधारित रहेगा। कदापि कोई ऐसा कार्य न किया जाय जो इस आदेश के विरुद्ध हो।

अवज्ञा के समस्त कार्य प्रकट होने चाहियें, गुप्त रूप से नहीं।

(२) संगठन—जिले का विभाजन मालगुजारी के डिवीजनों अथवा ताल्लुकों के आधार पर सुविधाजनक विभागों में किया जा सकता है। उन्हें एक संगठन कर्त्ता के नियन्त्रण में रखना चाहिये। संगठन कर्त्ता को चुने हुए कांग्रेस कार्यकर्त्ता सहायता के लिये दिये जाने चाहियें, जोकि विस्तृत व्यवस्था, स्थान, तिथि और व्यक्तियों का प्रबन्ध करेंगे। इन संस्थाओं की सामूहिक तालिका, प्राप्य विस्तृत विवरण सहित तुरन्त ही प्रान्तीय कांग्रेस समिति के दफ्तर में भेज देनी चाहिये।

निम्नलिखित सुझावों पर तुरन्त ही अमल किया जा सकता है :

१. कार्यक्रम की मदों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जाय—ताड़ी के वृक्ष, प्राकृतिक नमक के गोदाम, शराब की दुकानें, रेलवे स्टेशन, तार और टेलीफोन की लाइनें, सेनाओं के पड़ाव, भर्ती के केन्द्र इत्यादि।

२. संगठन कार्य की विभिन्न मदों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के नामों की सूची तैयार करनी चाहिए।

३. सार्वजनिक सभाओं और गावों में विस्तृत प्रचार कार्य का आयोजन तुरन्त ही किया जाय।

४. कांग्रेस के प्रस्तावों तथा कांग्रेस विरोधी प्रचार के उत्तरों को विस्तृत रूप से प्रचारित किया जाना चाहिये। कदाचित् छपाना संभव न हो। डुप्लीकेटर मशीनों (प्रतिलिपि यन्त्रों) का प्रयोग किया जा सकता है। सामग्री एकत्र की जा सकती है परन्तु समय समय पर प्रान्तीय कांग्रेस समिति की ओर से भी इसकी पूर्ति होती रहेगी।

(३) अवज्ञा का स्वरूप वैयक्तिक, स्थूलरूप से वैयक्तिक अथवा सामूहिक हो सकता है।

(४) कार्यक्रम के विभाग।

वर्ग १—प्रथम अध्याय

(क) निषेधात्मक आदेशों का उल्लङ्घन।

(ख) गैरकानूनी तरीके पर समुद्र आदि का नमक उठा लाना।

(ग) गैरकानूनी संस्थाओं का खुले तौर पर सदस्य बने रहना।

वर्ग २—दूसरा अध्याय

(क) असहयोग की मदें।

वकीलों द्वारा अपने व्यवसाय का परित्याग।

विद्यार्थियों द्वारा कालेजों का परित्याग।

जूरी के सदस्यों और असेसरों द्वारा कचहरी के बुलावे की उपेक्षा

(ख) सरकारी अफसरों द्वारा जिसमें ग्राम्य अफसर भी शामिल हैं, अपने पदों से स्तीफे।

वर्ग ३—तीसरा अध्याय

मजदूरों की हडतालों का आयोजन।

वर्ग ४—चौथा अध्याय

(क) विदेशी कपडे की दूकानों पर धरना।

(ख) शराब की दूकानों पर धरना।

(ग) व्यापार और उद्योगधन्धों में लगी हुई विदेशी संस्थाओं पर धरना।

वर्ग ५—पांचवां अध्याय

निम्नलिखित मदें निषिद्ध नहीं हैं। परन्तु उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये और केवल इसी अध्याय में ही उन पर विचार करना चाहियें।

१. केवल जजीरें खींचकर गाडियां रोकना।

२. विना टिकट के यात्रा।

३. ताडी के वृक्षों का काटना।

४. तार और टेलीफोन के तारों को काटना।

आवश्यक सूचना —पटरियों को हटाना नहीं चाहिये और न स्थायी रेल मार्ग में बाधा पहुचानी चाहिये। जीवन की कोई हानि न हो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

वर्ग ६—व्यावहारिक रूप से अन्तिम अध्याय

(क) सार्वजनिक करों को छोड कर अन्य करों का न देना। विशेषत यदि जमींदार लोग आंदोलन में भाग न लें तो जमींदारी का लगान न दिया जाय।

(ग) सैनिकों पर धरना।

दंड व सजायें।—जब लोगों को जेल भेजा जाय तो उन्हें सदा की भांति शान्त रहने की आवश्यकता नहीं। परन्तु उन्हें यहा भी काम बन्द करने तथा 'बाहर रहो'। हडतालों द्वारा अवज्ञा जारी रखनी चाहिये। अनशन भी किये जाय, परन्तु स्वेच्छा पूर्वक व्यक्तियों को अपने निजी खतरे को ध्यान में रखने हुयें, क्योंकि इस से आत्म-बलिदान का यश भी प्राप्त हो सकता है।

चेतावनी।—१०० में से ९९ प्रतिशत सम्भावना है कि गाधी जी द्वारा शीघ्र ही इस आंदोलन का श्रीगणेश किया जायगा। सम्भवतः बम्बई में होने वाली आगामी अखिल भारतीय महासमिति के कुछ घंटों के उपरान्त ही। जिला कांग्रेस समितियों को सतर्क रहना चाहिये और उन्हें तुरन्त ही कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिये। परन्तु कृपया इस बात का ध्यान रखा जाय कि जब तक गाधी जी निश्चय नहीं कर लें तब तक न कोई आंदोलन छेडा जाय और न कोई प्रकट कार्य ही किया जाय। सम्भव है कि वे इसके प्रतिकूल ही निश्चय कर डालें और तब आप लोग अकारण गलती के लिये उत्तरदायी होंगे। उद्यत रहिये, तुरन्त ही संगठन कीजिये, सतर्क रहिये परन्तु किसी प्रकार से भी कार्य न कीजिये।

परिशिष्ट सं० ५

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के १२-बिन्दु वाले कार्यक्रम" की, श्री गांधी के गिरफ्तारी से पूर्व दिये गये वक्तव्यों तथा लेखों से तुलना

"१२-बिन्दु" वाला कार्यक्रम	श्री गांधी के वक्तव्यों तथा लेखों से उद्धरण
आदेश (१)—भारत भर के सभी नगरों तथा गावों में हड़ताल होगी। हड़ताल शान्तिपूर्ण होगी। यह हड़ताल देश की ओर से गांधी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष तथा कार्यसमिति के सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रतिवाद स्वरूप होगी। यह हड़ताल उस सार्थ को जारी रखने के लिए हमारे दृढ़ संकल्प की प्रतीक भी होगी, जो गांधी जी की गिरफ्तारी से आरम्भ हो कर सफलता मिलने तक चलता रहेगा। यदि हड़ताल में भाग लेने से कोई दंड मिलने की सम्भावना हो तो उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन करना चाहिए। सायंकाल नगरों तथा गावों में सभाएं होंगी, जिन में हम जनता को कांग्रेस का "भारत छोड़ो" संदेश सुनावेंगे। यदि सभाओं पर रोक लगाई जाय तो हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए।	
आदेश (२)—नमक हमारे जीवन की एक मुख्य आवश्यक वस्तु है। हमारे देशवासियों को देश के तटवर्ती अथवा भीतरी भागों में, जहां भी सम्भव हो, नमक बनाने के लिए अपने आप को स्वतंत्र समझना चाहिए। जिन कानूनों द्वारा नमक बनाने से हमें रोका गया है उन का विरोध करना चाहिए और इसके जो परिणाम हों उन्हें सहन करना चाहिए।	"जहां तक नमक के अकाल का सम्बन्ध है, कानून लोगों के पक्ष में नहीं है, किन्तु अधिकार पूर्णतः उन्हीं के पक्ष में है . . . . मैं तो सलाह दूंगा कि दंडित किये जाने का खतरा रहते हुए भी वे नमक बनावें। आवश्यकता कानूनी बन्धनों को स्वीकार नहीं करती।"—'हरिजन' (२८—६—४२)। "कार्यक्रम में विशुद्ध अहिंसात्मक प्रकार का ऐसा प्रत्येक कार्य सम्मिलित है, जो सामूहिक आन्दोलन के भीतर आता है। इसलिए आप ने जिन बातों (नमक कानून को तोड़ना, सरकारी कर्मचारियों तथा मजदूरों से अपना काम छोड़ने को कहना इत्यादि) का उल्लेख किया है वे निस्सन्देह उस में सम्मिलित हैं।"—'हरिजन' (२६—७—४२)।
आदेश (३)—हमारा संघर्ष अधिकतम व्यापक क्षेत्र में "अहिंसात्मक असहयोग" है। ७,००,००० गांवों	"प्रत्येक प्रकार के हिंसात्मक संघर्ष का स्थान अहिंसात्मक असहयोग अधिकतम प्रभावपूर्ण रूप

में बसने वाले करोड़ों देशवासी हमारे इस संघर्ष के आधार-स्तम्भ हैं। उन्हें ही इस में सब से बड़ा और महत्वपूर्ण भाग लेना है। जिस विदेशी शासन ने उन्हें दास तथा अत्यन्त निर्धन बना रखा है उस के प्रति उन्हें प्रत्येक प्रकार के सहयोग से हाथ खींच लेना चाहिए। समय आने पर उन्हें सरकार को सभी मालगुजारी देना बंद कर देना चाहिए। जहा जमींदारी व्यवस्था हो वहा जमींदार के हिस्से की मालगुजारी उसे दी जा सकती है यदि जमींदार जनता का साथ देने और सरकार के साथ सहयोग करने से इन्कार करने को तैयार हो।

आदेश (४)—विद्यार्थी हमारे संघर्ष के अग्रणी हैं। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके करोड़ों मूक निवासियों की निद्रा भंग करके उन्हें जगाना तथा उन में शक्ति का संचार करना उनका गम्भीर और पवित्र कर्तव्य है। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उनके चारों ओर स्वाधीनता का जो महान संग्राम चल रहा है उसके वे निष्क्रिय दर्शक बने रहेंगे। १६ वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों को अपने कालेज तथा विश्वविद्यालय छोड़ कर विजय होने तक अहिंसात्मक संग्राम को चलाना चाहिए। विद्यार्थी देश के शिक्षित वर्ग हैं और वे भली प्रकार जानते हैं कि हमारा नेता उनसे क्या करने की आशा रखता है। हमारे नेतागण गिरफ्तार हो चुके हैं। जो बचे हैं वे भी—यदि और कोई बुरी घटना उपर नहीं बीती—जल्दी ही गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। केवल विद्यार्थी ही इस के स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। निस्संदेह, विद्यार्थीगण अपने को इस महान आह्वान के योग्य प्रमाणित करेंगे।

आदेश (५)—सरकारी कर्मचारियों को अपना मार्ग चुन लेना है। राष्ट्र और विदेशी सरकार के इस संघर्ष में वे किस ओर खड़े रहना है? ऐसे समय में

ले सकता है। यदि सम्पूर्ण राष्ट्र अहिंसात्मक ... करने को तैयार हो तो इस में पूर्ण सफलता मिल सकती है।"—'हरिजन' (२६—४—४२)।

"मैं जिस बात के लिए आशा और प्रतीक्षा कर रहा हूं वह जनता की ओर से एक दुर्दमनीय सर्वांग आन्दोलन तथा विशेष वर्गों की ओर से लोकमत की मांग का एक विवेकपूर्ण उत्तर है।"—'हरिजन' (१४–६–४२)।

"यदि अंग्रेजों को हटना है तो वे केवल अहिंसात्मक दबाव के ही कारण नहीं हटेंगे........इस तरह, कर देने से इन्कार कर के तथा अन्य अनेकों प्रकार से हम अंगरेज शासकों के अधिकार की अवहेलना कर सकते हैं।"—'हरिजन' (५–७–४२)।

"जहा तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, अभी तक मैं कार्यक्रम स्थिर नहीं कर पाया हू। मैं नहीं चाहता कि अभी वे संघर्ष में सम्मिलित हों, किन्तु यह मैं अवश्य चाहता हू कि विद्यार्थी तथा उनके अध्यापक अपने हृदयों में स्वतन्त्रता की भावना का विकास करें। उन्हें कांग्रेस के पक्ष में जम जाना चाहिए और उनमें यह कहने का साहस होना चाहिए कि वे कांग्रेस के पक्ष में हैं। आह्वान मिलने पर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विद्याध्ययन तथा नौकरियों को छोड़ कर पूर्ण हृदय से आन्दोलन का समर्थन करना चाहिए।"—अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बई वाली बैठक। (८–८–४२)

"कार्यक्रम में विशुद्ध अहिंसात्मक प्रकार का वह प्रत्येक कार्य सम्मिलित है, जो सामूहिक आन्दोलन के भीतर आता है। इसलिए आप ने जिन बातों का (उल्लेख

"१२-बिन्दु" वाला कार्यक्रम

जो कि देश जीवन-मरण के भयानक संग्राम में लगा हुआ है, क्या उन्हें उसके प्रति विश्वासघात करके अपनी जीविका अर्जित करते रहना चाहिए। क्या यह उनके कर्तव्य का भाग है कि वे जनता को दबावें और उसके साथ विश्वासघात करें ? वे वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों का आशीर्वाद चाहते हैं अथवा अभिशाप जो सरकार उन्हें मक्खन और रोटी देती है उसके अब गिने गिने दिन रह गये हैं। ढहती हुई दीवार का सहारा लेने से क्या लाभ ?

जिन लोगों में अपनी नौकरी छोड़ने का साहस नहीं है, क्या वे कम से कम ऐसे आदेशों के प्रति "नहीं" कह सकते हैं, जिनका उद्देश्य जनता को दबाना तथा कुचल डालना है। यदि 'नहीं' कहने पर नौकरी से निकाले जाने की नौबत आती है तो उन्हें यह प्रसन्नता से सहन करना चाहिए। ऐसी प्रत्येक बर्खास्तगी इस साम्राज्य के ताबूत में कील का काम देगी, जो हमारा गला घोंट रहा है।

आदेश (६)—जैसा कि गान्धी जी कह चुके हैं, सेना के प्रत्येक सैनिक को अपने को कांग्रेसजन समझना चाहिए। यदि उसका कोई अफसर ऐसा आदेश निकालता है जो एक कांग्रेसी होने के नाते उसके अंतःकरण को पीड़ा पहुंचाता है तो उसका पालन उसे नहीं करना चाहिए और इसका जो परिणाम हो उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन करना चाहिए। अहिंसात्मक जनसमूहों, शान्तिपूर्ण जलूसों अथवा सभाओं पर लाठीचार्ज करना, आंसू लानेवाली गैस का प्रयोग करना अथवा गोली चलाना उनके कर्तव्य का अंग नहीं हो सकता। भारत को आशा है कि इस महान संघर्ष में वे उचित मार्ग का अनुसरण करेंगे। अन्य देशों में जब जब जनता ने देशी अथवा विदेशी अधिकारियों के कुशासन अथवा अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया है तो वहां के सैनिकों ने जनता के साथ भ्रातृ-भाव स्थापित किया है। भारतीय सैनिकों को भी उनके गौरवपूर्ण आदर्श का अनुसरण करना चाहिए।

श्री गान्धी के वक्तव्यों तथा लेखों से उद्धरण

कानून को तोड़ना, सरकारी कर्मचारियों तथा मजदूरों से अपना काम छोड़ने को कहना इत्यादि) उल्लेख किया है, वे निस्संदेह उस में सम्मिलित हैं।"—'हरिजन' (२६-७-४२)।

"सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन्हें सरकार को यह लिखकर प्रकट कर देना चाहिए कि वे कांग्रेस के साथ हैं।"—अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बई वाली बैठक (८-८-४२)।

"सिपाहियों को भी घोषित कर देना चाहिए कि वे कांग्रेस के अनुयायी हैं किन्तु जीविका कमाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। यदि उनसे भारतीयों पर गोली चलाने के लिए कहा जाय तो उन्हें ऐसा करने से इन्कार कर देना चाहिए और यह कहना चाहिए कि वे जापानियों से लड़ने के लिए तैयार हैं।"—अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बई वाली बैठक (८-८-४२)।

"१२-विन्दु" वाला कार्यक्रम

आदेश (७)—भारतीय देशी राज्य भारत के ही अंग हैं। वर्तमान संघर्ष जिस प्रकार तथा-कथित ब्रिटिश भारत का है, उसी प्रकार उनका भी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में गांधी जी ने नरेशों से अपील की थी कि वे भारतीय जनता के साथ एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करें और समान बंधन से मुक्त हो जाय। नरेशों पर गांधी जी की इस अपील का चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, किन्तु रियासतों में हमारे भाइयों को इसे अपना संघर्ष बना लेना चाहिए। उनका आज का संघर्ष नरेशों के साथ नहीं वरन् उस विदेशी स्वामी के साथ है, जो उन्हें तथा जनता को गुलामी में रखे हुए है। यदि नरेशों ने विदेशी स्वामियों का साथ दिया तो जनता का यह दुःखद कर्तव्य होगा कि वे नरेशों तथा विदेशी स्वामियों के इस सम्मिलित गुट्ट के विरुद्ध संघर्ष करें।

श्री गांधी के वक्तव्यों तथा लेखों से उद्धरण

"नरेश समय के साथ आगे कदम बढ़ायेंगे अथवा साम्राज्य-रथ के पहिये में अपने आप को बांधे रखेंगे? यदि वे साहस का संचय करके राष्ट्र का साथ देने को तैयार होते हैं तो वे पदच्युत होने का खतरा उठा सकते हैं।... ..क्या नरेश, बड़े जमींदार तथा व्यापारी आगे बढ़ने को तैयार हैं? उन्हीं को पहले आगे बढ़ना है, 'सम्पत्तिहीनों' को नहीं... यदि "सम्पत्तियुक्त", जो वास्तव में शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के आधार स्तम्भ हैं, अपने स्वाभाविक कर्तव्य का अनुभव कर सकें, तो ब्रिटिश शक्ति को अवश्य झुकना पड़ेगा। आधार स्तम्भों से आशा न रह जाने पर ही मैंने जनसाधारण के संचालन का विचार किया है, जिन पर ये स्तम्भ आश्रित हैं।"—'हरिजन' (२–८–४२)

"नरेशों को ब्रिटिश शक्ति ने जन्म दिया है। उनकी संख्या ६०० अथवा इससे कुछ अधिक है। आप जानते हैं कि शासक शक्ति ने उन्हें भारतीय भारत तथा ब्रिटिश भारत में भेदभाव उत्पन्न करने के लिए जन्म दिया है... . कांग्रेस उनका प्रतिनिधित्व करने का भी दावा करती है ......नरेश चाहे जो कहें, उनकी प्रजा यही कहेगी कि हम वही मांग रहे हैं, जिसकी उन्हें भी आवश्यकता है। मैं जिस रूप में चाहता हूँ उस रूप में यदि हमारा संघर्ष चल सके तो नरेशों को, जितनी आशा वे कभी भी कर सकते हैं, उससे अधिक अधिकार प्राप्त होगा। मैं कुछ नरेशों से मिला हूँ और उन्होंने अपनी विवशता यह कह कर प्रकट की है कि हम उनकी अपेक्षा अधिक स्वतंत्र हैं, क्योंकि उन्हें सर्वोच्च शक्ति पदच्युत कर सकती है।"—अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बई वाली बैठक (७–८–४२)।

"नरेशों को जानना चाहिए कि मैं अपने हृदय के अन्तस्तल में उनका शुभचिंतक हूँ।.... .नरेशों को अवसर के अनुरूप आचरण करना चाहिये। उन्हें शासन की जिम्मेदारी प्रजा के कंधों पर डाल देनी चाहिये। उन्हें समय की गति को पहचानना चाहिये। यदि वे ऐसा नहीं करते तो स्वाधीन भारत में

उनके लिए कोई स्थान न रहेगा । . ..... नरेशों को चाहिए कि वे अपनी निरंकुशता छोड़ दें। उनका बचा रहना केवल उनकी जनता की सद्भावना पर ही निर्भर है। मैं नरेशों से यह पूछने का साहस रखता हूँ कि वे भारत को स्वाधीन देखने के लिए समान रूप से उत्सुक हैं अथवा नहीं? यदि इसका उत्तर "हां" है तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। यदि इस प्रश्न का उत्तर "नहीं" है तो मुझे यह कहने में कुछ भी हिचकिचाहट नहीं है कि सर्वोच्च शक्ति भी उनकी रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि वह स्वयं भी यहां नहीं रहेगी । नरेशों को अपनी प्रजा को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन तुरन्त ही दे देना चाहिए।" अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बम्बई वाली बैठक (८-८-४२)

देश (८)—गांधी जी कितनी ही बार इस बात दे चुके हैं कि अहिंसात्मक संघर्ष में हमारी महत्वपूर्ण और निर्णयात्मक भाग ले सकती हैं। जी ने उन मे जो आशा लगा रखी है, उन्हें पूरा करना चाहिये। यदि इस संघर्ष में वे अहिंसापूर्ण बलिदान तथा कष्टसहिष्णुता हैं, जैसा करने की पूरी सामर्थ्य उन में है, तो र ही संघर्ष अल्पकालीन तथा तीव्र होगा। तीय इतिहास के इस निर्णयात्मक युग में देश जनता में शक्ति एवं स्फूर्ति भरने का कार्य उन्हीं तमो रहना चाहिये।

आदेश (६)—देश के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को एक ा पहनना चाहिए, जिस पर "करो या मरो" का दर्श वाक्य लिखा हो। इस से हमारे इस दृढ़ ल्प की घोषणा हो जायगी कि हम या तो स्वाधीन ं या स्वाधीन होने के प्रयत्न में नष्ट हो जायेंगे।

"यदि वे (मित्रराष्ट्र) न्याय का प्रारम्भिक कार्य करके अपने पक्ष को तर्कसङ्गत एवं अकाट्य आधार पर नहीं रखते तो उन्हें उन लोगों के विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो उनके शासन को सहन नहीं कर सकते और जो उससे मुक्ति पाने के लिए मरने को तैयार हैं।"—'हरिजन' (२-८-४२)

"यदि मैं भारत, ब्रिटेन, अमेरिका तथा धुरीराष्ट्रों समेत शेष संसार को अहिंसा की ओर ले जा सकता तो मैं ऐसा कर डालता किन्तु यह चमत्कार केवल मानव प्रयत्न द्वारा ही सम्भव नहीं । यह

यह हमारा अंतिम संग्राम है। यदि सभी अपने कर्तव्य का पालन करें तो इसे दो महीनों में समाप्त हो जाना चाहिए। सभी श्रेणी की जनता से संघर्ष में सम्मिलित होने के लिए कहा जाता है। लाखों व्यक्तियों को आगे बढना पडेगा और दासता की जिन जंजीरों से भारत बंधा हुआ है उन्हें तोडना होगा। संघर्ष में वे सभी कार्य सम्मिलित होंगे, जो एक अहिंसात्मक सामूहिक आन्दोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे संघर्ष में दिन-प्रति-दिन तेजी आनी चाहिए, जिससे अंत में वह एक दुर्दमनीय शक्ति का रूप ग्रहण कर ले और हम अपने पुरखों का उत्तराधिकार प्राप्त कर लें। हमें उस संदेश के प्रति सच्चा प्रमाणित होना चाहिए, जो गांधी जी हमारे लिए छोड गये हैं—"करो या मरो"।

हमारा लक्ष्य विदेशी शासन का अंत करना है। अहिंसा की अनिवार्य शर्त के साथ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस भी उपाय से सहायता मिलती हो, वह वैध और करने योग्य है। प्रान्तों में जनता को चाहिए कि शासन को पंगु बनाने के अहिंसात्मक तरीके निकालें और उनसे काम लें। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना पथप्रदर्शक तथा नेता है। संघर्ष चलाने के विषय में प्रत्येक प्रान्त को पूर्ण आन्तरिक स्वाधीनता है। उन्हें केवल अहिंसा का सचाई से पालन करना चाहिए और फिर संघर्ष अच्छी तरह चलता रहेगा। इस संग्राम में भय के लिये स्थान नहीं है और इसलिए इसे हमें अपने हृदय तथा मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए। हम में से प्रत्येक को अनुभव करना और दावा करना चाहिए कि वह स्वाधीन व्यक्ति है। हमारे इस दावे तथा उसके अनुसार किये जाने वाले कार्य के परिणामस्वरूप जो कष्ट हमारे आगे आयें उन्हें हमें प्रसन्नता से सहन करना चाहिए। नेताओं ने अपना काम कर दिया है, अब जो बाहर रह गये हैं उन्हें अपने हिस्से का काम पूरा करना चाहिए। संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम अब उनके कंधों पर आ गया है। उन्हें अपना यह भार योग्यतापूर्वक वहन करना चाहिए।

हम प्रसन्नता से चले जाने को तैयार हैं।' इस के लिए मेरा उत्तर है—"भारत को परमात्मा के भरोसे छोड दीजिये। यदि इसे बहुत अधिक समझें तो उसे अराजकता के भरोसे छोड दीजिए।"—'हरिजन' (२४–५–४२)।

"घृणा की भावना में कमी होने तक भी ठहरना सम्भव नहीं है। अधोगति की अवस्था को पहुंचाने वाली घृणा की इस भावना से देश को मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय घृणित शक्ति का हट जाना है। कारण के हटते ही घृणा भी अपने आप चली जायगी .. . इस संघर्ष में हमें अपनी सब से बडी व्याधि का उपचार करने के लिए बडे से बडा खतरा उठाना चाहिए। इस व्याधि के कारण हमारे पुरुषत्व का स्रोत सूख गया है और हम अनुभव करने लगे हैं, मानो हमें सदा गुलाम ही रहना है। यह एक असह्य व्याधि है। मैं जानता हूं कि इस व्याधि के उपचार का हमें भारी मूल्य चुकाना पडेगा। मुक्ति के लिए बडे से बडा मूल्य भी अधिक नहीं है।"—'हरिजन' (३१–५–४२)।

हम (ब्रिटिश) शासन का पूर्णतः अंत चाहते हैं, क्योंकि यही वह विष है जिसे स्पर्श करके प्रत्येक वस्तु दूषित हो जाती है और यही प्रत्येक प्रकार की उन्नति के मार्ग में सब से बडी बाधा है। इस के लिए दो बातों की आवश्यकता है। प्रथम तो यह ज्ञान कि हम जिस बडी से बडी बुराई की कल्पना कर सकते हैं, पराधीनता उस से भी बडी बुराई है और चाहे जो भी मूल्य चुकाना पडे उस से हमें मुक्ति पानी है। . .. दूसरी बात जंजीरों को तोडने के लिए हमारी इच्छा के सम्बन्ध में है।.. .. ... यही वह (परिणामस्वरूप होने वाली अराजकता) भावना है जो मेरे मस्तिष्क में पिछले २२ वर्ष से रही है। मैं इस बात की निरन्तर प्रतीक्षा करता रहा कि देश कब विदेशी शासन को हटाने योग्य अहिंसात्मक शक्ति का विकास करता है। किन्तु अब मेरे दृष्टिकोण में परिवर्तन हो चला है। मैं अनुभव करने लगा हूं कि मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यदि मैं ठहरा रहूं तो कदाचित मुझे सृष्टि

के अंत तक ठहरना पड़े। जिस तैयारी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा हूं और प्रयत्न करता रहा हूं वह कदाचित कभी न हो पावे और इस बीच में मुझे वे ज्वालाएं घेर कर अभिभूत कर सकती हैं, जिनसे हम में से प्रत्येक को खतरा है। यही कारण है कि मैंने निश्चय किया है कि कुछ स्पष्ट खतरों के रहते हुए भी मैं जनता से दासत्व का प्रतिरोध करने के लिए कहूं..... .. जनता में मेरी अहिंसा नहीं है, किन्तु मेरी अपनी अहिंसा से उन्हें सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि हमारे चारों तरफ व्यवस्थित अराजकता फैली हुई है। मुझे विश्वास है कि अंगरेजों के देश से हट जाने अथवा हमारी बात न मानने पर और हमारे द्वारा उन के अधिकार की अवज्ञा करने के निश्चय पर जो अराजकता फैलेगी वह वर्तमान अराजकता से अधिक बुरी न होगी। निरस्त्र जनता भयानक हिंसा अथवा अराजकता की सृष्टि नहीं कर सकती ... किन्तु सम्भावित विदेशी आक्रमण का प्रतिरोध करने के नाम पर जो भयानक हिंसा हो रही है उसे निष्क्रिय रूप से खड़े हो कर देखते रहना एक ऐसी बात है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि जो मुझे समझ नहीं सकते अथवा समझना नहीं चाहते वे ऐसा अपने अनुभव के—यदि वे वर्तमान संकट से बचे रहे—आधार पर करेंगे।" राष्ट्रीय युवक संघ में श्री गांधी के भाषण का श्री महादेव देसाई द्वारा दिया गया विवरण— 'हरिजन' (७–३–४२)।

"हमारी गिरफ्तारियों से आन्दोलन चेत उठेगा। उनके कारण भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपनी शक्ति भर कुछ न कुछ कार्य करने की इच्छा बलवती हो उठेगी . . अंगरेजों से हट जाने के लिए मैं ने यों ही नहीं कहा है। इसे पूरा करने के लिये बलिदान भी करने पड़ेंगे .. .."

हड़तालें अहिंसात्मक हो सकती हैं और हुई भी हैं। यदि रेलों का संचालन भारत पर अंगरेजों की प्रभुता दृढ़ रखने के लिए किया जाता है तो उनके कार्य में

सहायता नहीं देनी चाहिए। ....मैं जिस बात के लिए आशा और प्रयत्न कर रहा हूं वह जनता की ओर से एक दुर्दमनीय सामूहिक आन्दोलन तथा विशेष वर्गों की ओर से लोकप्रिय मांग का एक विवेक-पूर्ण उत्तर है। परन्तु मैं जानता हूं कि अभी यह चित्र केवल काल्पनिक है और इसीलिए मैं बुरी से बुरी अवस्था का सामना करने के लिए भी तैयार हूं। इसीलिए मैं ने कहा है कि मैं वर्तमान अवस्था का अंत कर के ही रहूंगा—चाहे ऐसा करने में देश में अराजकता का दौरदौरा ही हो जाय।"—'हरिजन' (१४–६–४२)।

"इस के (भारत से बृटिश शासन का अंत) लिए मैं वर्षों से प्रयत्न कर रहा हूं। परन्तु अब उस ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया है और मैं कहता हूं कि संसार की शान्ति के लिए आज बृटिश शक्ति को भारत से चले जाना चाहिए।.. .. .. (अगला कदम) ऐसा कदम होगा, जिसे समस्त संसार अनुभव करेगा। सम्भवत. इस का प्रभाव बृटिश सेनाओं की गतिविधि पर न पड़े, किन्तु निश्चय ही इस की ओर अंगरेजों का ध्यान आकर्षित होगा . . मैं नहीं जानता (यदि जिस बात की आवश्यकता है वह गैरफौजी शासन मे कुछ ढिलाई है) किन्तु मैं विशुद्ध स्वाधीनता चाहता हूं। यदि सैनिक कार्रवाई से फंदा और भी कसा जाता है तो मैं उसका भी प्रतिरोध करूंगा.... . मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूं और अब अधिक नहीं ठहर सकता।"—'हरिजन' (२१–६–४२)।

"यदि अंगरेजों को हटना है तो वे केवल अहिंसा-त्मक दबाव के कारण ही नहीं हटेंगे . . इस तरह, कर देने से इन्कार करके तथा अन्य अनेकों प्रकार से हम अंगरेज शासकों को उनके अधिकार से हटा सकते हैं।"—हरिजन' (५–७–४२)।

"मैं खादी के कार्यकर्ताओं का आह्वान नहीं कर रहा हूं। परन्तु यदि सभी ओर संघर्ष की ज्वालाएं फैल गईं तो खादी कार्यकर्ता भी उससे बच नहीं सकते ... .आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि मैं पुराने प्रकार के

सत्याग्रह अथवा असहयोग की बात नहीं सोच रहा हूँ ....इस बार कोई निश्चित और कड़े नियम नहीं बनाये जा सकते।"—हरिजन (५-७-४२)।

"मेरे प्रस्ताव में प्रत्येक प्रकार के भय अथवा अविश्वास को दूर कर देने की बात पहले से मान ली गयी है।........ यह सम्भव है कि ऐसा न हो। इस की मुझे परवाह नहीं। राष्ट्र के पास जो कुछ भी है उसकी बाजी लगा कर भी लड़ना अनुचित न होगा।—'हरिजन' (५-७-४२)

"पुराने ऋण की अदायगी के लिए कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप जो बात होती है उसके लिए आप मुझ पर सारा दोष क्यों डालते हैं—विशेषकर ऐसी अवस्था में जब कि ऋण का भुगतान मेरे जीवन की आवश्यक शर्त बन गयी है।"—'हरिजन' (१२-७-४२)

"यह एक विशुद्ध अहिंसात्मक प्रकार का सामूहिक आंदोलन होगा........। इसमें वे सभी बातें सम्मिलित होंगी, जो एक सामूहिक आंदोलन के अंतर्गत आ जाती हैं.. मैं गिरफ्तार होने की चेष्टा करूंगा........। यह तो बड़ी ही साधारण सी बात है इसमें सन्देह नहीं कि अब तक हम ने गिरफ्तार हो की नीति धारण कर रखी थी, किन्तु इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरा उद्देश्य आन्दोलन को अधिक से अधिक अल्पकालीन और शीघ्र बनाना है।" 'हरिजन' (१९-७-४२)

"कार्यक्रम में विशुद्ध अहिंसात्मक प्रकार का प्रत्येक कार्य सम्मिलित है, जो सामूहिक आंदोलन के भीतर आता है। मैं आदोलन को नरमी से चलाऊंगा किन्तु यदि ब्रिटिश सरकार अथवा मित्रराष्ट्रों पर प्रभाव न हुआ तो मैं चरम सीमा तक पहुंचने में भी न हिचकिचाऊंगा.........(यह) मेरा [illegible] से बड़ा आन्दोलन (होगा)। यदि आन्दोलन में [illegible] की शक्ति है तो (नेताओं की गिरफ्तारी में) [illegible] पड़ जायगा।"—'हरिजन' (२६-७-४२)

"१२-बिन्दु" वाला कार्यक्रम

श्री गांधी के वक्तव्यों तथा लेखों से उद्धरण

"शीघ्रतापूर्ण समाप्ति के लिए आम हड़ताल आवश्यक है। यह मेरे विचार से बाहर की बात नहीं है, किन्तु अपने कई बार दोहराये गये कथन को ध्यान में रख कर ही मैं कोई कदम बढ़ाऊंगा। सामूहिक आन्दोलन शत्रुता की भावना से नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी सतर्कता के साथ आगे बढ़ूंगा। यदि आम हड़ताल की घोर आवश्यकता हुई तो मैं इससे भी नहीं हिचकिचाऊंगा।"—बम्बई में पत्र-प्रतिनिधियों से भेंट (६—८—४२)।

"यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष है। देरी हानिकर है तथा अब और ठहरना हम सब के लिए लज्जाजनक होगा। हमारा संग्राम अब आरम्भ ही होने वाला है। परन्तु आन्दोलन आरम्भ करने से पहले मैं वाइसराय महोदय के पास एक पत्र भेजूंगा और उनका उत्तर मिलने तक ठहरूंगा। इसमें एक सप्ताह, एक पक्ष अथवा तीन सप्ताह का समय लगेगा। इस बीच में कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम की १२ बातों का अनुसरण करने के अतिरिक्त निम्न नियमों का पालन करना होगा:—

प्रत्येक भारतीय अपने को स्वतन्त्र व्यक्ति समझे। उसे स्वाधीनता की वास्तविक प्राप्ति अथवा उसके प्रयत्न में मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण एक स्वतन्त्र व्यक्ति का सा होना चाहिए.. ..। स्वाधीनता की मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहले स्वाधीनता और बाकी बातें बाद में। कायर न बनो, क्योंकि कायरों को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। "स्वाधीनता" आप का मंत्र हो और आप उसका जाप करें।"—अखिल भारतीय कांग्रेस की बम्बई वाली बैठक (८—८—४२)।

आदेश (१२) [illegible] सब से काम नहीं, [illegible] हैं, [illegible] को बहुत प्रिय है। [illegible] तो इससे आन्दोलन को नवजीवन [illegible] मिलेगा।

[illegible]

परिशिष्ट सं० ६

कर, लगान और अनाज न देने के आन्दोलन के सम्बन्ध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश

गत तीन महीनों में भारतीय जनता जबर्दस्ती अधिकार छीनने वाली शक्ति का और भी जोरों से विरोध करने लगी है। पहले शहरों में आग भड़की। सैनिक शक्ति द्वारा शहरों का दमन होना अनिवार्य था। लेकिन हमारी क्रान्ति का सब से अधिक उत्साहवर्द्धक पहलू यह है कि हमारी गतिविधियों का क्षेत्र स्वयं ही शहरों से गांवों में फैल गया है। नगरों के शासन-प्रबन्ध को अधिक काल तक अस्तव्यस्त नहीं रखा जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि नागरिक-शासन को किचों और मशीनगनों के बल पर खड़ा रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त शहरी विद्रोह का मूल उद्देश्य उद्योगधन्धों में आम हड़ताल करना है। यदि इस प्रकार की आम हड़ताल को जारी नहीं रखा जा सकता तो शहरी विद्रोह अवश्य ठंढा पड़ जायगा। लेकिन विभिन्न प्रकार के विरोध के कार्यक्रम को बराबर जारी रखकर विद्रोह की भावना को जीवित रखा जा सकता है।

२—ग्राम्य-क्षेत्रों के गैरफौजी शासन-प्रबन्ध के पीछे सेना और पुलिस की दमनकारी शक्ति का इस प्रकार का हाथ नहीं होता। इसलिए पहले एक या दो मास में ग्राम्य भारत ने शहरी शासन-यन्त्र की गति को बन्द कर दिया। यातायात साधनों (रेल की पटरियों, मोटर की सड़कों तथा तार) के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने के कारण शत्रु अपनी सैनिक शक्ति को केन्द्रित न कर सका और विभिन्न स्थानों की दूरी विद्रोह का सुदृढ़तम शस्त्र सिद्ध हुई। हमारी लड़ाई का यह पहलू प्रायः दो मास तक जारी रहा और आज भी नये क्षेत्रों में विरोध फैल रहा है जहां शहरी शासन को प्रभावहीन कर दिया गया है। लेकिन यह स्थिति जितने विशाल क्षेत्र में होनी चाहिए उतने में नहीं है। बिहार और पूर्वी संयुक्तप्रान्त ने सबसे पहले पथप्रदर्शन किया अब सम्भवतः इस विद्रोह की भावना और पद्धति शनैः शनैः सारे भारत में फैल रही है। लेकिन जिन क्षेत्रों ने बलपूर्वक अधिकार जमाने वाली सत्ता को बिलकुल उलट दिया था वहां सेना और पुलिस के अत्याचारों का पूरा कोप प्रगट हुआ है। सैनिक विजय के काल के साथ इतिहास के नीचतम अत्याचारों का प्रादुर्भाव हुआ है। गांवों की लूट और अग्निकाण्ड, सामूहिक रूप से बलात्कार और लूटखसोट, मशीनगनों से गोलियों की बौछार और हवाई आक्रमण तथा डाकुओं द्वारा प्रयोग किये जाने वाले शस्त्रास्त्रों आदि से लोगों में आतंक फैलाने तथा विद्रोह की भावना को कुचलने का यत्न किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार के विवेकहीन और निर्दयतापूर्ण अत्याचार कमजोरी के चिह्न हैं। पतनोन्मुखी शक्ति के ये अन्तिम आधार हैं।

दुर्भाग्यवश, विद्रोह की मूल भावना को एक जिले से दूसरे तक तथा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक आगे बढ़ाया नहीं जा सका। ग्राम्यक्षेत्रों को आत्मरक्षा के लिए बाध्य होना पड़ा। दमन द्वारा हमारे आम कार्यकर्ताओं की तीव्र सन्घर्ष-शक्ति को दबाया नहीं जा सका। लेकिन सारे गांव का स्वयं भड़क उठना कुछ काल के लिये दबा दिया गया।

दूसरी ओर ब्रिटिश शासन की अमानुषिक पाशविकता के कारण जनता और इस शासन के अधिकारियों के बीच की खाई और भी अधिक चौड़ी हो गई है। आज विदेशी शासकों के प्रति एक घृणा पैदा हो गई है जब कि देश वर्तमान कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिये इधर उधर भटक कर रास्ता ढूंढ़ा जा रहा है

फिर भी यह सम्भव नहीं है कि बड़े बड़े क्षेत्रों में इस शासन के विरुद्ध तत्काल कोई दूसरा ऐसा आन्दोलन छेड़ा जा सके जिसे सारी जनता स्वयं सामूहिक रूप से कार्य में परिणत करे। विद्रोह का बीज अभी नष्ट नहीं हुआ है लेकिन हमारी शक्ति को फिर से संगठित करने की आवश्यकता है। नये सिरे से आक्रमण करने के लिये इस प्रकार का पुनस्संगठन आवश्यक है जिससे कि हमारा आक्रमण ऐसा हो कि उसके द्वारा नागरिक शासन व्यवस्था का अन्त हो जाय तथा कर वसूल करने वाला सारा सगठन प्रभावहीन हो जाय। सारा कार्य जिन लोगों के कन्धों पर है वे ये हैं :—(क) कांग्रेस के वे क्रियात्मक कार्यकर्त्ता जिन्होंने विद्रोह की आग को गांवों में फैलाया है और जो अब भी स्वतन्त्र बने हुए हैं (ख) वे विद्यार्थी जिन्होंने अपने कालेज और स्कूल छोड़ दिये हैं और जिन्होंने ग्राम्य-विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया है (ग) शहरों और गांवों के कार्यकर्त्ताओं में से वे नये लोग जो गत तीन मास के घटनाक्रम के कारण कुछ करने के लिये प्रेरित हुए हैं (घ) वे साहसी लोग जिन्होंने इस लड़ाई में एक नये जीवन का अनुभव किया है। नये आक्रमण के लिये पुनस्सगठन के कार्य को हाथ में लेने के लिये इन सबको सयुक्त हो जाना चाहिये।

हमारे साथी कम हो गये हैं। ग्राम्य क्षेत्रों म स्थानीय सहायता तथा ग्राम्य युवकों के उत्साहपूर्ण क्रियात्मक सहयोग के रूप में हमारे साधन दमन द्वारा घट गये हैं। जो कुछ भी साधन हमारे पास हैं उनकी सहायता से हम अब भी इस आग को और अधिक विस्तृत पैमाने पर प्रज्वलित करने का कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं। करों के वसूल करने का समय आ रहा है और शासन सम्बन्धी कार्य इतना बढ जायगा कि सेना और पुलिस की धमकी द्वारा उसे हर जगह सम्हाला नहीं जा सकेगा।

१९४३ में मार्च तथा उसके आस पास के महीने भारतीय क्रान्ति के भाग्य का प्राय फैसला कर देंगे। इसी काल मे अन्यायी सरकार देश भर में अपना भूमि-कर वसूल करेगी, यदि कर अदा न करने के एक आम कार्यक्रम द्वारा इसे सामूहिक विरोध का अवसर बनाया जा सके तो देश के समस्त प्रान्तों और जिलों मे सहयोग और एक साथ कार्य करने की हमारी समस्या हल हो जायगी।

बलपूर्वक अधिकार जमाने वाले शासकों के लिये भूमि-कर, न केवल इससे होने वाली आय की दृष्टि से बल्कि इससे भी अधिक उसके शासनिक महत्व के कारण मूल्यवान है। माल विभाग के अफसरों, कचहरियों तथा थानों से युक्त भारत के ग्राम्य क्षेत्रों का बृटिश शासन भूमि-कर पर ही निर्भर है। इसलिये भूमि-कर का विरोध करते समय हमें इसके क्रान्तिपूर्ण महत्व को दृष्टि में रखना चाहिये। हमें अपने पिछले कर बन्दी आन्दोलन से आगे बढ़ने की योजना बनानी चाहिये। पिछले आन्दोलनों में किसानों ने स्वेच्छा से लगान नहीं दिया था लेकिन माल विभाग के अफसरों तथा पुलिस द्वारा भूमि तथा सम्पत्ति के जब्त किये जाने का उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। अब यह नहीं होना चाहिये। विरोध पूर्ण होना चाहिये। किसानों को चाहियें कि माल विभाग के अफसरों तथा पुलिस द्वारा कर वसूल करने के प्रयत्नों का विरोध करें। वस्तुत उन्हें चाहिये कि वे अफसरों और पुलिस को तब तक गाव में घुसने ही न दें जब तक कि वे एक सैनिक आक्रमण के रूप म न आवें। इसे भी जगलों मे भाग कर तथा तब तक वहा रह कर, जब तक कि आक्रमणकारी वापस जाने को विवश न हो जावें, विफल किया जा सकता है। इस बीच में उनके यातायात साधनों तथा रसद प्राप्त होने की व्यवस्था को काट कर उन्हें परेशान किया जा सकता है। यह कैसे किया जा सकता है इसका आपको सम्बद्ध आदेशों से पता लग जायगा।

(१)—हमें चाहिये कि खाद्य-फसलों तथा पशुओं को न बेचने के आन्दोलन से अपना कार्य प्रारम्भ

करें। ऐसे समय में जब कि यातायात के साधन बिलकुल अनिश्चित हो गये हैं तथा, जब कि कागजी मुद्रा की निस्सारता के कारण खाद्य-पदार्थों का मूल्य बिलकुल अनिश्चित है, यह जनता के हित में ही होगा कि वह वर्ष भर के लिये खाद्य-पदार्थ संचित कर ले।

२—मुद्रा के बदले विभिन्न प्रकार का माल जमा कर लेना चाहिए। कागजी मुद्रा एक बड़ा धोखा है। यह किसानों तथा अन्य वर्गों को भूखा मार देगी। कागज के नोटों द्वारा अपनी स्थिति के सुधार होने के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये।

३—रैयतवारी क्षेत्रों में किसानों और सरकार में सीधा सम्पर्क है लेकिन जमींदारी क्षेत्रों में जमींदार का प्रश्न अवश्य पैदा होता है।

पारस्परिक समझौते द्वारा जमींदार को लगान का कुछ हिस्सा दे देना चाहिये जिससे वह अपने परिवार का पालन कर सके। अपने किसानों के साथ कोई निजी समझौता करके जमींदार अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है।

लेकिन यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इसके पहले कि किसान जमींदार के परिवार के पालन की जिम्मेदारी ग्रहण करे, जमींदार को यह प्रारम्भिक आश्वासन देना पड़ेगा कि वह कर का कोई भाग सरकार को नहीं देगा। यदि जमींदार ने बृटिश शक्ति के सम्मुख झुकने का जरा भी प्रयत्न किया तो यह किसान के लिये पर्याप्त कारण होगा कि वह लगान के रूप में जमींदार को कुछ भी न दे।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कृषि-सम्बन्धी ऋणों तथा उनके व्याज के भुगतान को स्थगित करने की घोषणा की है। लेकिन पावनेदारों तथा देनदारों के बीच ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि पावनेदार तथा उसके परिवार खाद्य-पदार्थों को प्राप्त करने की अपनी उचित आवश्यकताएं पूरी कर सकें।

यातायात सम्बन्धों को बराबर काटना चाहिए। गांव के युवकों को भविष्य में प्राथमिक शिक्षण के रूप में तार काटने चाहिए। जिस समय कर वसूल करने का कार्य जारी हो उस समय यातायात साधनों को बराबर इस प्रकार पूर्ण रूप से बेकार करते रहना चाहिए कि पुलिस तथा सेना का यातायात अत्यन्त कठिन और धीमा बना रहे।

स्वराज पंचायतों में कौन रहेंगे, यातायात साधनों को कौन काटेंगे, गांव वालों में एकता की स्थापना कौन करेंगे? इसका सबसे अधिक सन्तोष-जनक उत्तर यह होगा कि स्वयं गांव वाले बिना बाहरी सहायता के ऐसा करें। उन्हें केवल योजना बता देने की आवश्यकता है। लेकिन इतना करने के लिये भी हमें बहुत से क्रियाशील प्रचारकों तथा संगठनकर्ताओं की आवश्यकता होगी। इन्हें पहले निम्न लोगों में से भरती करना चाहिये :—

(क) कांग्रेस के तथा अन्य ऐसे राजनैतिक कार्यकर्ता जो अभी तक बाहर हैं और काम कर रहे हैं।
(ख) विद्यार्थी और अध्यापक।
(ग) हड़ताल करने वाले तथा कारखानों से पृथक कर दिये गये मजदूर।
(घ) सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाओं के कार्यकर्ता।
(ङ) ऊपरी कक्षा के साधु और फकीर।

प्रत्येक कांग्रेस प्रान्त के संचालक मण्डल को चाहिये कि वह तत्काल एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करे जो भूमि-कर के भुगतान का विरोध करने तथा खाद्य-पदार्थों को न बेचने के आन्दोलन को चलाने के लिये जिम्मेदार हो। उसका यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि यदि आवश्यक हो तो अपने नीचे एक सहकारी के द्वारा प्रत्येक जिले में उक्त पांचों वर्गों के क्रियाशील लोगों से तुरन्त मिले और उन्हें इन आदेशों के मूलभूत सिद्धान्त से अवगत करे तथा प्रचार और संगठन के कार्यों की साधारण रूप-रेखा की उन्हें शिक्षा दे।

प्रचार—गांवों में प्रचार करने का मुख्य तरीका यह होना चाहिये :—

(क) राजनीतिक—९ अगस्त के बाद से तथा गांधी जी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से अंगरेजों को बल-पूर्वक कब्जा करने वाला घोषित कर दिया गया है। उनको भूमि-कर अदा करना पाप है। भारत-माता, गांधी जी, कांग्रेस, धर्म तथा अन्य सब जिनको कोई व्यक्ति महत्व देता है किसानों को यह आदेश देते हैं कि भूमि-कर अदा मत करो।

(ख) मुद्रा संकट—कागजी नोटों के बदले फसल या पशुओं को बेचना बड़ा भारी जुआ है। कागज के नोटों से पहले जितना माल मिलता था अब उसका तिहाई भी नहीं मिलता है। सम्भव है कि निकट भविष्य में उनका कोई मूल्य ही न रहे। इस समय सोना, चांदी या अन्य किसी मूल्यवान चीज के आश्रय के बिना ही नोटों को छाप कर बृटिश सरकार जीवित बनी हुई है। इसलिए अपने बचाये हुए धन के बदले माल ले लेना चाहिए।

(ग) कपड़े और खाद्यों के अकाल का खतरा—भारत में और भारत के बाहर बृटिश सेना हमारे पशुओं, रेलों, फसलों और कपड़ों को खर्च कर रही है। हमारी पूर्वी सीमा पर युद्ध तथा शहरों पर हवाई बमवर्षा आ पहुंची है। इन सबके कारण खाद्यों तथा कपड़ों का अकाल पड़ जायगा। इसलिए इस समय पशुओं या खाद्यों को बेचने का अर्थ भविष्य के लिये आत्मघात का मार्ग तैयार करना होगा।

(घ) संगठन—स्वराज पंचायतों की स्थापना करो और एक गांव में तथा विभिन्न गांवों में परस्पर माल की अदला बदली की व्यवस्था करो। गृह-उद्योगों को उन्नत करो, विशेष कर कताई और बुनाई को। राष्ट्रविरोधी माल-विभाग के अफसरों और पुलिस के साथ कोई सम्बन्ध मत रखो। एक ही गांव में तथा विभिन्न गांवों में परस्पर एकता पैदा करो।

(ङ) यातायात सम्बन्धों का काटना—यदि देश भर में सड़कें, तार तथा रेलें बेकार कर दी जायं या नष्ट कर दी जाय तो बृटिश सेना पराजित हो जायगी, भारत स्वतन्त्र हो जायगा और किसानों की दशा सुधर जायगी।

अपने प्रचार में इन पांच बातों पर जोर डालिये। किसानों से कहिये कि फसल या पशुओं को बेचना तथा भूमि-कर अदा करना पाप है, जुआ है और आत्मघात है।

विशेष ज्ञातव्य—अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्बद्ध अनुरोधों को निम्न लोगों तक पहुंचाने

तथा पुलिस के अफसर। प्रचार की एकरूपता तथा कांग्रेस के नाम के महत्व को दृष्टि में रख कर इन अनुरोधों का ज्यों का त्यों प्रचार करना चाहिए। प्रान्तों तथा जिलों को निर्देशित रूपरेखा के अनुसार अन्य अनुरोध तैयार करने चाहिएं।

परिशिष्ट सं० ७

"स्वतन्त्रता के युद्ध का मोर्चा

१—विद्रोह का संघर्ष—भारत में एक अभूतपूर्व उथल-पुथल मची है। संगठन और नेतृत्व के छिन जाने पर और पथप्रदर्शन तथा योजना निर्माण के अभाव में हमारे देश की जनता ने स्वतन्त्रता की ओर अपनी विद्रोह यात्रा के लिये कदम उठा लिया है। वायुमण्डल में गम्भीरता भरी हुई है—प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक नरनारी जोरों से प्रभावित हो रहा है और अनुभव करता है कि उसे कुछ करना है। इसके दबाव के कारण शासन-सत्ता हिल उठी है और निराशापूर्ण दमन के द्वारा इस उथल-पुथल को दबाने का यत्न कर रही है। कायर हृदय डर से काँप रहे हैं, विक्षिप्त मस्तिष्क चीख-चीख कर निंदा कर रहे हैं और गुलाम संस्थाएं जोश के इस उफान को दबाने का यत्न कर रही हैं। लेकिन यह उथल-पुथल प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। हाल के इतिहास की यह गुरुतम घटना है।

२—क्रान्ति का रूप—पथ-प्रदर्शन विहीन, नियन्त्रण विहीन तथा नेतृत्व विहीन जनता अपनी स्वतन्त्रता के संघर्ष में लहर की भांति उठती-गिरती, थक कर सांस लेती और झूमती चली जा रही है। हर एक व्यक्ति और हर एक वर्ग विभिन्न उद्देश्यों और विभिन्न आदर्शों से प्रेरित होकर स्वयं ही कार्य कर रहा है। आन्दोलन की सारी शक्ति और कमजोरी इसी में सन्निहित है। प्रत्येक भारतीय को अपने को स्वतन्त्र अनुभव करने के लिये आह्वान करते हुए गांधी जी ने इस शक्ति को प्रेरित किया था। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यह भावना पैदा हो कर उसे ऊपर उठानी है। प्रत्येक व्यक्ति से सीधे अनुरोध किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं इस अनुरोध का उत्तर देता है। किसी दल या किसी संगठन की मध्यस्थता व्यर्थ हो जाती है। इस लड़ाई की क्रियाशील इकाई व्यक्ति है न कि कदम कदम पर बाहरी आदेश पर निर्भर रहने वाले सामूहिक संगठन। इस विशेषता ने आन्दोलन को आत्म-प्रेरित, आवश्यकतानुसार परिवर्तनशील तथा अमर बना दिया है। यह एक मौलिक तथा व्यापक विशेषता है जिसकी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्भावनायें अभूतपूर्व स्फूर्ति पैदा करती हैं। गांधी जी ने हमें क्रान्ति की एक नई पद्धति बताई है। नैतिक दृष्टि से यह अन्य सारी पद्धतियों से बढ़ कर है क्योंकि इसमें सामूहिक नरहत्या की सम्भावना नहीं है और कम से कम रक्तपात हो सकता है। यह आत्म-रक्षा, आत्म-स्फोटन तथा एक राष्ट्र को स्वतन्त्र करने का शस्त्र है, प्रादेशिक लाभ प्राप्त करने या दूसरों का शोषण करने का नहीं। यह पद्धति कम खर्चीली भी है क्योंकि शत्रु के साथ लड़ने में बहुमूल्य शस्त्रास्त्रों के ढेरों का प्रयोग नहीं किया जायगा बल्कि व्यक्तिगत विरोध द्वारा उस के संगठन को मृतप्राय कर दिया जायगा। यह विद्रोहात्मक [illegible] पर सामूहिक [illegible] की प्रणाली है जिसमें इसकी स्थायी सफलता स्वयं सुनिश्चित है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आन्तरिक शक्ति का [illegible] कराकर तथा अपने साथ संघर्ष में भाग लेने वाले अन्य लोगों के [illegible] अपने [illegible] [illegible] कि व्यक्ति को सबल बनाती है। [illegible] के [illegible] [illegible] यह इसी प्रगतिशील संघर्ष द्वारा

प्राप्त की जा सकती है। प्रत्यक्ष रूप से एक राजनीतिक उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हुए यह साथ ही साथ भय, अज्ञानता तथा भेद-भावना की समस्या को भी हल कर देती है। साधारण मनुष्य को शिक्षित करने पर जोर देने तथा उसे सशक्त बनाने से यह निश्चित हो जाता है कि नये राष्ट्र का भवन उसी को केन्द्र मान कर खड़ा किया जायगा।

३—योजना की आवश्यकता—इस प्रणाली की आधारभूत उपादेयता में कोई सन्देह नहीं हो सकता। हर प्रकार की विरोधी गतिविधि के लिए इस प्रणाली की उपयोगिता के सम्बन्ध में चाहे कुछ भी राय क्यों न हो, यह निर्विवाद है कि देश की वर्त्तमान स्थिति में यही प्रणाली अमल में लाई जा सकती है। लेकिन इसमें व्यक्ति पर जो जोर दिया गया है और जो कि इसके विचित्र प्रभाव का रहस्य है वही इसकी कमजोरी का भी कारण है जिससे सावधान रहना आवश्यक है। व्यक्ति को अपने ही विचारों और कार्यों पर छोड़ दिया गया है। हमें मालूम है कि पददलित लोगों में इसके लिए कितने कम साधन होते हैं। कुछ लोग इस कारण से संघर्ष को हमेशा के लिए स्थगित करना उचित समझेंगे। वे यह भूल जाते हैं कि संघर्ष के द्वारा ही हम इन साधनों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस सीमा-निर्धारक पहलू से संघर्ष की रूपरेखा निश्चित हो जाती है। उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि जनसाधारण तत्काल उसकी ओर इस लिए आकर्षित हो कि वह उनकी महत्वपूर्ण कमियों को तुरन्त पूरा करता है। निम्नतम कक्षा की बुद्धि के मनुष्य के लिए भी इस उद्देश्य का समझना सरल होना चाहिये। अंतिम परिणाम तथा अंतिम उद्देश्य को निरन्तर तर्क द्वारा समझा जा सकता है और प्रत्यक्ष रखा जा सकता है। लड़ाई में भाग लेने वाले जनसाधारण में बहुत से तात्कालिक तथा गौण उद्देश्यों के द्वारा शनैः शनैः अंतिम उद्देश्य की अनुभूति पैदा करनी चाहिए। प्रत्येक कदम को पूरा करने के लिये आवश्यक कार्य बिलकुल प्रत्यक्ष तथा सरलतम कक्षा का होना चाहिए अन्यथा घबराहट, भ्रमात्मक प्रयत्न तथा निराशा पैदा होगी। लड़ाई का अंतिम उद्देश्य कुछ लोगों को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए। इस उद्देश्य प्राप्ति की सीढ़ी कुछ लोगों को बड़ी सावधानी से तैयार करनी चाहिए। योजना तैयार करने का अभिप्राय यही है।

४—योजना-निर्माण के लिये क्षेत्र—यह आंदोलन स्थानिक अधिकारसम्पन्न, व्यक्तिमूलक तथा अराजकता-मूलक है। फिर भी चूंकि यह दबी हुई शक्ति का अनैच्छिक प्रस्फुटन नहीं बल्कि एक आन्दोलन है इस लिये इसकी एक दिशा है और इसकी अव्यवस्था स्वयं प्रेरित और सार्थक है। योजना निर्माण का उद्देश्य दिशा निर्धारण तथा आन्दोलन में भाग लेने वालों में मूल उद्देश्य की जानकारी तथा उसके प्रति उत्साह पैदा करना है। इस प्रकार के व्यापक आन्दोलन में केंद्रीय नियन्त्रण तथा पथप्रदर्शन के लिए बहुत कम क्षेत्र रहता है। इस आन्दोलन में योजना निर्माण का कार्य तीन प्रकार का है :—इसे प्रत्येक पग पर आदर्शवादिता का दृष्टिकोण सामने रखना चाहिए, उन स्थूल सिद्धान्तों का निर्देश करना चाहिए, जिनसे कार्यक्षेत्र में पथप्रदर्शन किया जा सके तथा व्यक्तियों और समूहों के प्रयत्नों को आम तौर पर एक सूत्र में बांधने की व्यवस्था करने के लिए पारस्परिक सम्पर्क, जानकारियों का प्रसार तथा एक दूसरे के कार्य के प्रभावहीन होने या दुहरा कार्य होने की सम्भावना को बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आन्दोलन की लचक तथा स्थानिक पक्ष को, जो इसके आवश्यक अंग हैं, नष्ट किये बिना केन्द्रीय पथ-प्रदर्शन इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। साधारण सिद्धान्तों को वास्तविक रूप से कार्य तथा चालों में परिणत करने का भार लड़ाई में भाग लेने वाली मूल इकाइयों पर ही छोड़ देना चाहिये। इसलिये समस्त क्षेत्रों में आन्दोलन का एक ही रूप नहीं होगा। स्थानीय समस्याओं तथा परिस्थितियों के भेद के अनुसार आन्दोलन की बाहरी रूपरेखा विभिन्न प्रकार से प्रकट

होगी। आन्दोलन के प्रकट रूप के इस अनन्त भेद का स्वागत करना चाहिए। शत्रु इससे हैरान हो जाता है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में जो सब से बड़ी स्थानीय शिकायतें हों उन पर जोर देकर आन्दोलन की विभिन्नता की प्रवृत्ति को बढ़ाना और प्रोत्साहन देना चाहिए। कहीं तो अनाज की कमी की समस्या हो सकती है, कहीं लगान वसूल करने वाले की ज्यादतियां, कहीं खेतों को सींचने की आज्ञा न मिलना तथा कहीं सामूहिक जुर्मानों की वसूली। इस प्रकार की प्रत्येक समस्या स्थानीय क्षेत्र में आन्दोलन आरम्भ करने का केन्द्रीय आधार होती है। आम योजना इस प्रकार की शक्तियों की खोज का पथप्रदर्शन करेगी, यह बतलायेगी कि स्थानीय आन्दोलनों के सूत्रपात के लिये आर्थिक कठिनाइयों पर जोर देना सबसे अधिक अच्छा क्यों होगा—इस प्रकार की कठिनाइयां सबसे अधिक शीघ्रता से बड़े जोर के साथ अनुभव की जाती हैं और स्थानीय लोगों मे हलचल और एकता पैदा करने के लिए ये सबसे अधिक स्वाभाविक और शीघ्रतम प्रभाव लाने वाली होती हैं—यह स्पष्ट करेगी कि वर्त्तमान शासन-प्रणाली के ढांचे के अंतर्गत इन समस्याओं को क्यों नहीं सुलझाया जा सकता है और जैसे जैसे अधिक संख्या मे जनसाधारण इस बात को समझने लगेंगे तथा जैसे ही आन्दोलन जोर पकड़ेगा, लोगों को लड़ाई की अगली और उन्नत कक्षा की ओर अग्रसर करते हुए आम योजना अगली बड़ी समस्याओं पर जोर देने के सम्बन्ध में [illegible] करेगी।

५—योजना निर्माण का संगठन—इस प्रकार की योजना के निर्माण के लिये जो संगठन स्थापित किया जाय वह इसके आम और सीमित उद्देश्य की पूर्ति करने के उपयुक्त होना चाहिये। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वह उद्देश्य यह है कि सामान्य नीति और पथ-प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जाय और पहले से स्थापित दलों, समूहों और व्यक्तियों, जिन्हें दैनिक कार्यक्रम को चलाने की स्वतन्त्रता होगी, के कार्यों में एक लचकदार और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील सहयोग की स्थापना की जाय। ये पुरानी संस्थाएं हैं जिनके सदस्य अनुशासन-भावनायुक्त नरनारी हैं और जो पहले ही से वर्त्तमान व्यवस्था को उलटने के प्रयत्न कर रहे हैं। सम्भव है कि उनकी प्रणालियां भिन्न तथा सिद्धान्त भी भिन्न हों। लेकिन जब तक वे इस आन्दोलन की सामान्य दिशा के विपरीत कोई योजना तैयार नहीं करते तब तक उनका स्वागत किया जायगा और उन्हें इस आन्दोलन में स्थान प्राप्त होगा। देश का बच्चा होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का वैसे भी यह अधिकार होना चाहिये कि वह इस आन्दोलन में भाग लेने का निमन्त्रण प्राप्त कर सके। अपने वर्त्तमान रूप में यह लड़ाई एक सर्वांगीण लड़ाई है—समग्र राष्ट्र का सामूहिक विद्रोह है। यह किसी वर्ग, दल या व्यक्ति की लड़ाई नहीं है बल्कि सर्वतोमुखी और सर्वव्यापी है। सम्भव है कि वर्गयुद्ध का समय आवे लेकिन अभी वह समय नहीं है और जब तक विदेशी शोषण से मुक्ति नहीं होती तब तक वह समय नहीं आ सकता। यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि इस लड़ाई के दौरान में यहां तक कि विदेशी सत्ता को उखाड़ने के प्रयत्नों के साथ ही सत्ता-परिवर्तन के समय शक्ति मजदूरों के हाथों में आ सकती है क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण परिवर्तन एक दूसरे के अनुवर्ती नहीं बल्कि सहगामी हैं। कुछ भी हो, इस समय यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि आन्दोलन के वर्त्तमान रूप में केन्द्रीय पथ-प्रदर्शन के लिये जिस संगठन की आवश्यकता होगी वह किसी एक ऐसे दल का [illegible] संगठन नहीं होगा जो निश्चित सिद्धान्तों में विश्वास रखता हो तथा एक नीति अनुशासन [illegible] में लाना हो। हम कोई ऐसा नया दल स्थापित नहीं करना चाहते जो [illegible] की वर्त्तमान दलों से संघर्ष पैदा कर लें और [illegible] नष्ट करने का [illegible]। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक ऐसा संगठन स्थापित करें जो विभिन्न दलों और समूहों के मिलने का केन्द्र हो, विचार विनिमय का आधार हो तथा एक दूसरे के [illegible] के [illegible] प्रदान करे ऐसा [illegible] जहां नीति के सम्बन्ध में अधिक से अधिक समझौता किया [illegible]। इन विभिन्न दलों का [illegible] एक नये दल द्वारा [illegible] नष्ट करना है। हमें एक संयुक्त

संगठन, सम्मिलित प्रयत्न और समान आधार की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है स्वातन्त्र्य संग्राम के मोर्चे की जहां समस्त वर्ग, समस्त दल, समस्त समूह तथा सारे व्यक्ति अपनी पृथक सत्ता और व्यक्तित्व को खोये बिना ही अपने लिये स्थान प्राप्त कर सकें। संघर्ष क्षेत्र में बहुत से क्रान्तिकारी दल कार्य कर रहे हैं। उनकी प्रणालियां, परम्पराएं तथा खास खास कार्यों के सम्बन्ध में उनके अनुभव भिन्न भिन्न हैं। लेकिन उनके प्रयत्नों के अन्तिम उद्देश्य में कोई भेद नहीं है। उनके संगठन, अनुशासन, साधनों तथा विशेष प्रकार के कार्यों के लिये उनकी विशेष योग्यता तथा विशेष कुशलता का प्रयोग करना चाहिए। स्वातंत्र्य युद्ध के मोर्चे की समान भूमि पर उन्हें एक सूत्र में बांधा जा सकता है और लड़ाई की वर्तमान स्थिति में उनसे इस बात का अनुरोध किये बिना, कि वे अपने तात्कालिक सिद्धान्तों के प्रति अपनी निष्ठा को त्याग दें, यह किया जा सकता है। कुछ अधिक संकुचित सीमा के अन्दर लेकिन प्रायः इसी प्रकार किसी हद तक सामाजिक वर्गों के सम्बन्ध में भी यही ठीक है। कोई भी वर्ग या समूह और कोई भी सामाजिक या कार्यपरिचालक संगठन ऐसा नहीं है जो वर्तमान सरकार से असंतुष्ट न हो। समाज के प्रत्येक दर्जे में जो असन्तोष और जो निराशापूर्ण भावना विद्यमान है उससे लाभ उठाना चाहिए और उसे बढ़ा कर एक विस्फोटक शक्ति बनाने का यत्न करना चाहिए। यदि धनी मिल मालिक या महाजन क्रान्ति के लिये आर्थिक सहायता देने को तैयार है तो उसकी सहायता को बड़ी तत्परता से प्राप्त करना चाहिए। सम्भव है कि वह अपनी पूंजी के उपयोग के लिये और भी अधिक खुला क्षेत्र चाहता हो और स्वार्थ से प्रेरित होकर ऐसा कर रहा हो, या सम्भव है अनुभवहीन और केवल किताबी ज्ञान वाले कम्यूनिस्टों की धारणा के विपरीत वह इच्छा न होते हुए भी देशभक्तिपूर्ण वातावरण से प्रभावित हो उठा हो। कुछ भी हो लड़ाई की प्रगति में, जो जनसाधारण में शक्ति की जागृति होने पर ही सफल हो सकती है, उसे या तो अपने हितों को जनसाधारण के हितों के साथ एकसूत्र में बांध देना होगा या जनता की शक्ति के उठते हुए उफान में विलीन हो जाना पड़ेगा। वर्गगत आदर्शों के भ्रष्ट होने के कौमारिक भय के कारण हमें उसकी सहायता प्राप्त करने या स्वीकार करने से मुंह न मोड़ना चाहिये। हमें उसे भी एक ही सूत्र में बांध लेना चाहिए।

६—क्रिया का कार्यक्रम—इस युद्ध में जितने वर्ग, जितने समूह तथा जितने व्यक्ति सम्मिलित हैं उतने ही मोर्चे हैं और समस्त मोर्चों पर एकसाथ ही कार्य करना है। लेकिन कार्य का सब से अधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण क्षेत्र गावों में है जहां किसान लोग जनशक्ति का विशालतम सुरक्षित भण्डार प्रस्तुत कर सकते हैं और जहां ग्राम्य आर्थिक व्यवस्था के भंग हो जाने का तत्काल खतरा उपस्थित है। गावों में किसानों के प्रतिनिधियों के पास हमारे केन्द्रीय संगठन के प्रतिनिधियों को जाना चाहिए। इन प्रतिनिधियों को वर्तमान संगठनों के अनुभवी कार्यकर्ताओं में से चुनना चाहिए। इनमें से कुछ संगठन तो कानून द्वारा तोड़ दिये गये हैं जैसे अखिल भारतीय चर्खा संघ और कुछ ऐसे हैं जो अब भी खुले तौर पर स्थापित हैं जैसे कृषक-प्रजा दल जो देश के आन्तरिक भागों में सम्पर्क स्थापित कर चुके हैं। उन्हें प्रत्येक गाव या ग्राम समूह में कुछ ऐसे विषय चुन लेने चाहिएं जिन पर सब से पहले आक्रमण किया जा सके। इन तात्कालिक शिकायतों के विरुद्ध सुलगते और भड़कते हुए असन्तोष को एक भयानक क्रोधाग्नि में परिणत करना चाहिए। पहले तो निजी बातचीत द्वारा तथा बाद में खुली आम सभाओं में ऐसा करना चाहिए और इस बात की बराबर कोशिश करनी चाहिए कि सरल और शीघ्र समझ में आने योग्य शब्दों में तात्कालिक समस्याओं को बड़ी और अधिक व्यापक समस्याओं से सम्बद्ध किया जाय। इस आन्दोलन को आर्थिक रियायतें प्राप्त करने की कानूनी मांग बताकर अभी अधिकारियों के साथ खुला संघर्ष नहीं होने देना चाहिए। जब आन्दोलन [illegible] अपनी रूपरेखा प्राप्त कर ले तो स्थानीय अधिकारियों के समक्ष समुचित अनुरोध [illegible]

लिये सुव्यवस्थित, किन्तु दृढ़-निश्चयी दस्तों की व्यवस्था करनी चाहिये । जब स्थानीय अधिकारी किसानों को दूर करने में असमर्थ रहें, जैसा कि अनिवार्य रूप से अवश्य होगा, तो किसानों के अन्दर और अधिक विरोधी प्रतिनिधियों को इस बात में सहायता करनी चाहिये कि वे किसानों को निम्न प्रकार की किसी सीधी कार्रवाई के लिये तैयार करें और स्वयं नेतृत्व ग्रहण करें :— संगठित और सुव्यवस्थित रूप से आवश्यक पदार्थों के भण्डार पर कब्जा करना, लगान और कर्ज का भुगतान बन्द करना, फसल देने से इन्कार करना, कचहरी की आज्ञाओं की अवहेलना करना तथा नीलामों में उपस्थित रहने या बोली बोलने से इन्कार करना, स्थानीय शासन यन्त्रों जैसे यूनियन बोर्ड, चौकियों, आदि पर कब्जा करना तथा उन्हें स्वयं चलाना तथा जहां भी आवश्यक हो नये शासन यन्त्रों की स्थापना करना । यदि केन्द्र के साथ-साथ यह घटनाक्रम एक ही समय में बहुत से स्थानों पर घटित हो—इस प्रकार के घटनाक्रम में छूत के रोगों की तरह उड़कर फैलने की प्रवृत्ति होने के कारण इसमें किसी हद तक सहायता भी मिलेगी—तो सरकारी शक्तियां इस प्रगति को रोकने में असमर्थ रहेंगी, उपद्रव अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में तथा अत्यधिक व्यापक रूप में होंगे। सम्भव है कि सेना तथा पुलिस किसी एक गांव की ओर बढ़े और उसे खाक में मिला दें । लेकिन उन्हें पीछे से, पार्श्व से तथा सामने से बराबर तंग किया जायगा, उनके यातायात सम्बन्ध बराबर काटे जायेंगे और खाद्य-पदार्थों की प्राप्ति संकट में पड़ जायगी । गांवों के लोगों के लिये आत्म-रक्षा की अच्छी चाल यह होगी कि वे अपने क्षेत्र को सब प्रकार के यातायात सम्बन्धों से काट कर अलग करलें, रुकावटों का संगठन करें जो शत्रु के आने की चेतावनी दें, शत्रु के गांव में आने से पहले वहां से हट जायं और जब शत्रु वापस चला जाय, जैसा कि उसे करना पड़ेगा जब वह देखेगा कि उसे वहां युद्ध करने को है ही नहीं तथा खाने-पीने की सामग्री का भी अभाव है, तो उनको टूटी लहरों की तरह उन्हें गांव में वापस आ जाना चाहिये। गांव वालों को बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। लेकिन लाभ भी बहुत बड़ा हो सकता है । यदि प्रारम्भ में ही उन्हें यह सब अनुभव करा दिया गया, यदि वे यह समझ लें कि इसके सिवा उनके पास दूसरा मार्ग केवल यह है कि वे अकर्मण्य होकर बैठ रहें और अपना ही कष्ट बढ़ावें, यदि उन्हें इस बात की शिक्षा दी गई है कि उन्हें क्या आशा रखनी चाहिये और क्या करना चाहिये तो ये सारे कष्ट उन्हें विचलित न कर सकेंगे । प्रत्येक बार जब वे अपने ध्वस्त गांव को वापस आयेंगे तो वे और भी अधिक कठोर और दृढ़ भावना के साथ तथा हृदय में और भी अधिक कटुता लिए हुए लौटेंगे । दूसरे गांवों तथा जिलों की घटनाओं के समाचार किसी न किसी प्रकार उन तक अवश्य पहुंचेंगे जिससे वे अपने संकल्प को और भी अधिक दृढ़ कर सकेंगे ।

७—दूसरे मोर्चे—कारखानों के मजदूरों में कार्य करने का हमें अधिक अनुभव है और इसके लिये हमारे पास अधिक अच्छा संगठन है। यहां भी हमें तात्कालिक आर्थिक समस्याओं को लेकर असन्तोष पैदा करना चाहिये। गांवों में आन्दोलन करने से स्थिति को सीधी सहायता प्राप्त होगी क्योंकि गांव अपने यहां से शहरों में तथा औद्योगिक क्षेत्रों में खाद्य-पदार्थों तथा कच्चे माल का पहुंचना बन्द कर देंगे। मंहगाई के भत्ते में वृद्धि हुई [illegible] के अनुसार कभी पूरी नहीं हो सकेगी क्योंकि मुद्रा प्रसार के साथ विभिन्न पदार्थों का मूल्य बराबर बढ़ता ही जायगा। मूल्य निरन्तर स्वयं सिद्ध कर देगा कि यह एक अर्थहीन प्रवंचना है। इस संघर्ष में हड़तालों को [illegible] होगा, इस बीच में पूंजीपतियों के प्रति बराबर प्रचार जारी रखना [illegible] और [illegible] के आधार पर उनसे अनुरोध करना चाहिये कि वे इस आन्दोलन का [illegible] ही [illegible]। [illegible] से अनुरोध करना चाहिये कि वह राजनीतिक [illegible] को [illegible]। [illegible] के [illegible] के विद्यार्थियों और मजदूरों के प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के लिये [illegible] करना चाहिये। [illegible] कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहिये कि वे [illegible] में [illegible]

करें, विभिन्न प्रकार की गुप्त बातों की सूचना दें तथा शासन के महत्वपूर्ण अंगों मे आन्तरिक विनाश की नीति अमल में लावें। अन्य बातों की तरह इसमें भी प्रहार करने के वास्तविक उपायों और केन्द्रों का निर्धारण उन्हीं के हाथों में छोड़ देना चाहिये। लेकिन यदि एक बार हमारे आन्दोलन की साधारण रूपरेखा को ठीक तरह समझ लिया गया तो अनगिनत उदाहरण दिये जा सकते हैं और असंख्य अवसर ढूंढे जा सकते हैं। लड़ाई की साधारण रूपरेखा को आवश्यकतानुसार बराबर स्पष्ट करते रहना चाहिये।

८—प्रबन्ध-सबन्धी कार्य—कार्यकर्त्ताओं की शिक्षा, पर्चों, समाचार विज्ञप्तियों तथा नारों का प्रचलित करना, सम्पर्क स्थापित करने का संगठन, धन एकत्रित करना, कार्य की प्रगति का समय समय पर सिंहावलोकन, लड़ने वालों के लिये आदेश जारी करना आदि स्वतन्त्रता-युद्ध के मोर्चे की तात्कालिक समस्यायें हैं। हर तरफ से सहायता प्राप्त हो रही है। कार्य अवश्य सिद्ध होकर रहेगा लेकिन कार्यक्रम को अमल मे लाने की तरह प्रबन्ध सम्बन्धी अवस्था में भी स्थानिक अधिकार की अधिक से अधिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के आन्दोलन में गुप्त कार्रवाई के लिये बहुत कम क्षेत्र रहता है। इस लिए आन्दोलन को दमन से बचाने के लिये गुप्त कार्रवाइयों की बजाय स्थानिक अधिकार का आश्रय लेना चाहिये।

परिशिष्ट सं० ८

जनता से एक अपील

स्वतंत्रता दिवस, २६ जनवरी, १९४३

आज २६ जनवरी है। १२ वर्ष हुए आज के दिन हमने स्वतंतता प्राप्त करने की शपथ ग्रहण की थी और तब से प्रति वर्ष हमने इस पुनीत शपथ को दुहराया है। ये १२ वर्ष परिश्रम और कष्ट से भरे हुए थे और प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस हमको अपने लक्ष्य के अधिक निकट लाया है। यह दिवस—२६ जनवरी १९४३—जिसमें हमें जीवित रहने का सौभाग्य प्राप्त है,इसी प्रकार के अन्य दिवसों से जो पहले बीत चुके हैं,भिन्न है। स्वतत्रता का युद्ध, जो १२ वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ था, अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और शीघ्र ही समाप्त हो जायगा। सत्याग्रह और विशिष्ट कानूनों की अवज्ञा से श्री गणेश करके अब हम सर्वांगीण क्रान्ति के बीच पहुंच गये हैं। विदेशी सत्ता के किसी विशेष कानून का नहीं बल्कि इस समस्त सत्ता का हम विरोध कर रहे हैं। हमारी माग किसी विशेष विधान के लिए नहीं है, बल्कि यह है कि साम्राज्यवादी आक्रान्ता यहां से बिल्कुल चला जाय।

इसलिए, आज जो शपथ हम ग्रहण कर रहे हैं वह उन शपथों से भिन्न होनी चाहिए जो हम पहले ग्रहण कर चुके हैं। आज हमारे लिए केवल यही प्रतिज्ञा हो सकती कि १९४३ को हमारी राष्ट्रीय दासता का अन्तिम वर्ष बनाया जाय। गत वर्ष ८ अगस्त के दिन हमने अपने आप को स्वतंत्र जन-समुदाय घोषित किया था, लेकिन शत्रु अब भी हमारे बीच बसा हुआ है और स्वातंत्र्य-प्राप्ति के हमारे दृढ़ संकल्प को तानाशाही आतंक द्वारा कुचलने का प्रयत्न कर रहा है। अत: आज हमको यह शपथ लेनी चाहिए कि आगामी २६ जनवरी से पहले हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जायगे और दिल्ली के सरकारी भवन तथा समस्त सरकारी भवनों और देश के सभी घरों पर ब्रिटेन का उद्धत झंडा नहीं, बल्कि भारतीय प्रजातंत्र का झंडा फहरायेगा। राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने तथा राष्ट्रीय क्रान्ति मे समुचित भाग लेने के लिए जन-समुदाय के प्रत्येक वर्ग को आज शपथ ग्रहण करनी चाहिए।

इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारतीय प्रजातंत्र, जिसको आज जन्म दिया जा रहा है, की ओर से हम अपील करते हैं :—

कृषकों से—

अनधिकारी अंग्रेज शासकों को कर या मालगुजारी न दें।
उन जमींदारों को लगान न दें जो अंग्रेज सरकार को मालगुजारी देते हैं।
गांवों में स्वराज्य पंचायतों की स्थापना करें।
सरकारी अदालतों का बहिष्कार करें और अपने झगड़ों को पंचायतों में निपटावें।
कोई फसल या पशु न बेचें।
कागजी मुद्रा अपने पास न रखें और अदल बदल से कारोबार करें।
छापामारी की लड़ाई के लिए दल तैयार करें।

मजदूरों से—कारखानों, रेलों, खानों तथा अन्य स्थानों में काम करने वाले

उत्पादन की गति धीमी कर दें।
गुप्त रूप से कारखानों में हानि पहुंचावें।
मजदूरी, सस्ते खाद्यों, कपड़े और हड़ताल करने के अधिकार के लिए लड़ें और संगठन करें।
छापामारी की लड़ाई के लिए दल तैयार करें।

विद्यार्थियों से—

स्कूल और कालिज छोड़दें।
क्रान्ति के सैनिकों के रूप में नाम लिखायें।
छापामारी की लड़ाई के लिए दल तैयार करें।
छुट्टियों में काम करने वाले दल तैयार करें।

व्यापारियों से—

अंग्रेजों से व्यापार करना बन्द कर दें।
इम्पीरियल बैंक तथा अन्य अंग्रेजी बैंकों से अपनी रकमें निकलवा लें।
"स्वराज्य कर" में चन्दा दें।

सशस्त्र सैनिकों से—

भारतीय प्रजातंत्र के प्रति राजभक्ति की निरन्तर शपथ ग्रहण करें।
अपने देशवासियों के विरुद्ध बन्दूक चलाने से इनकार करें।
[illegible]

पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों से—

स्वदेश क्रान्ति के विरुद्ध लड़ाई लड़ने से इनकार कर दें।

प्रत्येक व्यक्ति से—

अनधिकारी सत्ता को नष्ट करने तथा भारतीय प्रजातंत्र को स्थापित करने में हर तरह से सहायता दें।

प्रतिदिन प्रातः ८ बजे और रात को ९ बजे "इन्कलाब जिन्दाबाद", "करेंगे या मरेंगे" और "अंग्रेजों को निकालो" के नारे लगायें।

केन्द्रीय संचालक मंडल,
अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति

परिशिष्ट सं० ९

"स्वतंत्रता के समस्त सैनिकों से"

क्रान्तिपूर्ण अभिवादन

साथियो,

सब से पहले मैं आपको तथा उन साथियों को जो युद्ध बन्दी हो गये हैं, शत्रु से भारी मोर्चा लेने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे इस चिर-पीड़ित तथा दलित देश में ऐसी कोई लड़ाई पहले कभी नहीं हुई और न ही होने की आशा थी। वास्तव में यह वही "खुला विद्रोह" था जिसका आयोजन हमारे बेजोड़ नेता महात्मा गांधी ने किया था।

फिलहाल तो यह विद्रोह निस्सन्देह, दबा दिया गया दिखायी देता है। मुझे आशा है कि आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि यह केवल कुछ समय के लिए ही दबाया गया है। इससे हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सच तो यह है कि यदि पहला ही प्रहार सफल हो जाता और उससे साम्राज्यवाद पूर्णत नष्ट हो जाता, तब वह आश्चर्य की बात होती। शत्रु ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि इस विद्रोह से उसकी सत्ता नष्ट होते होते बच गयी। इसी से प्रगट होता है कि हमारी राष्ट्रीय क्रान्ति का प्रथम अध्याय कितना सफल रहा।

और प्रथम अध्याय को किस प्रकार दबाया गया? क्या ये शत्रु की सैन्य-शक्ति, गुंडाशाही का बढ़ता हुआ दौरदौरा, लूटपाट, अग्नि और हत्या के कांड थे जिन्होंने यह कार्य किया? नहीं। यह समझना गलत है कि "विद्रोह" को "दबा दिया" गया है। सब क्रान्तियों के इतिहास से पता चलता है कि क्रान्ति कोई घटना विशेष नहीं होती। यह तो एक अध्याय, एक सामाजिक क्रम का नाम है। और फिर क्रान्ति के विकास में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक ही हैं। इस समय हमारी क्रान्ति उन्नत हो कर विजय पर विजय प्राप्त करने की बजाय जल्दी से उतार पर चलने लगी है, इस लिए नहीं कि साम्राज्यवादी आक्रान्ताओं ने अपने अधिक शक्तिशाली पाशविक बल का प्रयोग किया है बल्कि इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं।

पहले तो राष्ट्रीय क्रान्तिकारी शक्तियों (का) कोई कुशल संगठन नहीं था जो कार्य करता रहता (और

इन प्रभावपूर्ण शक्तियों का सञ्चालन करता जिनका विकास हो गया था। यद्यपि कांग्रेस एक विशाल संगठन है, फिर भी वह उस सीमा तक तैयार न था जिस तक कि इस क्रान्ति को पहुँचना था। संगठन की इतनी भारी कमी थी कि महत्त्वपूर्ण कांग्रेसजन भी इस की प्रगति से अनभिज्ञ रहे और क्रान्ति की प्रारम्भिक अवस्था में बहुत से कांग्रेसी क्षेत्रों में काफी देर तक यह विवाद ही का विषय रहा कि जो कुछ जनता कर रही है क्या वास्तव में वह कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार ही था। इस सम्बन्ध में यह शोचनीय बात उल्लेख करने योग्य है कि पर्याप्तसंख्यक प्रभावशाली कांग्रेसजन अपनी मनोवृत्ति को इस "स्वतन्त्रता के लिए अंतिम लड़ाई", की भावना के धरातल तक न उठा सके। महात्मा गांधी, डा० राजेन्द्रप्रसाद या सरदार पटेल जैसे नेताओं के दृष्टिकोण में जो तत्परता, आवश्यकता और दृढ़ निश्चय दिखाई देते थे उनका समस्त कांग्रेस नेताओं के मस्तिष्क और हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ा।

अस्तु, जब क्रांति का प्रथम अध्याय समाप्त हो गया तो जनता के सम्मुख कोई आगे का कार्यक्रम नहीं रखा गया। लोगों ने अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश राज को पूर्णत: छिन्न भिन्न कर देने के बाद यह समझ लिया कि उनका कार्य समाप्त हो गया है और वे अपने घरों को यह सोचे बिना चले गये कि उन्हें और क्या करना है। यह उनका दोष नहीं था। गलती तो हमारी थी। दूसरे अध्याय के लिए उनके सम्मुख हमें कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए था। जब यह नहीं किया गया तो विद्रोह गतिहीन हो गया और उतार का रूप प्रारम्भ हो गया। विद्रोह की धीमी गति को और अधिक शिथिल बनाने के लिए जब पर्याप्त संख्या में अंग्रेज सैनिक आदि तो इसके लिये [illegible] यह स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। दूसरे अध्याय में जनता के सम्मुख क्या कार्यक्रम उपस्थित करना चाहिए था? इसका उत्तर इसी से दिया जा सकता है कि क्रांति किस प्रकार की होती है। क्रान्ति एक विनाशात्मक क्रिया ही नहीं बल्कि साथ ही एक विशाल रचनात्मक शक्ति भी होती है। कोई भी क्रान्ति सफल नहीं हो सकती यदि वह केवल विनाशात्मक ही है। यदि इसे जीवित रहना है तो, नष्ट की गयी सत्ता के स्थान में इसे नयी सत्ता को जन्म देना चाहिए। हमारी क्रान्ति को भी देश के विस्तृत क्षेत्रों में विनाशात्मक कार्य को पूरा करने के बाद रचनात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता थी। जिन क्षेत्रों ने ब्रिटिश सत्ता के उन साधनों और संस्थाओं को नष्ट कर दिया जिनके द्वारा वह शासन करती थी और उसके अधिकारियों को भगा दिया तो उन्हें चाहिए था कि अपने अपने क्षेत्रों में वे क्रान्तिकारी [illegible] स्थापित करते और अपनी पुलिस और सेना को जन्म देते। यदि ऐसा कर लिया जाता तो इससे [illegible] क्रान्ति [illegible] हो जाती और रचनात्मक कार्यों के लिए इतना विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हो [illegible] और—यदि यह क्रान्ति देशव्यापी होती—अन्त में [illegible] और स्वतन्त्र देश की सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ आ जाती।

[illegible] क्रान्ति के पूर्ण कार्यक्रम का आधार, [illegible] के प्रथम अध्याय [illegible]

[illegible]

[illegible]

अविचल रूप से रखना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए यह हमारी अन्तिम लड़ाई है। अतः हमारा उद्देश्य विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। इस में समझौते की कोई गुंजायश नहीं है। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए राजगोपालाचारी जैसे व्यक्ति जो प्रयत्न कर रहे हैं वे केवल निष्फल ही नहीं बल्कि उस अंश तक निश्चित रूप से हानिकर भी हैं जिस अंश तक वे जनता के ध्यान को वास्तविक समस्या से दूर ले जाते हैं। "भारत-छोड़ो" और "राष्ट्रीय सरकार" के नारों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। जो लोग कांग्रेस और लीग की एकता के नारे पर जोर दे रहे हैं वे साम्राज्यशाही प्रचार में सहायता पहुँचा रहे हैं। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना में एकता का अभाव अड़चन नहीं डाल रहा है बल्कि साम्राज्य की सत्ता त्यागने की स्वाभाविक अनिच्छा अड़चन डाल रही है। श्री चर्चिल ने इस सम्बन्ध के कोई सन्देह नहीं रखा। जब उन्होंने हाल ही में कहा था कि साम्राज्य का दिवाला निकालने के लिये मैंने सम्राट के प्रधान मंत्री का पद ग्रहण नहीं किया है। वह समाज का मूर्ख विद्यार्थी है जो यह आशा करता है कि साम्राज्य अपने आप विलीन हो जाते हैं। वे भूतपूर्व "क्रान्तिकारी" जो विनम्र स्मारकपत्रों की प्रलयकारी शक्ति द्वारा भारत को साम्राज्यवाद से मुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे अपने आप को इतिहास के सबसे अधिक दयनीय मूर्ख बना रहे हैं।

साम्राज्यशाही के शब्दजाल के अनुसार सामयिक आवश्यकता भारतीय जीवन के महत्वपूर्ण अंगों में एकता की नहीं है, बल्कि राष्ट्र की समस्त क्रान्तिकारी शक्तियों के एकीकरण की है। और कांग्रेस के झंडे के नीचे इनका एकीकरण पहले ही हो चुका है। कांग्रेस और लीग की एकता से इन शक्तियों में वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है, किन्तु इनके और भी पिछड़ जाने की सम्भावना है, क्योंकि लीग संभवतः क्रान्ति और स्वतंत्रता के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकती।

अब, साम्राज्यवाद को समूल नष्ट कर करना ही हमारा उद्देश्य है और इसको अविचल रूप से हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सकता। या तो हम विजयी होंगे या पराजित होजायंगे। और पराजित तो हम होंगे नहीं। केवल इसी लिए नहीं कि हमने विजय प्राप्ति के लिए निरन्तर कार्य करने का संकल्प कर लिया है बल्कि इसलिए भी कि संसार की प्रभावशाली शक्तियां साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद के विनाश को दिनपर-दिन अधिक निकट ला रही हैं। यह विश्वास न करिये कि शान्ति सम्मेलन में परिश्रम के साथ इस युद्ध के जो परिणाम निश्चित किये जायंगे वे युद्धोत्तर कालीन संसार के भाग्य का भी निपटारा कर देंगे। युद्ध एक विचित्र रसायनज्ञ है और इसके गुप्त कमरों में ऐसी शक्तियां सूक्ष्म-रूप में विद्यमान हैं जो विजयी तथा विजित दोनों की योजनाओं को समान रूप से धूल में मिला देती हैं। गत महायुद्ध की समाप्ति के बाद किसी भी शान्ति सम्मेलन ने यह निश्चय नहीं किया था कि यूरोप और एशिया के चार विशाल साम्राज्य—रूसी, जर्मन, आस्ट्रियन तथा ओटोमन—धूल में मिल जायंगे। न ही रूसी, जर्मन और तुर्क क्रान्तियां लायड जार्ज, क्लिमैंश्यू या विल्सन द्वारा निर्धारित की गयी थीं।

समस्त संसार में, जहां लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और संकट झेल रहे हैं, रसायनज्ञ अपना काम कर रहा है, जैसा कि वह भारत में कर रहा है, जहां उसने पहले ही विशाल सामाजिक क्रान्ति फैला दी है। वर्तमान युद्ध की समाप्ति के बाद चर्चिल, रूजवेल्ट, हिटलर और तोजो, इनमें से कोई भी संसार के भाग्य का निर्णय न करेगा। ऐसी शक्तियां जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, इस ऐतिहासिक

हो रही है ? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि भविष्य के सम्बन्ध में सोचे विचारे बिना लाखों आदमी अकथ कष्ट उठा रहे हैं? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि लाखों व्यक्ति उन असत्य बातों से सन्तुष्ट हैं जो उनके शासक उनको नित्य बताते हैं? नहीं ऐसा नहीं होसकता ।

इसलिए पूर्ण विजय के उद्देश्य पर निश्चित रूप से अपनी दृष्टि जमाकर, हमें आगे बढना है। ठोस रूप से हमें क्या करना चाहिए? जब एक जनरल लड़ाई में हारता है या जीतता है? तो वह क्या करता है? क्या वह शक्ति को संगठित करता है और दूसरी लड़ाई के लिए तैयारी करता है? संगठन और तैयारी करने के लिए रोमेल, भारी विजय प्राप्त करने के बाद, अल-अलामीन पर ठहर गया। अलेक्जेंडर ने भी तैयारी की और उसने अपनी भारी पराजय को प्रशंसापूर्ण विजय में परिणत कर दिया। हमारी तो यह पराजय भी नहीं थी। वास्तव में हमने लड़ाई के पहले दौर में विजय प्राप्त की क्योंकि हमारे देश के विस्तृत क्षेत्र में आक्रान्ता अंग्रेजों की शासन प्रणाली का पूर्णत उन्मूलन कर दिया गया। जनता ने अब यह अनुभव से जान लिया है कि जब वह सामूहिक शक्ति से आक्रमण करती है तो पुलिस, मजिस्ट्रेटों, अदालतों और जेलों का बना हुआ भव्य-भवन—जो ब्रिटिश राज के नाम से प्रसिद्ध है—कागजी घर के समान सिद्ध होता है। इस सबक के भूलने की संभावना नहीं है और दूसरे आक्रमण के लिए यह पहला मोर्चा होगा।

इसलिये इस समय हमारा तीसरा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य आगामी भारी आक्रमण के लिए तैयारी करना है। शायद, सगठन और अपने को अनुशासन में रखना—इस समय हमारे मूलमंत्र हैं।

अगला आक्रमण? अगला आक्रमण प्रारम्भ करने की हम कब आशा करें? कुछ लोगों का विचार है कि आगामी ५ या ६ साल तक जनता फिर विद्रोह करने के लिए तैयार न होगी। शान्तिकाल में यह अनुभव ठीक हो सकता है लेकिन तूफानी युद्ध-पीड़ित ससार पर, जिसमें घटना-चक्र तेजी से चल रहा है, यह लागू नहीं होता। अंग्रेज तानाशाहों—लिनलिथगोओं, हैलटों, स्ट्यूअर्टों तथा ऐसे ही अन्य हजारों लोगों और उनके नीच भारतीय नौकरों—के पाशविक अत्याचार से जनता शायद इस समय भले ही दब गयी हो, लेकिन उसको अत्याचारियों का मित्र बनाने में उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली है। समस्त देहाती क्षेत्रों में जहां अंगरेजों ने अपने ढंग से नाजियों जैसे पैशाचिक अत्याचार किये थे, अत्यधिक तीव्र असन्तोष, क्रोध और प्रतिकार की पिपासा तीव्र रूप से फैली हुई है। जनता को केवल यह जानना है कि फिर आक्रमण करने तथा आगामी आक्रमण की योजनाओं को क्रियात्मक, सम्मिलित और अनुशासनपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने के लिए जोरदार तैयारी की जा रही है। आगामी आक्रमण के लिए यह पूर्णत हितकर होगा। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी हमें सहायता मिल सकती है। इसके बाद गांधी जी का आमरण अनशन‌ता है, जो वे किसी भी समय कर सकते हैं। यह हमें तथा लोगों को निरन्तर स्मरण कराता है कि हम और वे शिथिल न पड़ें, विचलित न हों और विश्राम न करें।

आगामी आक्रमण का प्रश्न क्रान्ति के रचनात्मक कार्य के प्रश्न—अर्थात क्रान्तिकारी सरकार की शाखाएं स्थापित करना—से सम्बद्ध है जिसमें प्रश्न से हिंसा और सशस्त्र सेनाएं रखने का प्रश्न सम्बन्धित है। इसलिए इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं अपना मत आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे विचार में हमारी क्रान्ति के भविष्य से इसका गहरा सम्बन्ध है।

सब से पहले, मैं अनुभव करता हूं कि ब्रिटेन की सरकार के इस दौरान के समय किसी नये क्रियात्मक बातों के सम्बन्ध में जो शोर मचाया है उसके बारे में कुछ कहूं। [illegible]

कुछ हिंसात्मक कार्य अवश्य किए गये थे, लेकिन विद्रोह की विशालता और वैयक्तिक तथा सामूहिक अहिंसा के आश्चर्यजनक प्रयोग की तुलना में यह नगण्य है। शायद यह अनुभव नहीं किया गया है कि विदेशी सत्ता के हजारों अंग्रेज और भारतीय कर्मचारियों का जीवन कुछ दिनों तक जनता की दया पर निर्भर था। जनता ने अपने शत्रुओं पर दया की और उनका जीवन तथा सम्पत्ति सुरक्षा दी। और उन हजारों वृद्धों और नवयुवकों के शान्त और दिव्य साहस के सम्बन्ध में क्या कहना है जिन्होंने हाथ में क्रान्ति का झंडा लिए और मुंह से "इन्किलाब जिन्दाबाद" का नारा लगाते हुए अपने सीने में शत्रु की गोलियां खायीं। क्या इस दैवी उत्साह के लिए अंग्रेजों के पास कोई प्रशंसा का शब्द है?

किसी भी स्थिति में, क्या यह उल्लेखनीय नहीं है कि वृटिश सत्ता जो हिंसा से ओत-प्रोत है, जो हिंसा पर आधारित है, जो प्रतिदिन अत्यधिक क्रूरतापूर्ण हिंसात्मक कार्य करती है, जो लाखों व्यक्तियों को पीसती है और उनका खून चूसती है, दूसरों के हिंसात्मक कार्यों पर इतना शोर मचाये। इससे अंग्रेजों का क्या सम्बन्ध है कि उनसे लड़ने के लिए हम किन शस्त्रों का प्रयोग करते हैं? क्या उन्होंने यह प्रतिज्ञा करली है कि यदि विद्रोही अहिंसात्मक रहे तो वे भी अहिंसात्मक नीति का पालन करेंगे? हम चाहे किन्हीं शस्त्रों का प्रयोग करें अंग्रेजों के पास तो हमारे लिए गोलियां, लूटमार, बलात्कार और अग्नि-काण्ड ही हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में उनको मौन ही रहना चाहिए कि हम उनके विरुद्ध किस ढंग से लड़ते हैं। इसका निश्चय करना एकमात्र हमारा ही काम है।

इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले मैं आपको अहिंसा के सम्बन्ध में एक ओर गांधी जी और दूसरी ओर कार्यसमिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के विचारों में जो मतभेद है उसका स्मरण कराऊंगा। गांधी जी किसी भी स्थिति में अहिंसा से विचलित होने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके लिए यह प्रश्न विश्वास और जीवन सिद्धान्त का है। लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं है। तभी कांग्रेस ने इस युद्ध के बीच बार बार यह कहा है कि यदि भारत स्वतंत्र होगया या यदि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना भी होगयी तो वह शस्त्रों से आक्रमण का विरोध करने के लिए तैयार होजायगी। लेकिन, यदि हम शस्त्रों का प्रयोग करके जापान और जर्मनी के विरुद्ध लड़ने को तैयार हैं तब हमें वृटेन के विरुद्ध लड़ने में उसी ढंग का प्रयोग करने से क्यों इन्कार करना चाहिए? इसका केवल यही उत्तर हो सकता है कि सत्ता-युक्त कांग्रेस सेना रख सकती है, परन्तु सत्ताहीन कांग्रेस नहीं रख सकती। लेकिन यदि क्रान्तिकारी सेना की स्थापना की गयी या यदि वर्तमान भारतीय सेना या इसका एक भाग विद्रोह करदे तो क्या यह हमारे लिए असंगत नहीं होगा कि पहले तो हम सेना से विद्रोह करने के लिए अनुरोध करें और इसके बाद विद्रोहियों से यह कहें कि वे हथियार रखदें और नग्न सीने से अंग्रेजों की गोलियों का सामना करें?

कांग्रेस की—गांधी जी की नहीं—स्थिति के सम्बन्ध में मेरी निजी व्याख्या स्पष्ट और निश्चित है। यदि देश स्वतंत्र होगया तो कांग्रेस हिंसात्मक रूप से आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार है। अच्छा, हमने अपने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया है और वृटेन को आक्रान्ता राष्ट्र भी करार दे दिया। फलतः बम्बई प्रस्ताव के अन्तर्गत वृटेन से सशस्त्र लड़ना हमारे लिए उचित है। यदि यह गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कार्यसमिति और अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने गांधी जी के मत से भिन्न मत प्रगट किया है और अहिंसा का युद्ध में प्रयोग

करने के सम्बन्ध में जो उनकी धारणा है उसको अस्वीकार किया है। अंग्रेजी सत्ता ने इस प्रस्ताव को उचित रूप देने तथा नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को अवसर नहीं दिया। इसलिए व्याख्या का अनुसरण करते हुए हमें गांधी जी के प्रति झूठा नहीं बनना चाहिए। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं अनुभव करता हूं कि एक खरे कांग्रेसी की हैसियत से—मेरे समाजवाद को इस प्रश्न से असम्बद्ध रखते हुए—यदि मैं ब्रिटिश आक्रमण का सशस्त्र विरोध करूं, तो यह मेरे लिए उचित ही होगा।

मुझे यह भी कहना चाहिये कि इस बात को स्वीकार करने में मुझे किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है कि एक वीर पुरुष की अहिंसा, यदि इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाय तो हिंसा को अनावश्यक सिद्ध कर देगी। लेकिन ऐसी अहिंसा के अभाव में मुझे चाहिए कि इस क्रान्ति की प्रगति को रोकने तथा इसको असफल बनाने के लिए धर्म शास्त्र की सूक्ष्मताओं से ढकी हुई कायरता को स्थान न दूं।

क्रान्ति के अंतिम अध्याय की पेचीदगियों को स्पष्ट रूप में समझ कर, हमें अपनी सेनाओं को तैयार और संगठित करना है और उन्हें अनुशासन की शिक्षा तथा ट्रेनिंग देनी है। जो भी कुछ हम करें, निरन्तर हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा यह कार्य केवल षड्यंत्र रूप में ही नहीं होगा। यह जन-समूह का सर्वांगीण विद्रोह होगा और यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमारे विशाल टेक्निकल कार्य के साथ-साथ हमें जन-समूह में गावों के कृषकों और कारखानों, खानों, रेलों तथा अन्य स्थानों में काम करने वाले श्रमिकों में—प्रभावशाली कार्य करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उनमें निरन्तर प्रचार करें, उनकी वर्तमान कठिनाइयों में सहायता करें, उनकी वर्तमान मांगों की लड़ाई के लिए उनका संगठन करें। हमारे विविध कार्यों के लिए इनमें से चुने हुए सैनिक भरती करें और राजनीतिक तथा टेक्निकल दृष्टि से उनको ट्रेनिंग दें। शिक्षण के द्वारा थोड़े लोग वह सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिसे पहले हजारों लोग प्राप्त नहीं कर सके थे। प्रत्येक फिरके, ताल्लुके, थाने, कारखाने और वर्कशाप में या अन्य औद्योगिक केन्द्रों में हमारे सैनिकों का एक ऐसा दल अवश्य होना चाहिये जो आगामी विद्रोह के लिये भावनाओं और सामग्री की दृष्टि से सुसज्जित हो।

भारतीय सेना तथा सरकारी व्यवस्था के सम्बन्ध में भी हमें कार्य करना है। हमें आन्दोलन और प्रदर्शन सम्बन्धी कार्य करने हैं। स्कूलों, कालिजों और बाजारों में हमारे लिए कार्य है। रजवाड़ों में और भारत की सीमाओं पर भी कार्य करना है। यहां पर हमारी तैयारियों को अधिक साकार रूप में वर्णन करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। इतना ही कह देना पर्याप्त है कि हमें अत्यधिक कार्य करना है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य है। बहुत सा कार्य तो इसी समय किया जा रहा है। लेकिन अभी और विशाल कार्य करना बाकी है।

युवकों के अतिरिक्त इस समस्त कार्य को कौन पूरा कर सकता है? क्या यह आशा करना अत्यधिक है कि हमारे विद्यार्थी जिन्होंने अभी ही बड़ा गौरवपूर्ण उदाहरण उपस्थित किया है, अपने वीरतापूर्ण कार्यों का अनुसरण करते रहेंगे और जो वचन उन्होंने दिए हैं उनका पालन करेंगे? स्वयं विद्यार्थी ही इसका उत्तर देंगे।

मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि तैयारी का यह अर्थ नहीं है कि लड़ाई कुछ समय के लिए बन्द हो जायगी [illegible] नहीं, "[illegible]", "[illegible] की लड़ाइयाँ" "छोटी मोटी मुठभेड़" "[illegible] हड़तालें", "गदर"—यह सब जारी रहना चाहिए। यह तो आक्रमण की तैयारी ही है।

...न पूर्ण विश्वास और अपने लक्ष्य में श्रद्धा रखते हुये हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें दृढ़ता से कदम रखना चाहिए। हमारा हृदय दृढ़ निश्चय की भावना से पूर्ण और दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिये। भारतीय स्वतन्त्रता का सूर्य क्षितिज से ऊपर निकल आया है। हमारे सन्देह और झगड़े, निष्क्रियता और अविश्वास के बादल इस सूर्य पर आवरण डाल कर हमें कहीं अपने ही द्वारा उत्पन्न हुए अंधकार में न डाल दें।

अंत में, साथियो, मैं यह कहना चाहूंगा कि एक बार फिर आपके सम्मुख अपनी सेवाएं प्रस्तुत करके मुझे अनिर्वचनीय सुख और गौरव का अनुभव हुआ है। आपकी सेवा करने में, हमारे नेता के अन्तिम शब्द "करो या मरो", मेरा पथ-प्रदर्शन करेंगे, आपका सहयोग मेरी शक्ति, और आपका आदेश मेरी सफलता होगी।

मारत के किसी स्थल से

जय प्रकाश

परिशिष्ट सं० १०

श्री गांधी का अन्तिम सन्देश

पूर्ण गति अवरोध, हड़ताल और समस्त अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग करके प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा के अन्तर्गत चरम सीमा तक जाने के लिए स्वतन्त्र है। सत्याग्रही मरने के लिए बाहर जायें, जीने के लिए नहीं। राष्ट्र का उद्धार केवल उसी दशा में होगा जब लोग मृत्यु को ढूंढने और उसका सामना करने के लिए बाहर निकलेंगे। करेंगे या मरेंगे।

परिशिष्ट सं० ११

१—अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों तथा अन्यों को आदेश

हमारा मुख्य कार्य गांधी जी तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के दिन नगरों में देखे गये उत्साह को कायम रखना तथा उसे निश्चित आधार पर संगठित करना और साथ ही ग्रामीण भारत में भी कार्य को उसी सीमा तक पहुंचाना है ताकि देश भर में एक ही समय हमारा संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच सके। आवश्यक विचारणीय बात, समय है। हमें दो या चार सप्ताह में अपनी सामर्थ्य ही प्रकट नहीं कर देनी है, क्योंकि यदि हम ऐसा न कर सके तो गांधी जी अनशन कर सकते हैं, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे शहरी तथा ग्रामीण आन्दोलन का ऐसा एकीकरण होना चाहिए तथा उन्हें इस प्रकार एक साथ चलना चाहिए ताकि सरकार को इतना समय न मिले कि वह एक आन्दोलन को इतना पहले कुचल डाले कि दूसरा आन्दोलन इसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए उस समय तक संगठित भी न हुआ हो।

ग्रामीण भारत—ग्रामीण जनता को सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य स्थानों में यह घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह स्वाधीन हो चुकी है और विदेशी सरकार के कानून, कर प्रणाली

पुलिस तथा अन्य व्यवस्थाओं द्वारा उसे बांधा नहीं जा सकता। ऐसी सभाओं का प्रारम्भ पहले छोटी से छोटी इकाइयों अर्थात गावों से होना चाहिए, किन्तु इस कारंवाई का विकास शीघ्र ही एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाले स्वाधीनता तथा भ्रातृत्व के जलूसों के रूप में हो जाना चाहिए। बाद में जा कर इस सब को १० अथवा २० गावों की बड़ी सभाओं के रूप में परिणत हो जाना चाहिए, जिन में स्वाधीनता तथा एकता की घोषणा को दोहराया जाय। इतना सब होने पर भी इस प्रचार तथा हलचल को क्रियात्मक रूप तथा निश्चित निर्देश दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि इस के बिना आन्दोलन ठंडा पड़ जायगा। यह क्रियात्मक निर्देश लगान बंदी अथवा कर बंदी आन्दोलन का रूप नहीं धारण कर सकता, क्योंकि लगान वसूल करने का महीना अभी दूर है। इसके अतिरिक्त, इस आन्दोलन को खाद्यपदार्थों की कमी, मुद्रा-प्रसार, मूल्य-नियंत्रण तथा इसी प्रकार के विषयों सम्बन्धी प्रचार तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। यह सब जनता में जागृति लाने के लिए स्वाधीनता की घोषणा के ही साथ होना चाहिए। जनता में जागृति हो चुकने के बाद तथा होने की अवस्था में उसकी शक्ति के उपयोग के लिए कोई न कोई निश्चित कार्य होना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में यह कार्य बृटिश शासन के केन्द्रों तथा प्रतीकों, थानों तथा तहसीलों पर अहिंसात्मक धावों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। इन को बेकार कर देना चाहिए। पहले पुलिस तथा अन्य अफसरों को जनता की सत्ता स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और जब वे ऐसा करना स्वीकार न करें तो उन्हें उन के पदों से हटा देना चाहिए और निरस्त्र कर देना चाहिए। ऐसा करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए —(१) ये धावे दो या तीन सब से अच्छे तथा संगठित तहसीलों अथवा किसी एक जिले में होने चाहिएं और धावे के लिए क्षेत्र चुनते समय इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि उन में किसी प्रकार का कलह न हो। (२) ये धावे जिले में ही नहीं, वरन प्रान्त भर में अथवा जिन जिलों में कांग्रेस का संदेश सब से अच्छी तरह पहुंच चुका है उन में से अधिकांश में एक साथ होने चाहिएं। ये धावे उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जायेंगे जब अपने आप शासन तथा सगठित सहस्रों व्यक्ति जिलों के सदर मुकामों पर धावे करने लगेंगे। तब सरकार की शासन व्यवस्था केवल पंगु ही नहीं बल्कि चकनाचूर भी हो जायगी। इस अवसर पर अथवा ऐसा होने के समय जनता की एक प्रतिद्वन्द्वी शासन व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। स्वाधीन भारतीय राष्ट्रमंडल का इसी से सूत्रपात होगा। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जहां तक हो सके वर्तमान शासन व्यवस्था को पंगु बनाने का कार्य सभी प्रान्तों में एक साथ होना चाहिए। शासन को पंगु बनाने की क्रिया अब से चार महीने [illegible] इस से कुछ पहले या कुछ बाद में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जानी चाहिए। निस्सन्देह इस [illegible] कोई पक्का नियम नहीं बनाया जा सकता।

यह कहना अनावश्यक है कि स्वाधीनता की घोषणा तथा वर्तमान शासन व्यवस्था को पंगु बनाने के प्रयत्नों के बीच के समय में जनता को सरकार के ऐसे सभी राजनीतिक तथा आम कानूनों की अवज्ञा का कार्यक्रम अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए जिनसे हमारा विरोध है। उदाहरण के लिए इस बीच में उन्हें स्वेच्छापूर्वक नमक बनाने, भूमि जब्ती करने तथा इसी प्रकार के अन्य आदेशों की अवज्ञा करने तथा अदालतों में उपस्थित होने से इन्कार करने इत्यादि के उपक्रम का अनुसरण करना चाहिए।

इस के अतिरिक्त, (१) कार्य को सुसंगठित करने के लिए दलों के निर्माण, और (२) [illegible] बनावट शर्तों को व्यवस्थित करने की समस्याएं आती हैं। इन पर बाद में विचार किया जायगा

हिंसा के सभी प्रयत्नों को जोरों से रोकना चाहिए। इस समस्या पर सरकारी कर्मचारियों के प्रति हमारे सम्बन्धों की व्याख्या करते हुए विस्तार से प्रकाश डाला जायगा।

इसलिए क्रमानुसार आदेश इस प्रकार हैं:—

(१) देश के सात लाख गावों में से प्रत्येक में स्वाधीनता की घोषणा की सभायें संगठित करो।

(२) एक गाव से दूसरे गाव तक स्वाधीनता तथा भ्रातृत्व की भावना जगाने के लिए यात्राओं का संगठन करो।

(३) सरकारी सत्ता तथा कानूनों, विशेषकर भारतरक्षा कानून की अवज्ञा करो तथा जनता की सरकार स्थापित करने, नमक बनाने तथा भरती और युद्ध-चंदे को रोकने के निश्चित कार्यक्रम में लग जाओ।

(४) अहिंसा द्वारा थाने और तहसील तथा बाद में जिले के सदरमुकामों को बेकार कर दो।

(५) इस बात की व्यवस्था करो कि यह कार्यक्रम चार सप्ताह अथवा इस के लगभग समाप्त हो जाय। इस विषय में सतर्क और सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम जनता की विचारधारा से पीछे न रह जायं।

शहरी भारत—बम्बई, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों से गांधी जी की गिरफ्तारी के दिन की तथा बाद की घटनाओं के जो समाचार प्राप्त हुए हैं उन से प्रकट है कि जनता में उत्तेजना बहुत अधिक है। शिवाजी पार्क में, जहा गांधी जी भाषण करने वाले थे, विशाल जनसमूह आंसू लाने वाली गैस का प्रयोग किये जाने के एक दर्जन से अधिक प्रयत्नों के बावजूद भी स्थिरतापूर्वक खड़ा रहा। सैकड़ों लाठीचार्ज हो चुके हैं और बहुधा गोलियां भी चली हैं। जान पड़ता है कि जनता यह सब अच्छी तरह से सहन कर रही है। किन्तु निम्न दो बातों की सावधानी रखना आवश्यक है:—(१) प्रतिरोध की भावना को बनाये रखना, और (२) उसे और भी प्रबल बनाना ताकि गोली चलने पर भी कुछ दृढ़ संकल्प स्त्री-पुरुष किसी भी अवस्था में भागें नहीं।

आदेश निम्न प्रकार हैं:—

(१) जनता के अपने आप भड़क उठने पर उसकी शक्ति को उचित मार्गों में ले जाना चाहिए और उसे संगठित रूप देना चाहिए। गांधी जी तथा अन्य नेताओं के हमारे बीच में आने के समय तक देश भर में अधिकृत रूप से आम हड़ताल की घोषणा की जाती है। इस आम हड़ताल को भारत के पहले बीस नगरों में पूर्ण रूप देना चाहिए।

(क) हमारे बीच गांधी जी के आने तथा स्वाधीनता की प्राप्ति होने तक कालेज और विश्वविद्यालय अनिश्चित काल तक बंद रहने चाहिएं। हड़ताल करने वाले विद्यार्थी (१) नगरों में प्रदर्शनों का नेतृत्व करेंगे अथवा (२) गावों में जाकर हमारा चार सप्ताह वाला कार्यक्रम पूरा करेंगे।

(ख) थोक व्यापार, बैंक इत्यादि के दफ्तर बंद रहने चाहिएं और उन के क्लर्क इत्यादि कर्मचारियों को बाहर निकल आना चाहिए। खाद्य सामग्री तथा इसी प्रकार की कुछ अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त

खुदरा बिक्री के सब दूकानदारों को अपनी दूकानें बंद रखने के लिए राजी कर लेना चाहिए।

(ग) कपडे तथा इंजीनियरी का सामान तैयार करने वाले व्यवसायों में अनिश्चित काल के लिए आम हड़ताल के बीच पूर्ण काम बंदी होनी चाहिए और मजदूरों को बाहर निकल आना चाहिए।

(२) जब कि एक ओर आम हड़ताल की प्रगति हो रही हो तो दूसरी ओर रेलों तथा जहाजों पर सामान लादने-उतारने जैसे यातायात व्यवसायों, डाक, टेलीफोन और रेडियो जैसे सरकारी तत्वावधान में चलने वाले कामों तथा बिजली उत्पन्न और वितरित करने के कारखानों के मजदूरों तथा क्लर्कों तक पहुंचने के प्रयत्न करने चाहिएं। जब आम हड़ताल अपनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाय—अर्थात अब से तीन या चार सप्ताह बाद—तो इस दूसरी श्रेणी के मजदूरों और क्लर्कों को हड़ताल करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

(३) इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि गांव और शहरों के दोनों ही आन्दोलन अब से चार सप्ताह बाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जायें।

(४) सभाओं तथा जलूसों द्वारा तथा विभिन्न परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप विविध नीतियों तथा आदेशों को प्रकट करते हुए नित्य प्रकाशित होने वाले पर्चों द्वारा जनता के प्रत्येक वर्ग, तथा चीजें तैयार करने वाले व्यवसायों, यातायात व्यवसायों, और सरकारी संस्थाओं के मजदूरों तथा सब तरह के क्लर्कों, विद्यार्थियों तथा खुदरा दूकानदारों से उपयुक्त अपीलें करते रहना चाहिए। गम्भीर दमन के रहते हुए भी समस्त शहरों में नित्य सैकड़ों तथा हजारों छोटी छोटी सभायें और जुलूस संगठित करने चाहिएं और जहां सम्भव हो वहां स्वाधीनता की घोषणा की पुष्टि करते हुए बड़े बड़े प्रदर्शन भी होने चाहिएं।

ऐसे चुने हुए दलों की समस्या सबसे बड़ी है, जिनमें दृढ़ संकल्प वाले स्त्री-पुरुष हों, जो हमारे विद्रोह का अपनी विविध अवस्थाओं में नेतृत्व करते हुए उसे सफलता तक पहुंचावें। यह एक विशाल समस्या है और सम्भव है अपने निश्चित कार्य की महानता तथा अपने संगठन की अपर्याप्तता को देखकर हम हिचकिचाने लगें। परन्तु आज भी अभूतपूर्व रूप से सत्य है कि क्रान्ति अपने नेताओं को स्वयं ही जन्म देती है। वास्तव में चुने हुए व्यक्तियों का समूह हमारे पास पहले ही से मौजूद है, आवश्यकता केवल उनका उपयोग करने की है। हमारे पास ट्रेनिंग प्राप्त हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो यदि स्वयं गिरफ्तार होने की चेष्टा न करके काम करना चाहें, तो उन्हें एक दिन अथवा एक पल में भी पकड़ कर जेल में बन्द नहीं किया जा सकता। इनके अतिरिक्त, हड़ताल करने वाले हजारों मजदूर, क्लर्क तथा विशेषकर विद्यार्थी भी होंगे। इनमें से प्रत्येक से उसकी योग्यता तथा गुणों के अनुरूप गांव तथा शहरों में काम लिया जा सकता है।

हमारी क्रान्ति के टेक्निकल कार्य की समस्या भी सामने आती है। इस सम्बन्ध में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं—(१) इस कार्य को स्वतन्त्र न समझना चाहिए। हर हालत में इसे सामूहिक कार्यक्रम के अधीन समझना चाहिये। (२) हमारे किसी भी कार्य द्वारा भारतीयों अथवा अंग्रेजों के प्राणों को धक्का न पहुंचना चाहिये और इस सम्बन्ध में निरन्तर चेतावनियां निकालते रहना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि हम अपनी जनता से गोलियों का सामना करते रहने पर भी बदले में [illegible]
[illegible]

किन्तु ऐसा हो चुकने के बाद यह स्थिति आ जायगी जब हमारी सेना तथा पुलिस गोली चलाने से इन्कार कर देगी अथवा जब पर्याप्त अहिंसात्मक शक्ति संग्रह हो चुकने के बाद जनता सरकार के सैनिकों को मारे बिना ही निरस्त्र करने में समर्थ हो जायगी। वास्तव में अहिंसा का संगठन मुख्यतः एक साहस के साथ स्वेच्छापूर्वक आगे बढ़ने वाले शहीदों की समस्या है।

इस सम्बन्ध में सेना तथा पुलिस से पर्चों द्वारा, स्वयं मिलकर तथा कठिन परिस्थिति में वीरतापूर्ण कार्य करके अपील करनी चाहिए। सर्व प्रथम सरकारी सेना के भारतीयों से अनुरोध करना चाहिए कि वे अपने आप को स्वतन्त्र व्यक्ति समझें और विदेशी सत्ता को अस्वीकार करते हुए भारत की क्रान्ति के पक्ष में आ जावें। यदि वे ऐसा न कर सकें तो दूसरी बात उनसे यह कहनी चाहिए कि कम से कम अपने देश के उन निहत्थे लोगों पर गोली न चलावें, जो अपनी और उनकी दोनों की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं। ब्रिटिश तथा अमरीकी सैनिकों से भी गोली न चलाने की अपील की जा सकती है किन्तु ऐसा करते समय राष्ट्रीय स्वाधीनता के स्थान पर समस्त मानव समाज की स्वतन्त्रता तथा संसार की शान्ति पर जोर देना चाहिए।

करो या मरो

हम मरेंगे, महान नेता, किन्तु
हम करेंगे भी,
हम गांधी जी को अनशन से पहले ही छुड़ा लेंगे।

भारत का स्वाधीन राज्य दीर्घजीवी हो।

इसकी प्रतियां छाप कर बांट दो।

२—अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी : विद्यार्थियों से

बम्बई की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने अपनी विदाई का सन्देश देते हुए विद्यार्थियों से संघर्ष में अपना उचित हिस्सा बटाने की अपील की थी। वह अपील बम्बई के विद्यार्थियों ने सुनी थी और निस्सन्देह किसी न किसी प्रकार यह देश के अन्य भागों के विद्यार्थियों तक भी पहुंच गयी है। संघर्ष आरम्भ हो गया है। प्रथम दिन ही देश ने उस में शानदार कारनामा दिखलाया है सभी श्रेणी की जनता उस में कूद पड़ी है, किन्तु विद्यार्थियों ने उस में जैसा गौरवपूर्ण भाग लिया है वैसा किसी ने भी नहीं लिया। अधिकांश कांग्रेसी नेताओं के सर्वत्र पकड़े जाने पर जो स्थान रिक्त हुए उन्हें विद्यार्थियों ने ही भरा और आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण किया। विद्यार्थीगण जेल के सीखचों में बंद हमारे नेताओं के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। आन्दोलन का नेतृत्व करने वालों में हमें बुद्धि, चतुराई, विवेक, सचाई तथा कष्ट सहन करने की सामर्थ्य आदि गुणों की आवश्यकता है और हमारे विद्यार्थियों में ये सब वर्तमान हैं। आग को जलाते रखना, संघर्ष को जारी रखना और बढ़ाना तथा देश के नगरों और गांवों में कांग्रेस का संदेश देशवासियों तक पहुंचाना विद्यार्थियों का ही काम है। विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इस की केवल रूपरेखा नीचे दी जाती है :—

(१) १६ वर्ष से अधिक अवस्था वाले विद्यार्थियों को अपने स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय छोड़ देने चाहिएं। विद्याध्ययन तथा महान क्रान्ति दोनों साथ साथ ये एक साथ नहीं कर सकते। कालेजों और विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों के स्वेच्छापूर्वक हट आने पर वे बन्द हो जावेंगे। इन्हें यह भी स्मरण रखना

चाहिए कि हम जिस संघर्ष के बीच में पड़े हैं उस की यातना दीर्घकाल तक जारी नहीं रहेगी। इसे हम अल्पकालीन तथा तीव्र प्रगति की क्रान्ति बनाने का पक्का निश्चय कर चुके हैं। इसीलिए इसमें हमे "करो या मरो" की अजेय इच्छा से प्रेरित होकर जान पर खेल जाने की भावना से काम लेना है। यदि विद्यार्थियों ने इस भावना को हृदयंगम कर लिया है तो वे इसे समस्त राष्ट्र में फैला देंगे। विद्यार्थी इस क्रान्तिकारी भावना को तब तक प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक वे अपनी किताबों को जलाकर तथा कालेजों को छोड़ संग्राम में पूरी तरह नहीं कूद पड़ेंगे।

(२) हमारा संघर्ष दो मोर्चों पर होगा: ग्राम्य-मोर्चा और शहरी मोर्चा। विद्यार्थियों को इन दोनों ही मोर्चों पर निर्णयात्मक भाग लेना पड़ेगा। संघर्ष का लक्ष्य शासन व्यवस्था की सम्पूर्ण शाखाओं को पूर्णरूप से पंगु बना देना है। कानून तथा व्यवस्था की जिन शक्तियों द्वारा जनता को झुकाने के लिए उस पर लाठीचार्ज तथा आंसू लाने वाली गैस का प्रयोग किया जा रहा है उन्हें अहिंसात्मक उपायों द्वारा पंगु करना है। साम्राज्यवादी सरकार द्वारा जनता के दमन के लिए निर्मित कानूनों को अमल में लाने के लिए जो अदालतें स्थापित हैं, उन्हें भी बेकार करना है। लक्ष्य पर पहुंचने के समय तक सामान तैयार करने वाले कारखानों को भी हमें बंद कर देना है। यातायात के जिन साधनों को सार्वजनिक सेवा के साधन माना जाता है, और जिनका उपयोग हमारा गला घोंटने के लिए किया जा रहा है उन्हें बिना प्राणहानि के बेकार कर देना चाहिए। यदि हमें अपने संघर्ष में निर्धारित समय के भीतर सफलता प्राप्त करनी है तो ये उनमें से कुछ बातें हैं, जो हमे करनी हैं। संघर्ष के नेताओं के रूप में विद्यार्थियों को जनता की शक्ति और उत्साह को परिणामदायक मार्गों की ओर ले जाना पड़ेगा। उन्हें सभी सम्भव अहिंसात्मक उपायों द्वारा क्रान्ति की भावना को जाग्रत रखना होगा।

हमारा देश विशाल है। कांग्रेस के सन्देश को प्रत्येक गांव और झोंपड़ी में पहुंचना है। ग्रामीण भारत में हमें खुले विद्रोह की भावना को जगाना है। इस कार्य को विद्यार्थी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? विद्यार्थियों में से जो इस कार्य के लिए उपयुक्त हैं उन्हें अकेले अथवा दलों के रूप में ग्राम्य प्रदेशों में जा कर कांग्रेस का सन्देश सुनाना चाहिए। जनता को केवल संदेश देकर उसका तात्पर्य समझाना है, बाकी काम लोग स्वयं कर लेंगे। उनसे कहना होगा कि अब बृटिश राज का अंत हो गया है और अब उन्हें जनता का राज स्थापित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। अब लोगों को मिल कर प्रजा-राज स्थापित करना चाहिये। लोगों को मिल कर गांवों का प्रबन्ध अपने हाथों में ले लेना चाहिए। इस में उच्च अथवा निम्न अफसरों के आदेशों की आज्ञा की अवज्ञा अनिवार्य है। विदेशी शासन से पूर्ण असहयोग होना चाहिए। यदि क्रान्ति को हम कम से कम समय में सफल होना है तो जनता के बीच पूर्ण एकता और सद्भावना रहना आवश्यक है। वर्तमान शासन-व्यवस्था के लोप होने के साथ साथ प्रत्येक गांव और तहसील में हमारे अपने राज की स्थापना हो जानी चाहिए। इस राज के पीछे राष्ट्र का सम्मिलित संकल्प तथा शक्ति होगी।

(३) हमें स्मरण रखना चाहिए कि अहिंसा हमारे संघर्ष का आधार है। उन कार्यों को रोकना चाहिए जिनसे हिंसा होने की आशंका है। सामूहिक रूप से अनुशासित अहिंसा का प्रयोग हम में [illegible] बढ़ता हुआ बल तथा शक्ति उत्पन्न कर देगा। विशुद्ध व्यावहारिक दृष्टि से, [illegible] उत्तेजना [illegible] हो, अहिंसा का पालन करना चाहिए। सम्पूर्ण स्थितियों में प्राणहानि के [illegible] में बचने का [illegible] रखना चाहिए। हिंसा से अपना ही विनाश होता है। [illegible] को सफल बनाने के लिए [illegible] [illegible] है। [illegible] सारी [illegible] कि इस बात में कि हमारे लोग अहिंसात्मक रहें

यद्यपि उनके चारों ओर हिंसा की लपटें उठ रही हैं। अहिंसात्मक कार्य, वीरता और प्रतिहिंसा की भावना के बिना मृत्यु का सामना करने की तत्परता, हमारे विरोधियों को निरस्त्र कर देते हैं और हमारे आदर्श की प्राप्ति के लिए जनता की सहानुभूति प्राप्त करते हैं। यद्यपि संघर्ष को प्रारम्भ हुए मुश्किल से दो ही दिन हुए हैं, फिर भी हमें समाचार मिले हैं कि बहुत से सैनिकों और सैन्य अफसरों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। प्रतिहिंसा की भावना के बिना ही हम जो कष्ट सहन करते हैं यह अधिकांश में उसी का परिणाम है। इस बात से हमारा उत्साह बढ़ता है कि अनुचित और अन्धाधुन्ध हिंसा के सम्मुख भी, हमारे लोग प्रधानतः अहिंसात्मक ही रहे हैं। उन्होंने लाठी प्रहार और गोलियों को वैसे ही सहन किया है जैसी कि अहिंसक सैनिकों से आशा की जाती है।

(४) प्रचार के समस्त वर्तमान साधनों को सरकार ने दबा दिया है। यह विद्यार्थियों का कार्य है कि वे नये साधन ढूंढ़ निकालें। आन्दोलन-सम्बन्धी समस्त आवश्यक समाचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए उनके पास पर्याप्त कौशल और सूझ है। उनको एक समाचार संघ का संगठन करना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा अन्य अधिकृत क्षेत्रों से उन्हें जो आदेश मिलते हैं वे लोगों तक पहुंचायें जायें। प्रान्तीय भाषा या भाषाओं और अंग्रेजी में भी वे अपनी ओर से बुलेटिन तथा पर्चे छाप कर हजारों की संख्या में लोगों में बांट सकते हैं। प्रकाशन कार्य के लिए विद्यार्थियों का एक दल विशेष रूप से नियुक्त करना चाहिए।

(५) बुलेटिन और पर्चे तैयार करने का काम विद्यार्थियों के एक दल के सुपुर्द कर देना चाहिए और एक दूसरे बड़े दल को यह कार्य सौंपना चाहिए कि वह इनको जनता के समस्त वर्गों में बांटे।

(६) हमें जनता के समस्त वर्गों—श्रमिक, मिल मालिक, विविध नौकरियों में काम करने वाले क्लर्क, व्यवसायी, छोटे मोटे व्यापारी, पुलिस, सेना आदि—के पास पहुंचना है। विद्यार्थियों को इनके साथ घनिष्ठ और स्थायी सम्पर्क कायम रखना है। पुलिस और सेना के साथ उनका सम्पर्क विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। पुलिस और सेना में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत है, और वह बढ़ रही है, जिनका रुख कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिमय तथा मैत्रीपूर्ण है। जहां कहीं भी वे मिलें, हमें उनसे अनुरोध करना है कि इस महान् संघर्ष में वे अपने अनुरूप भाग लें। सैनिक का कर्तव्य यह है कि वह लोगों की रक्षा करे और लड़े और यदि आवश्यकता हो तो एक अच्छे आदर्श के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करदे। भारतीय सैनिक का यह कर्तव्य नहीं हो सकता कि वह अपने उन देशवासियों का दमन करे जो स्वतन्त्रता के अपने जन्म-सिद्ध अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दिन पर दिन जो घटनाएं होरही हैं उनका और हमारे सच्चे अनुरोध का हमारे उन देशवासियों के मस्तिष्क पर हितकारी प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, जो सेना और पुलिस में काम करते हैं। अमरीकी तथा अन्य सैनिकों के पास भी हमें जाना चाहिए। उनके सम्बन्ध में और अधिक अलग से बताया जायगा।

(७) जलूस निकालना और सभाएं करना हमारे संघर्ष का दैनिक कार्य होना चाहिए। बड़े नगरों के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दिन सभाएं की जायं। भाषणों के अतिरिक्त, श्रोताओं को पर्याप्त संख्या में मुद्रित साहित्य बांटना चाहिए। सभाओं आदि के संगठन करने में पहल विद्यार्थियों को करनी चाहिए।

(८) कागज या धातु के बिल्ले, जिन पर उपयुक्त आदर्श-वाक्य, जैसे कि "करो या मरो" अंकित हों, हजारों की संख्या में लोगों में बांटने चाहिए।

(९) यह हमारा दृढ़ विश्वास और आशा है कि वर्तमान संघर्ष हम में साम्प्रदायिक सद्भावना का विकास करेगा। तीन दिन के संघर्ष में हमें इस बात के प्रचुर प्रमाण मिल गये हैं कि हिन्दू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख तथा अन्य जाति के लोगों में भ्रातृभाव बढ़ता जा रहा है। इस भ्रातृभाव के प्रमाण इतने अधिक कहीं और नहीं मिल रहे हैं जितने कि विद्यार्थियों में। हड़तालों, जलूसों, सभाओं और अन्य कार्यों में हम यह देखते हैं। स्वतन्त्रता के उद्देश्य में समान श्रद्धा और समान संकट से साम्प्रदायिक भेदभाव दूर होगये हैं। विद्यार्थी को चाहिए कि वह साम्प्रदायिक सद्भावना का प्रतिनिधि बनने का गौरव-पूर्ण अधिकार प्राप्त करे। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, तथा दूसरे विद्यार्थियों को एक साथ सोच विचार कर उस एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय और साधन ढूंढ निकालने चाहिएं जो समान उद्देश्य के लिए समान संकट सहन करने से उत्पन्न हो रही है। एकता का सन्देश पर्चों, नारों और उपयुक्त घोषणाओं द्वारा सर्वसाधारण के पास पहुंचना चाहिए।

(१०) हमारा संघर्ष प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। हमारे कार्य में कोई शिथिलता या ढील नहीं हो सकती। कांग्रेस ने जो निश्चय किया है अब उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। यदि हम जीवित रहे तो एक स्वतन्त्र देश में स्वतंत्र व्यक्तियों के समान रहेंगे अन्यथा इस प्रयत्न में मर मिटेंगे। गांधी जी को उपवास करने और महान बलिदान करने की आवश्यकता नहीं, यदि हम उनके साथ रहें और स्वतंत्र होने के संकल्प पर सामूहिक रूप से जोर दें। एक चमत्कार हो जायगा। जो सुदृढ़ भवन दिखायी देता है वह आश्चर्यजनक रूप से थोड़े काल में ही कागजों के ढेर के समान ढह जायगा। हमारे विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इस चमत्कार के प्रतिनिधि बनें।

करो या मरो
हम मरेंगे, महान नेता, किन्तु
हम करेंगे भी
हम गांधी जी को अनशन से पहले छुड़ा लेंगे।
भारत का स्वाधीन राज्य दीर्घजीवी हो।

परिशिष्ट सं० १२

"हमारी क्रान्ति" के प्रथम पांच महीनों का पर्यवेक्षण

६ जनवरी १९४३ के बम्बई कांग्रेस बुलेटिन संख्या १३२ के उद्धरण।

सिंहावलोकन : अब हमारी क्रान्ति ने अपने व्यापक विस्तार के पांच माह पूरे कर लिये हैं और अब वह छठे माह में पहुंच गई है। हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व कठिन संघर्ष, परिश्रम, आहुतियों [illegible] के पांच माह, सामूहिक उदार वैयक्तिक वीरता और निर्भीकता के कामों के, [illegible] की अमानुषिक क्रूरता और अत्याचार के जघन्य कार्यों के और हमारे जन [illegible] द्वारा वीरता, दृढ़ता और निष्ठा से सहन किये हुए कष्टों के, पांच माह।

आइये आज १ तारीख के स्मरणीय दिवस की स्मृति में थोड़ी देर के लिए अपनी स्वतन्त्रता की प्रगति के इन महीनों के ऊपर विचार करें और अपनी सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण करें।

प्रारम्भ में ही हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी क्रान्ति उस आदर्श और गति तक नहीं पहुँच पाई, जिसकी हम सब को आशा थी। प्रगति अप्रत्याशित रूप से मन्द रही है। हमारे सहस्रों प्रिय और योग्य साथियों ने आत्म-बलिदान किया है और अनेक सहस्रों ने जेल की यातनाएँ और अकथ कष्ट झेले हैं और झेल रहे हैं। विशाल व्यापक सामूहिक-विद्रोह, सामूहिक प्रदर्शन और सामूहिक आक्रमण जो हमने अपने संघर्ष के आदि में देखे अब शिथिल और शान्त पड़ गए हैं। हमारे संग्राम की प्रारम्भिक अवस्थाओं में हमारी जनता की कार्यवाहियों और उनके नेताओं पर अवज्ञा के जो भाव प्रकट होते थे, वे आज कठिन प्रगति के बाद तीव्र कटुता में परिवर्तित हो गए हैं। हम मानते हैं कि अनधिकारी शासन के बहुत से केन्द्रों पर आक्रमण किया गया है और उनमें से बहुत से नष्ट भी कर दिये गए हैं और यातायात के साधनों पर न्यूनाधिक स्थिर रूप से आक्रमण किए गए हैं, परन्तु अभी तक हम शासन व्यवस्था को पूर्णतया पंगु नहीं बना सके। कारखाने अभी तक चल रहे हैं और उनमें युद्ध सामग्री तैयार हो रही है और दूसरे कारखानों में, जहां बौद्धिक गुलाम तैयार किए जाते हैं, अभी तक काम हो रहा है। विद्यार्थी पुन: निष्क्रिय हो गये हैं और लकीर के फकीर बन गये हैं।

यह हमारी कमी का पहलू है। इन्हें हम अपनी असफलताएं कह सकते हैं। लेकिन हमारी सफलताओं का पहलू क्या है? हमने कौन सी सफलताएं प्राप्त की हैं?

अपने संघर्ष की प्रेरक शक्तियों को देखते हुए हम किसी त्वरित परिणाम की आशा नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई निस्सन्देह दीर्घकालीन होगी परन्तु यह स्थिरतापूर्वक अवश्य चलेगी। परन्तु इन पांच महीनों की हमारी सफलताएं हमें अंतिम सफल परिणाम की निश्चित आशा दिलाती हैं। यद्यपि सामूहिक प्रदर्शन रुक गए हैं, हमें वैयक्तिक वीरता और साधन सम्पन्नता में अपरिमित सफलता प्राप्त हुई है। आन्दोलन ने गुप्त रूप धारण कर लिया है, जो धीरे धीरे प्रबल तथा शक्तिशाली केन्द्रों से प्रस्फुटित हो रहा है। आन्दोलन की प्रारम्भिक तीव्रता भले ही स्थिर न रह सकी हो, तथापि अवज्ञा और दृढ़ता के भाव बहुत व्यापक रूप से फैल गये हैं। अस्तव्यस्त और अव्यवस्थित सामूहिक प्रदर्शनों के स्थान पर अब हमने वीर, साहसी और साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के शक्तिशाली दल तैयार कर लिए हैं, जो दिन-रात योजनाएं बनाते रहते हैं और शत्रु पर बहुत से तथा विभिन्न प्रकार के धावे बोलते रहते हैं।

इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक असन्तोष जिस पर हमारी जैसी क्रान्तियां आश्रित रहती हैं और उत्तेजित की जा रही हैं, स्वतः अपना उग्ररूप धारण कर रहा है। अकथ दरिद्रता, भूख और खाद्य-पदार्थों का नित्य प्रति बढ़ता हुआ अभाव—ये सब द्रुतगति से एक ऐसी सीमा तक पहुँच रहे हैं, जहां पर विद्रोह के समस्त तत्व एक साथ मिलकर अनधिकारी-सत्ता पर जोरदार प्रहार करेंगे। अव्यवस्था और क्रान्तिकारी उथल-पुथल द्वारा हमारी क्रान्ति सफल हो जायगी और इस प्रकार हमारे रहने योग्य एक नये और श्रेष्ठतर संसार का निर्माण होगा।

परिशिष्ट सं० १३

"गांधी बाबा के छः आदेश"

[जेल जाने के समय राष्ट्र के प्रति बापू (महात्मा गांधी) का सन्देश]

१. अपने आप को स्वतंत्र समझो।

२. जब तक हम अहिंसा की सीमा के अन्दर रहते हैं हम कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं।

३. पूर्ण हड़ताल तथा अन्य अहिंसात्मक साधनों से सरकार की शासन-व्यवस्था को पंगु बना दो।

४. सत्याग्रही को मरने के लिए संघर्ष में सम्मिलित होना चाहिए, जीवित रहने की आशा से नहीं।

५. मृत्यु का खतरा उठाकर ही राष्ट्र को जीवित रखो।

६. करो या मरो।

(इस संदेश को आपको कार्यरूप में किस प्रकार परिणत करना चाहिए)

१. जनता के अतिरिक्त और किसी सत्ता को मत मानो।

२. जब तक पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त न हो जाय, समस्त कारखानों, मिलों, कालेजों, स्कूलों और बाजारों को बन्द रखो।

३. सरकार से पूर्ण असहयोग रखो।

४. सरकार की शासन-व्यवस्था को नष्ट कर दो।

५. सरकारी दफ्तरों पर पिकेटिंग करो और सरकार की शासन-व्यवस्था को प्रत्येक साधन से अव्यवस्थित कर दो।

६. ट्राम, रेल और मोटर सर्विसों को नष्ट कर दो।

७. टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काट दो।

८. सरकार की आज्ञा का पालन न करने के लिए पुलिस के सिपाहियों को प्रेरित करो।

९. यदि ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ कर न जाय तो लोगों को चाहिए कि वे कालेजों और स्कूलों के भवनों तथा सरकारी दफ्तरों पर अधिकार कर लें और उन्हें बन्द तथा स्थगित रखें।

१०. सरकार की समस्त निषेधात्मक आज्ञाओं का उल्लंघन करो।

११. सरकार के विरुद्ध इस खुले विद्रोह का समाचार प्रत्येक संभव साधन से प्रत्येक क्षेत्र में फैला दो (उदाहरण के लिए दीवालों पर लिख कर, पर्चों द्वारा, जमीन पर लिखकर मौखिक शब्दों से पर्चों के वितरण आदि से इन बातों का प्रचार करो)।

स्वतन्त्रता और अपने देश के लिए इसकी दस प्रतियां बना कर बांट दो।

"स्वतन्त्र भारत चिरंजीवी हो"

परिशिष्ट सं० १४

२३ अगस्त १९४२ के "हरिजन" से उद्धरण

डाक का थैला

अनुमत विषय—

प्रश्न—अहिंसा के अन्तर्गत सरकार की व्यवस्था को नष्ट करने के लिए किन-किन उपायों की अनुमति दी जा सकती है ?

उत्तर—मैं केवल अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता हूं । मेरे विचार में दफ्तरों, बैंकों, धान्यागारों आदि को लूटना और उनमें आग लगाना उचित नहीं है । अहिंसात्मक ढंग से, जान को खतरा पहुंचाये बिना यातायात की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने की अनुमति दी जा सकती है । हड़तालें संगठित करना सबसे अच्छा है । और यदि यह काम पूरा हो गया तो यही पर्याप्त और प्रभावपूर्ण होगा । यह सब विशुद्ध अहिंसात्मक होगा । इस प्रकार के संघर्ष में तार काटने, रेलवे लाइन उखाड़ने, और छोटे पुलों को नष्ट करने पर आपत्ति नहीं की जा सकती, लेकिन शर्त यह है कि जीवन रक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी से काम लिया जाय ।

यदि जापानी हम पर आक्रमण करें तो निस्सन्देह आत्म-रक्षा के अहिंसात्मक सिद्धान्त के आधार पर यह सब कुछ करना ही पडेगा । अहिंसक क्रान्तिकारियों को चाहिये कि वे ब्रिटिश सत्ता को उसी दृष्टि से जिस दृष्टि से कि वे (अर्थात् क्रान्तिकारी) धुरीराष्ट्रों को देखेंगे और उन्हीं उपायों को काम में लायें ।

परिशिष्ट सं० १५

कांग्रेस की विविध पुस्तिकाएं

इन्कलाब बुलेटिन संख्या १

मित्रो ! हम आपके सम्मुख कुछ निम्न आदेश प्रस्तुत करते हैं ।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

४) सम्पूर्ण गतिरोध को सम्भव बनाने के लिए सारे कारखाने, मिल, कालेज, बाजार आदि तब तक बन्द रहने चाहिएं जब तक स्वतन्त्रता प्राप्त न हो जाय। अकर्मण्यता में समय बिताने की बजाय विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने-अपने मुहल्ले में अपने दल बना लें और अपने आदमियों को दफ्तरों में काम पर जाने से रोकें ।

५) सरकारी आज्ञाओं की अवज्ञा करने तथा गुलामी की नौकरी को छोड़ने के लिए सरकारी अफसर और कर्मचारियों पर दबाव डालो ।

६) यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दो, ट्राम और बसों को चलने से रोक दो, टेलीग्राफ और टेलीफोन के खम्भों को उखाड़ दो, सड़कों को तोड़ डालो, रेलवे लाइनों को काट

टाओ, मोटरों और बसों के टायरों को फाड़ दो और शासनयंत्र को सब प्रकार के सम्भव उपायों से छिन्न-भिन्न कर दो।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

कांग्रेस बुलेटिन सं० ५

अंग्रेजों की शृंखलापूर्ण अराजकता

भारत की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के सच्चे योद्धा 'अराजकता' शब्द से नहीं झिझकेंगे, बल्कि उन्हें इसका आवाहन करना चाहिए। इसी से उस शृंखलापूर्ण अराजकता का अन्त होगा जो पिछले ५ दिनों से भारत के समस्त नगरों और कस्बों में अंग्रेजों ने अत्यधिक घृणित रूप में फैला रक्खी है। गत २५ मई को महात्मा जी ने जो कुछ कहा था उसे स्मरण रखिये —

"मुझे इसका पूर्ण विश्वास हो गया है कि आज हम शृंखलापूर्ण अराजकता की अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस शृंखलापूर्ण अनुशासन समन्वित अराजकता का अन्त होना चाहिए और यदि इसके परिणामस्वरूप भारत में पूर्ण अव्यवस्था फैल जाय तो मैं इसका खतरा उठा लूंगा और इस विशृंखला से लोग एक वास्तविक लोकप्रिय व्यवस्था को जन्म देंगे।"

गांधी जी ने जो काम अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करने के लिए स्वतंत्रता से प्रेम करने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को उनके आदेशों का पालन करना चाहिए।

भारत में बृटेन और अमेरिका का तीसरा मोर्चा

बृटेन और अमेरिका की सम्मिलित सेनाएं उग्ररूप से बल का प्रयोग कर रही हैं और इसका समस्त प्राप्त साधनों से, यहां तक कि आवश्यकतानुसार बलप्रयोग से भी सामना करना चाहिए।

समस्त भारत में सामूहिक हत्याकांड

लंदन में इंडिया आफिस ने कहा है कि हमारे आन्दोलन का जन-साधारण पर प्रभाव नहीं पड़ा है। चूंकि [illegible] ने अंग्रेजों की आक्रमणात्मक कार्रवाई के विरुद्ध प्रदर्शन का प्रथम अध्याय अब समाप्त होता है अतः शहर और गांव के लोगों तथा कारखानों और खेतों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक हो गया है, कि वे सामूहिक हड़तालों का संगठन करें, कर और मालगुजारी देना बन्द करदें, [illegible] के [illegible] में [illegible], [illegible], तहसील के प्रधान केन्द्रों, थानों और चौकियों पर अधिकार करलें, [illegible] के केन्द्रों पर धरना दें, सैनिकों और पुलिस के सिपाहियों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे अपने राष्ट्रीय भाइयों [illegible] के विरुद्ध लाठी, बन्दूक और मशीनों का प्रयोग न करें और यदि ऐसा करने का आदेश उन अधिकारियों द्वारा दिया जाय तो अनुचित और [illegible] के लिए वे अपने अधिकारियों के विरुद्ध इन्हीं शस्त्रों का प्रयोग करें। इस प्रकार यह [illegible] तब तक [illegible] से जारी रखना चाहिए, जिसमें भारतीय सेनाएं, जो अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए [illegible] हैं [illegible] सम्मिलित हो जायं

स्मरण रखिये कि ९ अगस्त के बाद से भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाने, और भारत में राष्ट्रीय नेताओं तथा देशभक्त कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के प्रतिवादस्वरूप एक भारतीय सेना ने मिस्र में और दूसरी ने उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने से इन्कार कर दिया है, और उनके अफसरों और सैनिकों को राजद्रोहियों के समान गोलियों से उड़ा दिया गया है। उत्तरी अफ्रीका में भारतीय सेना के एक दूसरे रेजीमेंट ने विद्रोह कर दिया है, और इसके परिणामस्वरूप इसके २० प्रतिशत सैनिकों को गोलियों से उड़ा दिया गया है और बाकी को कैद कर लिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मामले

सोलोमन द्वीप समूह की लड़ाई पर दृष्टिपात कीजिये। सब मोर्चों की तरह वहां भी जापान का पल्ला भारी रहा है। फिर भी असत्य समाचार दिया जाता है कि जापान को हराया जा रहा है। दूसरी ओर समस्त प्रशान्त महासागर पर जापान की श्रेष्ठ नौसेना का नियन्त्रण है। प्रत्येक स्थल पर आक्रमण प्रारम्भ करने के लिए अमेरिका बृटेन को उकसा रहा है ताकि वह स्वयं मर मिटे जैसे कि बृटेन ने और देशों को मर मिटने के लिए उकसाया था।

मार्शल तिमोशेंको ने काकेशस को बचाने की अब आशा छोड़ दी है। वह अपनी समस्त शक्ति और सेना स्टालिनग्राड के मोर्चे की ओर जमा कर रहा है जो अब अधिक संकटापन्न स्थिति में है। ईरान की सीमा की ओर बढ़ने में जर्मनों को अब कुछ ही सप्ताहों की देर रह गयी है।

बृटेन के प्रधान मंत्री श्री चर्चिल लन्दन से कहीं बाहर गये हैं—लेकिन कहां और क्यों?

इस्पहान-स्थित बृटेन के उप-राजदूत, श्री हैरिस ने जो विश्वासघातपूर्ण कार्य किया है उसका बदला फारस के देशभक्तों ने ले लिया है। वे इस नारे में विश्वास करते हैं—"एशिया एशिया-वासियों के लिए" "(एशिया फार एशियाटिक्स)" और इस लिए वे सांकेतिक शब्द "आफा" द्वारा परस्पर अभिवादन करते हैं। इसी प्रकार से भारतीय जो "भारत भारतवासियों के लिए" (इंडिया फार इंडियन्स) के अनुरूप सोचते और कार्य करते हैं, उन्हें अपना अभिवादन वाक्य "इंफी" बनाना है।

मित्रराष्ट्र यह दावा करते हैं कि वे स्वतन्त्रता और प्रजातंत्रवाद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन में से किसी ने पिछले कुछ दिनों में अंग्रेजों द्वारा किये गये अत्याचार और भारतीयों की पाशविक हत्याओं की निन्दा नहीं की, जब कि समस्त धुरीराष्ट्र तथा अन्य तटस्थ देश प्रतिदिन हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट करने के साथ साथ अंग्रेजों की गुंडाशाही का विरोध कर रहे हैं।

जापान ने बराबर और दृढ़तापूर्वक यह घोषणा की है कि भारत पर अधिकार करने में न तो उसका स्वार्थ है और न लालसा ही। वह तो केवल इतना ही चाहता है कि अंग्रेज निकाल दिये जायें और भारत शीघ्र ही स्वतन्त्र हो जाय।

भारतीय सैनिक—जिन में मैसूर, बड़ौदा, कपूरथला और निजाम राज्य के वे सैनिक भी शामिल हैं, जो अब जापान और जर्मन अधिकृत देशों में और यहां तक कि बर्मा, मलाया, सिंगापुर बटाविया आदि स्वाधीन देशों में स्वतंत्र हैं—अपने भारतीय भाइयों के प्रति अभिनन्दन प्रेषित करते हैं और साथ में यह आश्वासन भी दे रहे हैं कि भारत को मुक्त करने के लिए वे शीघ्र ही वापस आजायंगे। एक बार जब

टाँगों, मोटरों और बसों के टायरों को फाड़ दो और शासनयंत्र को सब प्रकार के सम्भव उपायों से छिन्न-भिन्न कर दो।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

कांग्रेस बुलेटिन सं० ५

अंग्रेजों की शृंखलापूर्ण अराजकता

भारत की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के सच्चे योद्धा 'अराजकता' शब्द से नहीं झिझकेंगे, बल्कि उन्हें इसका आवाहन करना चाहिए। इसी से उस शृंखलापूर्ण अराजकता का अन्त होगा जो पिछले ५ दिनों से भारत के समस्त नगरों और कस्बों में अंग्रेजों ने अत्यधिक घृणित रूप में फैला रक्खी है। गत २५ मई को महात्मा जी ने जो कुछ कहा था उसे स्मरण रखिये :—

"मुझे इसका पूर्ण विश्वास हो गया है कि आज हम शृंखलापूर्ण अराजकता की अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस शृंखलापूर्ण अनुशासन समन्वित अराजकता का अन्त होना चाहिए और यदि इसके परिणामस्वरूप भारत में पूर्ण अव्यवस्था फैल जाय तो मैं इसका खतरा उठा लूंगा और इस 'विशृंखलता' से लोग एक वास्तविक लोकप्रिय व्यवस्था को जन्म देंगे।"

गांधी जी ने जो काम अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करने के लिए स्वतंत्रता' से प्रेम करने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को उनके आदेशों का पालन करना चाहिए।

भारत में बृटेन और अमेरिका का तीसरा मोर्चा

बृटेन और अमेरिका की सम्मिलित सेनाएं उग्ररूप से बल का प्रयोग कर रही हैं और इसका समस्त प्राप्त साधनों से, यहां तक कि आवश्यकतानुसार बलप्रयोग से भी सामना करना चाहिए।

समस्त भारत में सामूहिक हत्याकांड

लन्दन में इंडिया आफिस ने कहा है कि हमारे आन्दोलन का जन-साधारण पर प्रभाव नहीं पड़ा है। चूंकि नगरों में अंग्रेजों की आक्रमणात्मक कार्रवाई के विरुद्ध प्रदर्शन का प्रथम अध्याय अब समाप्त होता है अब शहर और गांव के लोगों तथा कारखानों और खानों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक हो गया है, कि वे सामूहिक हड़तालों का संगठन करें, कर और मालगुजारी देना बन्द करदें, डाकखाने के सेविंग बैंकों से रुपया निकाल लें, डाकखानों, तारघर के प्रधान केन्द्रों, थानों और चौकियों पर अधिकार करलें, रंगरूट भर्ती करने के केन्द्रों पर धरना दें, सैनिकों और पुलिस के सिपाहियों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे अपने भाइयों, माताओं तथा बहनों के विरुद्ध लाठी, बन्दूक और मशीनों का प्रयोग न करें और यदि ऐसा करने का आदेश उन अधिकारियों द्वारा दिया जाय तो [illegible] और [illegible] के लिए वे उन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध उन्हीं शस्त्रों का प्रयोग करें। [illegible] प्रकार यह [illegible] [illegible] से [illegible] रखना चाहिए, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के लिए [illegible] है [illegible] [illegible]

स्मरण रखिये कि ९ अगस्त के बाद से भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाने, और भारत में राष्ट्रीय नेताओं तथा देशभक्त कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के प्रतिवादस्वरूप एक भारतीय सेना ने मिस्र में और दूसरी ने उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने से इन्कार कर दिया है, और उनके अफसरों और सैनिकों को राजद्रोहियों के समान गोलियों से उड़ा दिया गया है। उत्तरी अफ्रीका में भारतीय सेना के एक दूसरे रेजीमेंट ने विद्रोह कर दिया है, और इसके परिणामस्वरूप इसके २० प्रतिशत सैनिकों को गोलियों से उड़ा दिया गया है और बाकी को कैद कर लिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मामले

सोलोमन द्वीप समूह की लड़ाई पर दृष्टिपात कीजिये। सब मोर्चों की तरह वहां भी जापान का पल्ला भारी रहा है। फिर भी असत्य समाचार दिया जाता है कि जापान को हराया जा रहा है। दूसरी ओर समस्त प्रशान्त महासागर पर जापान की श्रेष्ठ नौसेना का नियन्त्रण है। प्रत्येक स्थल पर आक्रमण प्रारम्भ करने के लिए अमेरिका ब्रिटेन को उकसा रहा है ताकि वह स्वयं मर मिटे जैसे कि ब्रिटेन ने और देशों को मर मिटने के लिए उकसाया था।

मार्शल तिमोशेंको ने काकेशस को बचाने की अब आशा छोड़ दी है। वह अपनी समस्त शक्ति और सेना स्टालिनग्राड के मोर्चे की ओर जमा कर रहा है जो अब अधिक संकटापन्न स्थिति में है। ईरान की सीमा की ओर बढ़ने में जर्मनों को अब कुछ ही सप्ताहों की देर रह गयी है।

ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री श्री चर्चिल लन्दन से कहीं बाहर गये हैं—लेकिन कहां और क्यों?

इस्पहान-स्थित ब्रिटेन के उप-राजदूत, श्री हैरिस ने जो विश्वासघातपूर्ण कार्य किया है उसका बदला फारस के देशभक्तों ने ले लिया है। वे इस नारे में विश्वास करते हैं—"एशिया एशिया-वासियों के लिए" "(एशिया फार एशियाटिक्स)" और इस लिए वे सांकेतिक शब्द "थापा" द्वारा परस्पर अभिवादन करते हैं। इसी प्रकार वे भारतीय जो "भारत भारतवासियों के लिए" (इंडिया फार इंडियन्स) के अनुरूप सोचते और कार्य करते हैं, उन्हें अपना अभिवादन वाक्य "ईफी" बनाना है।

मित्रराष्ट्र यह दावा करते हैं कि वे स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्रवाद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन में से किसी ने पिछले कुछ दिनों में अंग्रेजों द्वारा किये गये अत्याचार और भारतीयों की पाशविक हत्याओं की निन्दा नहीं की, जब कि समस्त धुरीराष्ट्र तथा अन्य तटस्थ देश प्रतिदिन हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट करने के साथ साथ अंग्रेजों की गुण्डाशाही का विरोध कर रहे हैं।

जापान ने बराबर और दृढ़तापूर्वक यह घोषणा की है कि भारत पर अधिकार करने में न तो उनका स्वार्थ है और न लालसा ही। वह तो केवल इतना ही चाहता है कि अंग्रेज निकाल दिये जायें और भारत शीघ्र ही स्वतन्त्र हो जाय।

भारतीय सैनिक—जिन में मैसूर, बड़ौदा, कपूरथला और निजाम राज्य के वे सैनिक भी शामिल हैं, जो अब जापान और जर्मन अधिकृत देशों में और यहां तक कि बर्मा, मलाया, सिंगापुर बटाविया आदि स्वाधीन देशों में स्वतंत्र हैं—अपने भारतीय भाइयों के प्रति अभिनन्दन प्रेषित करते हैं और साथ में यह आश्वासन भी दे रहे हैं कि भारत को मुक्त करने के लिए वे शीघ्र ही वापस आजायेंगे। "एक बार -

संघर्ष आरम्भ हो गया है तो इसे भारत में गांधी जी के जन्म दिवस—आगामी २ अक्तूबर—तक [illegible] साथ समस्त भारत में प्रचण्डता से जारी रखना चाहिए।

बम्बई कांग्रेस बुलेटिन १७ अगस्त १९४२

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

सैनिकों के प्रति

हमें अपने देश के सैनिकों और पुलिस के सिपाहियों से अपील करनी चाहिए कि वे कानून दमनकारी शस्त्र के रूप में काम करने से इन्कार करदें। इसके लिए संगठन और निरन्तर प्रयत्न आवश्यकता है। जनता की भावना हमारे साथ है। हमें अपने श्रमजीवियों के पास जाकर यह बताना चाहि कि वे अपने श्रम से न्यायहीन सरकार की मांगों को पूरा करने से इन्कार करदें। उनकी सहायता के लि वास्तविक व्यवस्था करना एक दूसरा कठिन कार्य होगा। हड़ताल करने वालों के लिए भोजन का प्रबन्ध कि बिना काम बन्द करने के सकल्प मे सफलता नहीं मिल सकती। हमें श्रमजीवियों के लिए खाद्य-सामग्री औ सहायता का प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कि लम्बी अवधि तक जारी रहने वाली सार्वजनिक हड़ता सफल हो सके।

राष्ट्र का यह वैध कर्त्तव्य है कि वह अत्याचारों का अन्त करे और अपने संकल्प की संगठित शक्ति अपने विरोधियों का प्रतिरोध करे। हमें अपनी इच्छा शक्ति से काम लेना चाहिए और—

१. सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग देने से इन्कार कर देना चाहिए।
२. सैनिकों के लिए रसद तथा सैनिकों को इधर उधर भेजने में यातायात व्यवस्था का प्रयोग न करने देना चाहिए।
३. उनके अनुचित कानूनों को मानने से इन्कार कर देना चाहिए।
४. युद्ध उत्पादन के कारखानों में काम करने से इन्कार कर देना चाहिए।
५. अपने देशवासियों का दमन करने में सरकार की सहायता करने से इन्कार कर देना चाहिए।

स्मरण रखिये कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद पहले सप्ताह में समस्त भारत में हमारे ५०० व्यक्तियों को गोली से मार दिया गया है और इससे चार गुने व्यक्तियों को आहत किया जा चुका है। स्वतन्त्रता की लड़ाई के प्रथम सप्ताह में लगभग ३० हजार व्यक्तियों को जेलों में डाल दिया गया है, लेकिन उनका यह उत्साह अक्षुण्ण है। सरकार अभी से अपने आप को बधाई देने लगी है। लेकिन जो अपनी [illegible] पर हंसता है उसी की हंसी सब से अच्छी है। [illegible] और भीतर गूंजने वाली ध्वनि प्रकट हो जायगी। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को [illegible] करने में सहायता देनी चाहिए। सरकार की [illegible], शान्ति तथा कानूनी व्यवस्था के [illegible] दीजिये। [illegible] न जाइए।

हमारे वीर शहीदों की [illegible] है। यह [illegible]?

(बम्बई के [illegible] कांग्रेस कमेटी के [illegible] प्रकाशित किया गया था।

गांधी जी ने भारत के प्रत्येक स्त्री-पुरुष से अनुरोध किया है कि वह अपने आपको स्वतंत्र भारत का नागरिक घोषित करदे। इस घोषणा का यह अर्थ है कि हम अंग्रेजों के कानूनों तथा अंग्रेजी-सत्ता को मानने से इन्कार करते हैं। भारतीय क्रान्ति के प्रारम्भ होते ही अंग्रेजों की सत्ता को नष्ट करने का कार्य भी शुरू हो गया है।

× × × × × × × ×

क्रान्तियों में श्रमिक सर्वदा सबसे आगे रहे हैं और आप को भारतीय क्रान्ति का नेतृत्व करना चाहिए। उन कारखानों से बाहर निकल कर, जो अब अधिकांश में अंग्रेजी सरकार का—जिसको नष्ट करना आपने प्रारम्भ कर दिया है—काम कर रहे हैं, आपने अभी ही अपने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया है। उस समय तक इन कारखानों से बाहर रहो जब तक अंग्रेजी सत्ता विनष्ट होकर अतीत की वस्तु न हो जाय। अपने उन साथियों को बाहर निकाल लाओ जो अब भी कुछ कारखानों में काम करते हैं। आपको अधिक समय तक बाहर रहना पड़ेगा और जिन कारखानों में आप फिर काम करने जायेंगे वे अब की भांति शोषण स्थानक नहीं रहेंगे क्योंकि अंग्रेजी सत्ता के साथ ही उनका अन्त हो जायगा।

कांग्रेस की कार्यसमिति के १४ जुलाई वाले प्रस्ताव में, जो बाद में बम्बई की अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति द्वारा स्वीकार किया गया था, कहा गया है "अंग्रेजी-सत्ता का अन्त होने के बाद ही यह अनुभव किया जायगा कि भारतीय नरेश, जागीरदार, जमींदार और सम्पत्तिवान तथा धनिक-वर्ग उन श्रमजीवियों से अपना धन और सम्पत्ति प्राप्त करते हैं, जो खेत-खलिहान, कारखानों और दूसरे स्थानों में काम करते हैं और जो वास्तव में शक्ति और सत्ता के अधिकारी हैं।" अंग्रेजी सत्ता और शोषण का एक ही प्रहार से सफाया करके ऐसी स्थिति उत्पन्न करना आप के हाथ की बात है।

समस्त देश में आपने लाठियों और गोलियों का सामना किया है और आज भी वीरों और वीरांगनाओं के समान उनका सामना कर रहे हैं। काम की कोई भी वस्तु बिना आवश्यक बलिदान के प्राप्त नहीं होती।

काम बन्द करने के अतिरिक्त आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि सब प्रकार की यातायात व्यवस्था बेकार होजानी चाहिए और साथ ही विदेशी सेना की गतिशीलता भी पंगु हो जानी चाहिए जिससे कि उसमें आपके और आपके देशवासियों के विरुद्ध प्रहार करने की क्षमता न रहे।

प्रत्येक वस्तु को, जिसकी इस सेना तथा अंग्रेजी सत्ता को आवश्यकता पड़ती है, छिन्नभिन्न कर देना चाहिए। यहां आने के लिए हमने उनको निमंत्रित नहीं किया था। उनको अपने भोजन-वस्त्र का जैसा हो सके स्वयं प्रबन्ध करना चाहिए।

आप अपने आपको अपनी गली और मोहल्ले की समितियों के रूप में संगठित करना प्रारम्भ करें जिससे कि पुलिस और सेना द्वारा अंग्रेजी-सत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए किये गये प्रयत्नों से आप अपनी रक्षा कर सकें।

आप जानते हैं कि गांधी जी ने आपसे विद्रोह करने के लिए कहा था क्योंकि जापानी आपके

पर पड़े हैं और शायद निकट भविष्य में जर्मन भी ऐसा ही करें। ब्रिटिश सरकार मलाया और बर्मा की रक्षा करने में असफल रही है। आपकी रक्षा करने में भी वह उतनी ही असमर्थ है। जनता अपनी रक्षा के लिए अपना संगठन करने का अधिकार चाहती है, क्योंकि अंग्रेजी और अन्य विदेशी सेनाएं यदि पराजित हुईं तो वे दुम दबाकर भाग जायगी। आपको इस देश में रहना है और आप अपने स्वामियों को बदलना नहीं चाहते, बल्कि अपने देश के स्वयं स्वामी बनना चाहते हैं। अपने देश की रक्षा करने का अधिकार और योग्यता केवल तभी प्रभावशाली हो सकती है जब हमें ऐसा करने का अधिकार मिल जाय और इस अधिकार से अंग्रेजों ने हमें वंचित कर रखा है क्योंकि वे प्रजातन्त्रवाद के सम्बन्ध में लम्बी डींगें मारने के बावजूद भी, भारत को दासत्व-शृंखला में बंधा रखना चाहते हैं।

बुलेटिन सं० ६—स्वतंत्रता का युद्ध

पैशाचिक हत्या-कांड

अंग्रेजी सेना और पुलिस द्वारा पैशाचिक हत्याकांड और भी अधिक निर्दयता से जारी है। हमारे पहले के बुलेटिन में जिन स्थानों का जिक्र किया गया था उनके अतिरिक्त, मदुरा, सांगली, बनारस, गोरखपुर तथा कितने ही अन्य स्थानों में निहत्थी जनता पर गोलियां चलायी गयी हैं। अश्रुगैस, डंडों, लाठियों, बन्दूकों, मशीनों और बमों आदि से और भी कितने ही पाशविक आक्रमण [illegible] किये जाते हैं, जबकि हमारे सैनिकों के रक्षात्मक शस्त्र केवल पत्थर और सोडावाटर की बोतलें हैं। ७०० व्यक्ति मर चुके हैं और लगभग ७,००० घायल हुए हैं। अंग्रेजों ने अभी ही लगभग ४,५०० व्यक्तियों को युद्धबन्दी बना लिया है। अकेले बम्बई में ही ऐसे बन्दियों की संख्या १,००० के आसपास है।

समझौता न होगा—छोड़े जाओ

जो इस स्थिति में पहुंचकर भी वार्ता और समझौते का जिक्र करते हैं, वे देश के हित को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक पहुंचा रहे हैं। पहले सरकार ने आक्रमण प्रारम्भ किया है हम तो केवल रक्षात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। विजय प्राप्त होने तक हमें इस लड़ाई को जारी रखना चाहिए। "विजय या मृत्यु" हमारा नारा है।

* * * * * *

युद्ध का कार्यक्रम

[illegible] और अपने पहले के बुलेटिनों में हमने इसका [illegible] [illegible] आप [illegible] [illegible] अनुरोध करते हैं कि आप [illegible] [illegible] और [illegible] स्थानों की उपयुक्तता तथा [illegible] युद्ध [illegible] [illegible]।

१. [illegible] का बहिष्कार।

२. [illegible] और दुकानों का बहिष्कार।

३. [illegible] अंग्रेजों के [illegible] हैं।

अंग्रेजी सैनिकों पर अचानक आक्रमण करने के लिए छुप-छिप कर मारने वाले दलों का संगठन।

५. जनता की वैयक्तिक हानि या शारीरिक आघात का निवारण।

६. दासता के चिन्हों, जैसे कि अंग्रेजों के स्मारकों और मूर्तियों को उखाड़ कर नष्ट कर देना।

७. सरकारी दफ्तरों और अंग्रेजी तथा अमरीकी फर्मों के क्लर्कों और उच्च कर्मचारियों द्वारा सुस्ती और अयोग्यता से कार्य।

८. कपड़ा और इंजिनीयरिंग के कारखानों और मिलों में पूरी हड़तालें।

९. अंग्रेजों के रसोइयों का इस उद्देश्य से संगठन किया जाय कि वे अपने स्वामियों के लिए खराब खाना पकायें।

१०. पुलिस और सेना के हमलों की रोकथाम के लिये सड़कों पर रुकावट खड़ी करना।

११. समस्त कानूनों की अवज्ञा।

१२. अदालतों का काम बन्द करना।

१३. जब भी सम्भव हो सब प्रकार के करों का देना बन्द करना।

१४. सैनिक और युद्ध सामग्री ले जाने वाली समस्त ट्रेनों का रोकना।

बुलेटिन सं० ७—स्वातन्त्र्य-युद्ध

.... प्रायः समस्त भारत में रेल, टेलीफोन और टेलीग्राफ के सम्पूर्ण यातायात प्रबन्ध को अव्यवस्थित करने में हमारे राष्ट्रीय दल के सैनिक अभी तक सफल रहे हैं। इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता बंगाल में मिली है जिसे सरकार तक ने स्वीकार किया।

श्रमिकों का कार्य

अपने उद्धार के उद्देश्य से लड़ने के लिए कारखानों के श्रमिकों को इस आंदोलन ने एक महान् अवसर प्रदान किया है। अभी तक वे केवल आर्थिक आधारों पर ही लड़ रहे थे और अपना आंशिक रूप से समझौता कर लेते थे। लेकिन अब उनको राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करके बागडोर भी अपने हाथों में होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें अंग्रेजों के पास पहुंचने वाली युद्ध-सामग्री को गुप्त रीति से नष्ट करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करनी चाहिए। मिलों और कारखानों में, विशेष रूप से उन कारखानों में जो कपड़े तथा इंजीनियरी का सामान तैयार करते हैं—काम बन्द करके वे यह कार्य कर सकते हैं जिसे उन्हें करना ही चाहिए। वे अपना काम शीघ्रता से छोड़ दें, शहर छोड़ कर अपने अपने गावों में चले जायं और देहात के लिये जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, उसको संभाल लें। जो शहरों में और उनके पास पास रहें वे सभी स्थानों पर, जिसमें यातायात के साधन भी शामिल हैं, पूरी शक्ति लगा कर धरना दें और अंग्रेजों की सेना, पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों को सब तरह से परेशान करें।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

राष्ट्रीय दल के हमारे सैनिकों के प्रति अंगरेज जिन अपमानकारक और तिरस्कारयुक्त शब्दों का—जैसे कि "अत्यन्त निम्न कोटि के लोग" "गुंडे", "उपद्रवकारी" इत्यादि—प्रयोग करते हैं उनका उत्तर आत्माभिमानी नागरिक नवयुवक और विद्यार्थी देंगे।

—— भारतवासियों की माताओं, बहनों और स्त्रियों के पास जाने के लिए नवयुवकों और विद्यार्थियों

नियमित दलों का संगठन करना चाहिए जो अब पुलिस और सेना में काम कर रहे हैं और उन के सम्बन्धियों द्वारा उनपर दबाव डलवाना चाहिए कि वे अपने स्वामियों के विरुद्ध विद्रोह करदें और अपनी मातृ-भूमि के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें। सच तो यह है कि इन दस दिनों में हमारे ही भारतीय भाइयों ने हमारे प्रतिभाशाली भाइयों को गोलियों से मारा और हमारी बहनों का अपमान किया है। यदि उन्होंने यह आचरण बन्द नहीं किया तो उनके प्रति उचित कार्रवाई की जायगी जिसके लिए इस प्रकार के पुलिस और सैन्य कर्मचारियों की माताओं तथा बहनों को पहले ही चेतावनी दे देनी चाहिए।

अंग्रेजी वस्तुओं की होली

अंग्रेजी वस्तुएं बेचने वाली दुकानों पर संगठित रूप से धावा बोलना चाहिए और दुकानदारों से अनुरोध करना चाहिए कि वे इन वस्तुओं का बेचना बन्द कर दें। यदि वे ऐसा करने से इन्कार करें तो उनकी दुकानों के सामने ही इस प्रकार के सामान की होली जला देनी चाहिए।

अंग्रेजी और अमरीकी बैंकों पर धरना

ऐसे बैंकों के क्लर्क रकम जमा करवाने वाले समस्त लोगों से कहें कि वे अपना रुपया निकलवा लें। इन क्लर्कों को चाहिए कि वे ऐसे कागजों को नष्ट कर दें जो अंगरेज डाइरेक्टरों और स्वयं बैंक के लिए उपयोगी हैं। विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को भी इन बैंकों पर धावा बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से पहले रकम जमा करने वालों से यह कह देना चाहिए कि समस्त अंग्रेजी और अमरीकी बैंकों से वे अपना रुपया निकलवा लें।

"विजय या मृत्यु"—हमारा उत्तर होना चाहिए

करो या मरो—महात्मा का आदेश

इन्किलाब जिन्दाबाद। आज़ाद हिन्द जिन्दाबाद।

"स्वतन्त्र भारत राष्ट्र का गजट" नामक पत्र १८ अगस्त १९४२।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

विदेशी-सत्ता के विरुद्ध मोर्चे को शीघ्र समाप्त करने के लिये यह परमावश्यक है कि और चीजों के साथ-साथ उसे अत्यन्त आवश्यक सामान प्राप्त न करने दिया जाय। आप के एमोनिशन का एक हेतु ही परमावश्यक सामान से सम्बन्ध है और यह देखकर हमारा हृदय प्रसन्न होगया कि कपड़े की मिलों में काम प्रायः बिल्कुल बन्द हो गया है। इससे हमें दो प्रकार की सहायता मिली, अंग्रेजों को माल मिलना बन्द हो गया और अंग्रेजी-सत्ता को नष्ट करने के कार्य में सहायता देने के लिये पुरुषों का एक बड़ा दल और आगया

[illegible] प्रेस, लाहौर में [illegible], मैनेजर के प्रबन्ध से मुद्रित।